Monday, 28 April, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र] Seventh Session

Preservation Unit
7-7-9
Fumigated
On 31.1.81
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 49, सोमवार, 28 अप्रैल, 1969/8 वैशाख, 1891 (शक)
No. 49, Monday, April 28, 1969/Vaisakha 8, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1351. रासायनिक उत्पादों का आयात	Import of Chemical Products	..	1—4
1352. उदयपुर में बिना बिका उर्वरक का स्टाक	Unsold Stocks of Fertilizers at Udaipur	..	4—7
1353. पोलीस्टर फाइबर प्लान्ट्स (कारखाने)	Polyester Fibre Plants	..	8—15
1354. गन्धक के बिना उर्वरक का उत्पादन	Production of Fertilizer without sulphur	..	15—17
1355. उर्वरक कारखानों के लिये नियत की गई भूमि	Land Allotted to Fertilizer Plants	..	17—20
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
18. पोंग बांध से राजस्थान को लाभ	Utility of Pong Dam to Rajasthan	..	20—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1356. सरकारी क्वार्टरों को अलाटियों द्वारा किराये पर दिया जाना	Sub-letting of quarters	..	23—24
1357. चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज	Medical College at Chandigarh	..	24

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1358. रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति	Appointment of Governor of Reserve Bank..	25
1359. ताप्ती तथा नर्मदा नदियों की बाढ़ के नियंत्रण की योजना	Plant to Control Flood in Tapti and Narmada ..	25—26
1360. सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार	Smuggling in Border Areas ..	26
1361. आजादपुर (दिल्ली) में सब्जी मंडी	Subzimandi in Azadpur, Delhi ..	26—27
1362. गुजरात में पैट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex at Gujarat ..	27—28
1363. गंगा गोमती योजना	Ganga Gomti Scheme ..	28
1364. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	National Health Insurance Scheme ..	28—29
1365. पन-बिजली	Hydro Electric Power ..	29
1366. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा इन्द्रियातीत ध्यानावस्था का अध्ययन	Study of Transcendental Mediation by Medical Institute ..	29—30
1367. किसानों को स्टेट बैंक द्वारा सहायता	State Bank's Assistance to Agriculturists ..	30—31
1368. उड़ीसा में स्टेट बैंक के मुख्यालय की स्थापना	Location of State Bank's Head Office in Orissa ..	31
1369. निर्यात क्षेत्र के विकास के लिये सहायता	Assistance for Development of Export Sector ..	31—32
1370. खम्भात में तट-दूर ड्रिलिंग के लिये जापान से ऋण	Japanese Credit for off shore drilling in Cambay ..	32
1371. दूसरा भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन	Second Indian Petroleum Conference ..	32—33
1372. मध्य प्रदेश में किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए ऋण	Loans to Farmers in Madhya Pradesh for purchase of Fertilizers ..	33
1373. नर्सों की काम की स्थितियां	Working conditions of Nurses ..	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1374. आग लग जाने के कारण कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में क्षति	Loss in Fertilizer Factory at Kota due to fire ..	34
1375. सरकारी उपक्रमों द्वारा पूंजी जुटाया जाना	Raising of Capital by Public Undertakings ..	34
1376. व्यास और सतलुज को मिलाने वाली परियोजना	Beas Sutlej Link Project ..	35
1377. दिल्ली में नई बस्ती तथा थानसिंह नगर कालोनियों में पानी की सप्लाई	Water Supply in Nai Basti and Thansingh Nagar Colonies, Delhi ..	36
1378. सूखा सहायता कार्यों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for drought relief work ..	36—37
1379. स्वयं को संसद सदस्य बताने वाले व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक गाड़ी का प्रयोग	Use of CPWD vehicle by a person posing as Member of Parliament ..	37—38
1380. दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवास	Accommodation for working Girls in Delhi..	38—39
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7774. विदेशी पूंजी का सम्बन्धित देशों को भेजा जाना	Repatriation of Foreign Capital ..	39—40
7775. विदेशी यात्रा सम्बन्धी नियमों में ढील	Relaxation in Rules Governing Foreign Travel ..	40—41
7776. कैंसर के इलाज के लिये जड़ी बूटियां	Herbs for Cancer Cure ..	41—42
7777. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ट्रकों की खरीद	Purchase of Trucks for Family Planning Programme ..	42
7778. महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति	Clearance to Major Irrigation Projects in Maharashtra ..	43
7779. उद्योगों तथा कृषि कार्यों के लिये बिजली की कमी को दूर करने की योजना	Scheme to overcome power shortage for Industrial and Agricultural Purposes ..	43—44

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7811. मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल के कार्यालय से पकड़े गये दस्तावेज	Documents seized from Offices of M/s Aminchand Pyarelal ..	66
7812. स्टेट बैंक की फिरोजाबाद शाखा को भेजे गये पार्सलों से सोना गुम होना	Gold missing from Parcel sent to Ferozabad Branch of State Bank ..	66—67
7813. हाकी के भारतीय खिलाड़ियों से पकड़ी गई विदेशी वस्तुएं	Foreign goods seized from Indian Hockey Players ..	67
7814. बम्बई में चोरी से लाई जा रही चांदी का पकड़ा जाना	Recovery of smuggled silver in Bombay ..	67—68
7815. कर निर्धारण के मामलों को निपटाना	Disposal of Assessment cases ..	68
7816. प्रशासनिक व्यय में मित-व्ययता	Economy in Administrative Expenditure ..	68—69
7817. कलकत्ता में घड़ियों का पकड़ा जाना	Recovery of watches in Calcutta ..	69
7818. सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में श्रमिक	Workers in Public Sector Undertakings ..	69
7819. बिहार में मोतिया बिन्द के रोगी	Sufferers from Eye Cataract in Bihar ..	70
7820. हिमाचल प्रदेश में पनबिजली केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Hydro-Electric Stations in Himachal Pradesh ..	70—71
7821. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को घाटा	Loss in Neveli Lignite Corporation ..	71
7822. मैसर्स अतुल पेरिख, बम्बई से धन का बरामद किया जाना	Seizure of Money from M/s Atul Perikh, Bombay ..	71—72
7823. गुजरात राज्य में वापी में बड़ी भारी मात्रा में चांदी पकड़ी जाना	Haul of Silver seized at Vapi in Gujarat ..	72—73
7824. खेतरी तांबा परियोजना	Khetri Copper Project ..	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7825.	कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का विद्युत जनन केन्द्र	Power Generating Stations owned by Calcutta Electric Supply Corporation ..	73—74
7826.	विश्व बैंक आयोग को ज्ञापन	Memorandum to World Bank Commission..	74
7827.	औषधि निर्माता फर्मों को अमरीकी ऋण	U.S. Loans to Pharmaceutical Firms ..	74—75
7828.	जीवन बीमा कर्मचारी संघ, गोरखपुर की मांगें	Demands of Life Insurance Workers Union, Gorakhpur ..	75
7829.	महाराष्ट्र में ताप्ती नदी से नहर निकाली जाना	Canal in Maharashtra from Tapti River ..	75—76
7830.	मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene oil to Madhya Pradesh..	76
7831.	तापती नदी पर बांध	Dam on Tapti River ..	76
7832.	सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के कर्मचारी	Employees of Security Paper Mill, Hoshangabad ..	77
7833.	बहरे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Deaf Persons ..	77—78
7834.	दिल्ली में पीने के पानी की कमी	Deficiency of drinking water in Delhi ..	78
7835.	अनधिकृत बस्तियों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिये बैठक	Meeting to discuss problems of Unauthorised Colonies ..	78
7836.	चौथी योजना में धन की कमी को दूर करने के लिये विदेशी ऋण	Foreign loans for deficit in Fourth Plan ..	79
7837.	चौथी योजना में बैंकों तथा ऋण दाता संस्थाओं से सहायता	Banking and Credit Institutions in Fourth Plan ..	79
7838.	खाद्य अपमिश्रण रोक और औषधि तथा प्रसारण सामग्री अधिनियमों के अधीन दोषी पाये गये व्यापारी	Businessmen found guilty under prevention of food adulteration and drugs and cosmetic acts ..	79—80

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7839. पोतों को किराये पर देने से अर्जित विदेशी मुद्रा का स्वदेश भेजना	Repatriation of foreign Exchange earned on chartering of Vessels ..	80
7840. सीसे और जस्ते के निक्षेप	Deposits of Lead and Zinc ..	81
7841. मंत्रियों द्वारा धनकर का भुगतान	Payment of wealth tax by Ministers ..	81—82
7842. सहकारी आधार पर नाइलोन का धागा बनाने के संयंत्र के लिये लाइसेंस	Licences for Nylon manufacturing Yarn Plant in cooperative basis ..	82—83
7844. राजस्थान नहर	Rajasthan Canal ..	83—84
7845. ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification ..	84
7846. ग्राम विद्युतीकरण और अन्त-र्राज्यीय बिजली केबल बिछाने की योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण	Loan to States for Rural Electrification and Inter-State Electricity Cable Laying Schemes ..	84—85
7847. पश्चिम बंगाल को अपनी अर्थोपाय स्थिति सुधारने के लिये ऋण	Loan to West Bengal for Improving their ways and means position ..	85
7848. कैंसर उपचार अस्पताल	Hospitals for Cancer ..	85
7849. पश्चिम बंगाल में चलचित्र उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा देय आय कर की बकाया राशि	Income tax arrears due from persons in Film Industry in West Bengal ..	85—86
7850. भारत में आवास की समस्या	Housing Problem in India ..	86—87
7851. विधायकों का सरकारी उपक्रमों के बोर्ड का सदस्य होना	Legislators on Boards of Government Undertakings ..	87
7852. घटिया किस्म की औषधियां	Sub-standard manufacture of Medicines ..	87—88
7853. निर्यात वित्त पोषण योजनाओं के सम्बन्ध में जापानी बैंक के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Report of Japanese Bank Expert on Export Financing Schemes ..	88—89
7854. जापान द्वारा खाद्यान्न की सहायता	Food aid by Japan ..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7855. नागपुर (कोनहादी) ताप बिजली परियोजना	Nagpur (Konhadi) Thermal Project ..	89—90
7856. ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना	Setting up of Rural Electrification Corporation ..	90
7857. आरामबाग, नई दिल्ली में शरणार्थियों द्वारा बनाये गये मकान	Houses constructed by Refugees in Arambagh, New Delhi ..	90—91
7858. मुख्य मंत्रियों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of wealth tax by Chief Ministers ..	91
7859. राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for States ..	91—92
7860. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पटना कार्य करने वाले फराश और मेहतर	Farashes and sweepers working in Central Excise Department, Patna ..	92
7861. बाढ़ कार्यों के लिये गुजरात को सहायता	Aid for Flood to Gujarat ..	92—93
7862. हिमाचल प्रदेश में कारेरी तथा राकशी में सिंचाई की सुविधायें	Irrigation facilities in Kareri and Rakshi in Himachal Pradesh ..	93
7863. कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय	Calcutta Customs House ..	93—94
7864. कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय	Calcutta Customs House ..	94—95
7865. आसाम में गन्दी बस्तियों की सफाई तथा उनमें सुधार	Slum clearance and improvement in Assam..	95
7866. औषधि निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign exchange for Drug Manufacture ..	96
7867. फर्मों द्वारा घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण	Production of substandard drugs by firms ..	96—97
7868. मनीपुर के लिये मेडिकल कालेज	Medical College for Manipur ..	97—98
7869. उत्तर प्रदेश में गांवों में बिजली लगाना तथा नलकूपों के लिये बिजली की सप्लाई	Rural Electrification and supply of power for tube-wells in U. P. ..	98

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7870. आयातित अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य	F.O.B. cost of imported crude oil and Petroleum Products ..	98—99
7871. विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर खर्च की गई राशि	Amount spent on C.P.W.D's Works in States	99
7872. बिहार में पीने के पानी की सप्लाई	Drinking water supply in Bihar ..	99—100
7873. बिड़ला उद्योग समूह द्वारा गुजरात में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना	Fertilizer Factory in Gujarat by Birlas ..	100
7874. रोहतास नगर शाहदरा दिल्ली में सड़कें चौड़ी करना	Widening of Road in Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi ..	101
7875. पाकिस्तानी पठानों द्वारा बनाई गई गुप्त बीमा कम्पनी	Underground Insurance Company by Pak Pathans ..	101
7876. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ..	101—102
7877. डाक्टरों की हड़ताल के दौरान चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु	Deaths due to Lack of Medical Treatment during doctors strike ..	102
7878. तमिलनाडु में थियेटर मालिकों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of wealth tax by theatre owners in Tamil Nadu ..	102
7879. भारत के उद्योगों में विदेशी निवेश	Foreign Investment in Industries in India ..	103
7880. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, आगरा की केन्द्रीय वर्कशाप में चोरी	Thefts in Central workshop of National Projects Construction Corporation, Agra ..	103
7881. वित्त मंत्री की सिंगापुर यात्रा	Finance Minister's visit to Singapore ..	103—104
7882. टाटा उर्वरक परियोजना	Tata Fertilizer Project	104
7883. पोटाश आधारित उर्वरक	Potash Based Fertilizers ..	104—105

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7884.	मदुरै में हैजे का फैलना	Spread of Cholera in Madurai ..	105
7885.	राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये अतिरिक्त अनुदान	Additional Grants for Completion of Rajasthan Canal ..	105—106
7886.	मैसर्स परमानेंट मैगनेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस	Import Licences to M/s Permanent Magnets Ltd. ..	106—107
7887.	दिल्ली विकास प्राधिकार में संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व	M. Ps. represented on Delhi Development Authority ..	107
7888.	पलाई बैंक	Palai Bank ..	107—108
7889.	नया पी० एल० 480 करार	New P.L. 480 Agreement ..	108
7890.	हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा निरोध का उत्पादन	Production of Nirodh from Hindustan Latex Ltd. ..	109
7891.	मैसर्स एस० वैद्यनाथ अइयर एण्ड कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा सहकारी उपक्रमों के लेखे की जांच पड़ताल	Auditing of Public Undertakings by M/s S. Vaidyanath Aiyer and Co. and its Associates ..	109—110
7892.	नर्मदा विवाद के बारे में मध्यस्थता	Arbitration on Narmada Dispute ..	110
7893.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा सफदरजंग ऐनक्लेव में निर्मित फ्लैट	Safdarjang Enclav Flats Constructed by DDA ..	110—111
7894.	दिल्ली विकास अधिकरण (डी० डी० ए०) द्वारा बनाये गये सफदरजंग ऐनक्लेव फ्लैट	Safdarjang Enclav Flats Constructed by DDA ..	112—113
7895.	उत्तर प्रदेश को डीजल तेल का नियतन	Allocation of Diesel oil to Uttar Pradesh ..	113
7896.	उत्तर प्रदेश में पन बिजली परियोजनायें	Hydro Electric Projects in U. P. ..	114—116
7897.	उत्तर प्रदेश में फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears standing against firms in U. P. ..	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7898.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	Notional Coal Development Corporation ..	116—117
7899.	ब्रिटेन से सहायता	British Aid ..	117
7900.	महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा	Prosecution of Persons in Film Industry in Maharashtra ..	118
7901.	लौह अयस्क परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरुबुरु, सिंहभूम बिहार	Iron Ore Project Higher Secondary School, Kiriburu, Singhbhum, Bihar ..	118—119
7902.	परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जन्म दर	Family Planning Programme and Birth Rate ..	119—120
7903.	डीजल, कच्चे तेल और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Diesel, Crude and Kerosene Oil ..	120
7904.	नामरूप उर्वरक कारखाने में इंजीनियरों की बर्खास्तगी	Dismissal of Engineers in Namrup Fertilizer Plant ..	120
7905.	चुंगी वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन	Drawback Inquiry Committee's Report	121
7906.	रायपुर में उद्योगपतियों और मोटरगाड़ी मालिकों के स्थानों पर छापे	Raid on premises of Industrialists and Transport Operators at Raipur ..	121—122
7907.	शाहदरा में बस्तियों का अधिग्रहण	Acquisition of Colonies in Shahdara ..	122—123
7908.	किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पिता की सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी मकान का अपने पास रखा जाना	Retention of Accommodation by a Government Employees after retirement of His Father ..	123
7909.	जन संख्या में वृद्धि की दर तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम	Rate of Growth and Family Planning Programme	124
7910.	गुजरात में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery in Gujarat ..	125
7911.	फिल्म निर्माताओं की ओर आयकर की बकाया धन-राशि	Income tax due from Film Producers ..	125—126

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7912.	कंग्सावटी परियोजना	Kangsabati Project ..	126
7913.	जारी किये जाने वाले ऋण	Loans to be floated ..	126—127
7914.	टेब-सी टीकों की कमी	Shortage of Tab-C Vaccine	127
7915.	एशियाई विकास बैंक द्वारा सरल शर्तों पर ऋण देने के लिये विशेष निधि की व्यवस्था करना	Floating of special funds for soft loans by Asian development Bank ..	127—128
7916.	संघ राज्य क्षेत्र के लिये पृथक वित्त आयोग	Separate Finance commission for Union Territories ..	128—129
7917.	पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects in West Bengal	129
7918.	भाखड़ा बिजली क्षेत्र से दिल्ली को हटाना	Exclusion of Delhi from Bhakra Power Pool ..	130
7919.	हिमाचल प्रदेश में करों की वसूली	Collection of Taxes in Himachal Pradesh ..	130
7920.	हिमाचल प्रदेश में उत्पादन शुल्क की वसूली	Collection of Excise Duties in Himachal Pradesh ..	131
7921.	उत्पादन शुल्क लगाने के मामले में रचनात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार	Rewarding of persons giving constructive suggestions for levy of excise duty ..	131
7922.	दिल्ली में वजीरपुर रिहायशी योजना में भू खण्ड	Plots in Wazirpur Residential Scheme in Delhi ..	131—132
7923.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की कमी	Shortage of fertilizer during fifth plan ..	132—133
7924.	जिप्सम का उत्पादन तथा निर्यात	Production and export of Gypsum ..	133
7925.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों (ओवर-सियरों) को मकानों का नियतन	Allotment of Accommodation to Sectional officers of CPWD ..	133—134

7926.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों द्वारा रजिस्टर तथा फाइलें रखी जाना	Maintenance of Registers and File by Sectional officers of CPWD	134
7927.	दिल्ली नगर निगम का गन्दी बस्ती तथा आवास विभाग	Slum and Housing department of Delhi Municipal Corporation ..	134—135
7928.	चलचित्र उद्योग के लोगों द्वारा धन का भुगतान	Payment of Wealth Tax by persons in Film Industry	135
7929.	सर्वाधिक आय कर देने वाले प्रथम दस फिल्म निर्माता	Top ten film producers paying Highest income tax ..	135—136
7930.	फिल्म उद्योग में आयकर अपवंचक	Income tax Evaders in Film Industry ..	136
7931.	बाढ़ों का एटलस	Atlas of Floods ..	137
7932.	भारत में शारीरिक स्वास्थ्य का सामान्य स्तर	Average physical fitness in India	137
7933.	विदेशी सहायता के लिए विदेशों से अनुरोध	Approaches to foreign countries for Foreign Aid ..	137—138
7934.	कानपुर के श्री राम रतन गुप्त से जीवन बीमा निगम के ऋणों की वसूली	Realisation of LIC loans from Shri Ram Ratan Gupta of Kanpur ..	138
7935.	भारत के उर्वरक निगम के बरौनी कारखाने में उम्मीदवारों का साक्षात्कार	Interview of Candidates in Barauni unit of fertilizer corporation of India ..	138—139
7936.	गृह - निर्माण सहकारी समितियों को शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आवंटन	Allotment of land to co-operative house Building societies in Shahdara Area ..	139
7937.	नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के सीसे की चोरी	Theft of lead from Government of India Press, New Delhi ..	140
7938.	बिहार के जिलों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Bihar Districts ..	140—141
7939.	धातुओं का खनन	Mining of Metals ..	141

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7940. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन	Crude oil production by Oil and Natural Gas Commission	.. 141
7941. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों (ओवरसियरों) के कार्य	Duties of Sectional officers of CPWD	142
7942. कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय में पदोन्नति वाले पद	Promotion posts in Calcutta Customs House	.. 142—143
7943. कुष्ठ रोग निवारण	Eradication of Leprosy	.. 143
7945. महाराष्ट्र में स्टुडियो मालिकों की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income tax Arrears due from studio owners in Maharashtra	.. 144
7946. ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में दोष	Defects in Trombay Fertilizers Factory	.. 144—145
7947. गोआ में पेलटाइजिंग प्लांट की स्थापना	Setting up of Pelletising plant in Goa	.. 145—146
7948. गोआ, दमन तथा दीव की सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes of Goa, Daman and Diu	.. 146
7949. गोआ में डूड सागर पन बिजली परियोजना	Dudsagar Hydro Electrical Project in Goa	.. 146—147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमरीका से दान में प्राप्त हुए गेहूं की काला बाजार में बिक्री के समाचार	Reported sale in black market of American gift wheat	.. 147—149
श्री एस० जेवियर	Shri S. Zavier	.. 147—148
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	.. 147—148
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 149—151
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	.. 151—152
47 वां, 48 वां, 50 वां, 52 वां, 62 वां, 63 वां, 65 वां, 66 वां, और 70 वां प्रतिवेदन	Forty-seventh, forty-eight, fiftieth, fifty-second, sixty-second, sixty-third, sixty-fifth, sixty-sixth and seventieth reports	.. 151—152

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	..	153
33 वां, 43 वां और 50 प्रतिवेदन	Thirty-third, forty-third and fiftieth Reports	..	153
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—		
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	Ministry of Steel and Heavy Engineering	..	153—165
श्री रविराय	Shri Rabi Ray	..	154—155
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	..	155
श्री अम्बाजागन	Shri Anbazhagan	..	155—157
श्री तुलसीदास यादव	Shri Tulsidas Jadhav	..	158—159
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	159—160
श्री गा० शं० मिश्र	Shri G. S. Mishra	..	160—161
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	..	161—162
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	..	162—164
विधि मंत्रालय	Ministry of Law	..	165—166
श्री कृ० म० कौशिक	Shri K. M. Koushik	..	173—174
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	..	176
श्री वेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	..	177
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	177
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	..	178
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	..	178—179
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	..	179
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	..	179—180
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	..	180—181
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	..	181
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	..	181—182
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	..	182—183
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himmatsingha	..	183
श्री तुलसीदास यादव	Shri Tulsidas Jadhav	..	183
श्री अब्दुल गनीदार	Shri Abdul Ghani Dar	..	183
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	..	183—184
वित्त मंत्रालय आदि आदि	Ministry of Finance etc. etc.	..	186—187

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मैसर्स सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स के बारे में	Re : Messrs Synthetics and Chemicals ..	161
मैसर्स सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Messrs Synthetics and Chemicals ..	165
श्री फरूरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	165
विनियोजन (संख्या 3) विधेयक, 1969 प्रस्तुत किया गया, विचार किया गया तथा पास किया गया	Appropriation (No. 3) Bill, 1969 Introduced, considered and passed ..	191—196
श्री रंगा	Shri Ranga ..	191—192
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	192—194
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	194
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	194—195
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai ..	195—196
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion—	
चीन के साथ बातचीत	Negotiations with China ..	197—199
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	197—198
श्री रंगा	Shri Ranga ..	198
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	199

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 28 अप्रैल, 1969/8 वैशाख, 1891 (शक)
Monday, April 28, 1969/ Vaisakha 8, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Chemical Products

*1351. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that different kinds of chemical products are being imported at present whereas production capacity for the same is available in the country itself ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the Indian Chemicals Manufacturers Association have requested for immediate ban on the import of chemical products to boost indigenous production ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां । कई रासायनिक उत्पादों का जितना देश में उत्पादन होता है, आयात भी किया जाता है ।

(ख) आयात की अनुमति दी जाती है क्योंकि देश का उत्पादन मांगों को पूर्णतया पूरा करने में पर्याप्त नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Is it a fact that some of the chemical products such as organic, inorganic, pesticides, plastics etc. whose substitutes can be manufactured or they also can be produced here provided the industry is granted facilities of its expansion ? If there are certain such categories of chemical drugs which can be manufactured in India, will it not be proper to ban their import ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है । कुछ एक रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता को देश में ही स्थापित कर दिया गया है, परन्तु, क्योंकि इनका उत्पादन देश की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है इसलिए इनका आयात किया जाता है । मैं कुछ चीजों का यहां उल्लेख करूंगा जिनकी उत्पादन क्षमता स्थापित हो गई है । रंजक-सामग्री में 45 वस्तुएं, औषधियों में 35 वस्तुएं तथा रासायनिक पदार्थों में 69 वस्तुएं हैं ।

सरकार का सतत् प्रयत्न है कि रासायनिक पदार्थों के सम्बन्ध में देश विदेशी आयात से मुक्त हो जाए ।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether the Indian Drugs Manufacturing Association has requested the Government to give them facilities for the expansion of this industry and to permit the manufacture of Substitutes—with some modifications—of the items now being imported in the country? It is their guarantee that if they are allowed to augment their capacity and granted permission to manufacture them, they will be able to manufacture the substitutes here which would benefit the country and the expenditure in terms of foreign exchange on their import would also be saved?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह तो सदा होता ही है ।

Shri Madhu Limaye: Is the hon. Minister aware of the fact that the import of a chemical, known as borax is totally banned and a Company by the name of Borax Morarji, has been producing this item—if you enquire from the former Petroleum Minister you will know the facts about this company—and enjoys monopoly in the production of this item. The price of this item on paper is shown as Rs. 1400 but it is actually being sold at the rate of Rs. 7000. We have received information through Trunk call about it today from Bombay, according to which it is being sold at rate five times the price shown on papers that comes to 600 per cent. I want to put two questions to the hon. Minister in this regard. Is he going to warn this company that if they do not stop making exorbitant profits by misusing the facilities provided to them for the manufacture of this item he will be forced to take some action against the company by importing this item again so as to reduce the price of borax ? Secondly, distributors and the dealers in this item belong to "V Account" category which is not charged any tax and they are earning Rs. 5600 per ton. Will the Hon. Minister communicate to the Finance Ministry that the distributors are making huge profits and they should be assessed income tax on the basis of selling price of Rs. 7000 per ton ? Unless the price is reduced, nothing will come out. I want two things—firstly you should allow short term import of borax and secondly inform the Income Tax Department to charge income tax on this company on the basis of theiractual income. You just enquire from Shri Ashoka Mehta about Borax Morarji Company.

Mr. Speaker: Where is Shri Ashoka Mehta now ?

Shri Madhu Limaye: Formerly he was the Minister of Petroleum.

श्री दा० रा० चह्वाण : जिस कम्पनी के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है उस कम्पनी के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो कुछ बताया है उसे ध्यान में रखकर मैं उस मामले की पूरी जांच करूंगा ।

Shri Achal Singh: May I know whether chemicals can be produced in the country in required quantities and there may be no need to import them and their import may be banned altogether ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी नहीं । वस्तुतः जब आयात नीति की घोषणा की जाती है तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है । जो रासायनिक पदार्थ यहां तैयार होते हैं तथा जिनसे देश की मांग पूरी हो जाती है, उन रासायनिक पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है । तब इन वस्तुओं को विदेशों से मंगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनकर देसाई : तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने पर भी हमारा देश रासायनिक पदार्थों के सम्बन्ध में अभी तक आत्म-निर्भर नहीं हो सका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के पूरा होने के पश्चात् भी हमारा देश इस दिशा में आत्म-निर्भर हो जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उदाहरण के रूप में पिछले वर्ष कुल कितनी राशि के रासायनिक पदार्थों का आयात किया गया ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है कि जिन वस्तुओं का आयात होता है उन्हें देश में ही तैयार किया जाए तथा इन वस्तुओं का स्वदेशीय उत्पादन स्थापित किया जाए । 20 वर्ष पूर्व देश में 1,200 लाख रुपये की औषधियों का निर्माण होता था, और आज यह 20,000 लाख रुपये तक हो गया है । रासायनिक पदार्थों में अनेक वस्तुएं सम्मिलित होने के कारण मेरे लिए यह बताना कठिन है कि पिछले वर्ष कितनी धनराशि के रासायनिक पदार्थों का आयात किया गया ।

Shri K. N. Tewary: May I know whether there is any Government machinery, entrusted with the job of fixing the prices of chemicals. Shri Madhu Limaye has, perhaps, quoted the selling price of borax as Rs. 7000 per ton ; if there is a machinery, are the prices fixed or not ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं इसका पता लगाऊंगा ।

Shri Ram Charan: A number of medicines, such as APC tablets, vitamin B. Complex, vitamin 'C', banazolip tablets, are manufactured in India by the drug manufacturers? These should be manufactured in accordance with the prescribed standards laid down in Indian Drugs Act, I. P. 66. But all the manufactures are manufacturing Sub-Standard drugs and are selling them at a cheap rate. Will Government make some arrangements to see that all the drugs manufactured here conform to the standards prescribed in I. P. 66 of Indian Drugs Act ?

श्री दा० रा० चह्वाण : देश में निर्मित रासायनिक पदार्थों, विशेषकर औषधियों पर कोटि नियंत्रण होता है । देश में तैयार की गई विविध प्रकार की औषधियों के गुण का पर्यवेक्षण करने के लिए कोटि-नियंत्रक है ।

Shri Ram Charan: When a certain Standard is prescribed under I. P. 66 of Indian Drugs Act, why people manufacture sub-standard drugs ?

श्री अनन्तराव पाटिल : रासायनिक पदार्थों के स्वदेशीय उत्पादन की वृद्धि के लिये सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक पदार्थों के उत्पादन क्षेत्र में एकाधिकार हो रहा है। क्या सरकार रासायनिक पदार्थों के छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : देश में रासायनिक पदार्थों के बहुत से लघु उत्पादक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी थोड़े दिन हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में औषधियों के सम्बन्ध में हलचल मची थी कि कुछ अमरीकी कम्पनियां 'टैट्रासाइक्लाइन' नामक पदार्थ बनाती हैं। इस बात का पता चला है कि पिछले दस वर्षों से 'टैट्रासाइक्लाइन' का आयात करते हुए इस देश से ये अमरीकन कम्पनियां निर्धारित मूल्य से लगभग 9 करोड़ रुपये अधिक लेती हैं। एक गोली जिसका उत्पादन मूल्य 8 पैसे पड़ता है, यहां वह 53 पैसे की एक गोली बिकी है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार अमरीका के उपभोक्ता वैधानिक रूप से निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त धन की अभ्यर्थना करते हैं क्या भारत सरकार ने भी इसी प्रकार की कोई वैधानिक व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत अमरीकन कम्पनियों से 9 करोड़ रुपया वापस वसूल किया जा सके जो उन्होंने अधिक मूल्य के रूप में हमसे लिया था ?

श्री दा० रा० चह्वाण : श्रीमान् जी, यह तो बिल्कुल अलग प्रश्न है तथा मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान् जी, मेरा निवेदन है कि हमारी रक्षा की जाये क्योंकि मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे अनुपूरक प्रश्नों का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल इसलिए इसे टालना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः इनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री दा० रा० चह्वाण : श्रीमान् जी, मैं पुनः कहता हूं कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु मैं मामले की जांच करूंगा।

Shri Madhu Limaye : For every question the Hon. Minister has got a ready reply that he has got no information. Has he not done his home work ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास अब कोई जानकारी नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमान् जी, उन्हें चाहिए कि वे हमें यह सूची दें कि उन्हें क्या जानकारी है जिससे हम उन्हीं में से अनुपूरक प्रश्न पूछें।

उदयपुर में बिना बिका उर्वरक का स्टाक

*1352. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में बने उर्वरक के भारी भण्डार बिना बिके पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण राज्य सरकारें अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक खरीदना पसन्द करती हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में मूल्य भी अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई औपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा हुआ है ।

विवरण

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में सिंगल सुपर फास्फेट का वर्तमान भण्डार लगभग 14,000 टन है ।

(ख) मिश्रित तथा संयुक्त उर्वरक के अधिक आगमन से किसानों में सिंगल सुपर फास्फेट की प्रसिद्धि कम होती जा रही है । इसकी मांग भी सामयिक है, राज्य सरकारें साधारणतया सुपर फास्फेट को सीधे ही नहीं खरीदती हैं । सामान्यतया प्रत्येक राज्य में सहकारी महासंघ इस उर्वरक के मुख्य क्रयदाता हैं तथा वे प्रायः निविदा मंगवाने के पश्चात् तथा प्रेषण स्थान से गन्तव्य स्थान तक का भाड़ा आदि का विचार करने के पश्चात् ही इसे खरीदते हैं । देश में आयातित डायमोनियम फास्फेट के भण्डार के इकट्ठा होने से, सुपर फास्फेट के विक्रय में और अधिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है । कारखाने से बाहर के विक्रय मूल्य का निर्धारण भारतीय उर्वरक संघ द्वारा होता है, परन्तु उनका मूल्य उच्चतम मूल्य होता है और पिछले 18 महीनों के दौरान देश के कारखानों के लिये उपरोक्त विक्रय मूल्य प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाया है । हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भी भारतीय उर्वरक संघ द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य से कम मूल्य पर इसे बेचती रही है ।

(ग) डायमोनियम फास्फेट के आयात तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में इसके आबंटन पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय ले लिया गया है । कम्पनी द्वारा उत्पादित सुपर फास्फेट को विभिन्न राज्यों में बेचने के लिए भारतीय खाद निगम की विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्ति कर दी गई है । केन्द्रीय खाद पूल के माध्यम से भी इसके विक्रय के लिये बातचीत में प्रगति हो रही है । इन सब कार्रवाइयों से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा उत्पादित सुपर फास्फेट के विक्रय विस्तार में सुधार होने की आशा है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : श्रीमन्, यह प्रश्न चारों ओर फैले भ्रष्टाचार के लक्षणों से सम्बद्ध है । चाहे यह सहकारिताओं से सम्बन्धित है अथवा नहीं । यदि यह तथ्य जैसा कि कहा गया है ठीक है तो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड निर्धारित मूल्य से 30 प्रतिशत कम भाव से अपना उर्वरक बेच रहा है तथा फिर भी सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में उसका कोई खरीदने वाला नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आरोप को लगाने वाले स्वयं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अध्यक्ष थे—या वास्तविकता थी—और यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने के लिये कोई

कार्रवाई की गई है ? इस बात का हर एक व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि जब कोई वस्तु बाजार भाव से कम दाम में बिक रही है और यदि उसे कोई व्यक्ति, या कोई अधिकारी किसी गैर-सरकारी संघों से अधिक मूल्य में लेता है तो उसे तत्काल ही भ्रष्टाचार के अभियोग में पकड़ा जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमन्, मैं इस प्रश्न का उत्तर इससे पूर्व भी दे चुका हूं कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में उत्पादित सिंगल सुपर फास्फेट कृषकों में प्रचलित नहीं है और इसलिये इसके भण्डार को बेचने में कठिनाई हो रही है। पिछले वर्ष तथा इससे पहले भी खाद निगम, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ अनेक बैठकें बुलाई गईं तथा इसके भण्डार का कुछ भाग उठाया गया था। उर्वरक संघ हर तीसरे मास उर्वरक के मूल्यों को निर्धारित करता है। उन्होंने सिंगल सुपर फास्फेट का मूल्य 300 रुपये, 330 रुपये तक निर्धारित किया। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड 15 प्रतिशत घाटा उठाकर 285 रुपये के भाव से बेच रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र तो और अधिक सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तथा इसीलिये हमें संचित भण्डार को बेचना पड़ा, तथा इसी कारणवश दाम कम करने की सम्मति दी गई। मैं नहीं समझता कि इस भण्डार का निपटारा करने में कहीं भी भ्रष्टाचार का प्रश्न आता है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस वर्ष सिंगल सुपर फास्फेट का आयात किया था जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और क्या इस दोषपूर्ण योजना के कारण ही हम संश्लिष्ट उर्वरक का उत्पादन नहीं कर सके और यह समय रहते विचार में ही नहीं आया ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अब सम्भव है तथा क्या इस उत्पादन को संश्लिष्ट उर्वरक के रूप में परिवर्तित करना सम्भव है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने 1968 में डायमोनियम फास्फेट का बहुत अधिक मात्रा में आयात किया और इस कारखाने ने जनवरी, 1968 में उत्पादन करना आरम्भ किया। फरवरी, 1968 में इस कठिनाई का अनुभव हुआ। हमने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को डायमोनियम फास्फेट का आयात न करने की सलाह दे दी है। अब वे इसका आयात नहीं कर रहे हैं तथा अब इसका निपटारा हो जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : मुझे याद है कि भूतपूर्व मंत्री महोदय को इस सदन में चेतावनी दी गई थी कि वह देश की आवश्यकता से अधिक उर्वरक का आयात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं डायमोनियम फास्फेट की कितनी मात्रा का आयात किया गया है; दूसरे यह कि आंकड़ों का गलत आंकलन करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति पर क्या कोई आरोप लगाया गया है; तीसरे यह कि देश में कितना सुपर फास्फेट इकट्ठा हो गया है; तथा चौथे यह कि सुपर फास्फेट के संग्रह को कम करने के लिये इसका प्रयोग उर्वरक मिश्रण के रूप में क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगन्नाथ राव : वर्ष भर के लिये अपेक्षित विविध प्रकार के उर्वरकों के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मांग-पत्र भेजता है। सुपर फास्फेट खेती की बुआई के समय वर्ष में दो बार प्रयोग में लाया जाता है तथा इसकी तो ऋतुगत मांग होती है। डायमोनियम फास्फेट का आयात वर्ष 1967-68 में हुआ था। स्वेज नहर के बन्द होने के कारण सुपर फास्फेट उस वर्ष देश में नहीं पहुंच सका। यह भारत में 1968 में उस समय पहुंचा जब इसका पहले से ही बहुत आधिक्य था। इसका न तो खाद्य मंत्रालय ने और न ही उस मंत्रालय ने जिसने इसका आयात किया, इसका पूर्वानुमान किया। अतः अब लिये गये निर्णय के अनुसार डायमोनियम फास्फेट का इसलिये आयात नहीं हो रहा है ताकि सुपर फास्फेट का प्रयोग हो सके।

श्री लोबो प्रभु : यदि राजस्थान में 14,000 टन सुपर फास्फेट का संग्रह है, तो देश भर में कितना है ?

श्री जगन्नाथ राव : केवल 14,000 टन।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह भण्डार कई मास से पड़ा हुआ है। पिछले छः मास से जब से यह 14,000 टन है, कितना सुपर फास्फेट बेचा गया है ? दूसरे यह कि इसे कृषकों में और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये सुपर फास्फेट को और अधिक शोधित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : जनवरी, 1968 से फरवरी, 1969 तक इस कारखाने में 70,000 टन सुपर फास्फेट का कुल निर्माण हुआ तथा सारे का सारा प्रयोग में लाया जा चुका है। 6,000 टन का आदेश है। 14,000 टन शेष रह गया है। अभी पिछले सप्ताह में मैंने भारतीय खाद्य निगम, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय एवं पैट्रोलियम तथा कैमीकल्ज विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। वे इस भण्डार को उठाने पर सहमत हो गए हैं। अतः भविष्य में अब कोई कठिनाई नहीं होगी।

प्रश्न के दूसरे भाग—सुपर फास्फेट के निपटान—के सम्बंध में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सिंगल सुपर-फास्फेट कृषकों में लोकप्रिय नहीं है। इसलिए योजना आयोग ने एक समिति की नियुक्ति कर दी है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी कि संश्लिष्ट उर्वरक का निर्माण किस प्रकार किया जाए जिससे कि सुपर-फास्फेट में अन्य नाइट्रोजन युक्त खाद्य मिश्रित कर कृषकों के प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाए।

Shrimati Agam Das Guru Minimata : I want to know the production capacity of Sindri Chemical and Fertilizer Factory, and whether this factory is capable to meet the demands of the country ? I also want to know how the fertilizer, produced there, would be distributed ? Will the fertilizer be distributed through cooperative societies or through non-official agencies ?

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न का सम्बन्ध हिन्दुस्तान जिंक लि० से नहीं है। यह तो सीन्दरी से सम्बन्धित है।

पोलीस्टर फाइबर प्लान्ट्स (कारखाने)

*1353. **श्री सीताराम केसरी ·**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलीस्टर फाइबर कारखानों की स्थापना के लिये सरकार ने और अधिक लाइसेंस देने का निर्णय किया है;

(ख) ये लाइसेंस किन-किन पार्टियों को दिये जायेंगे और क्या कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है;

(ग) इस समय देश में पोलीस्टर फाइबर की कुल कितनी आवश्यकता है और वर्ष 1973-74 के अन्त तक कितनी होगी;

(घ) इस समय भारत में कितना फाइबर तैयार किया जाता है और इसके उत्पादकों के नाम क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने फाइबर का आयात किया गया; और

(च) तीनों एककों में उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार ने तीन और पोलीस्टर फाइबर कारखानों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है ।

(ख) किन तीन कारखानों को यह लाइसेंस दिया जाए, इस बात का निर्णय करना है । विदेशी तकनीकी सहयोग की कल्पना की जाती है । परन्तु इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या इन कारखानों में विदेशी पूंजी लगेगी ।

(ग) इस समय इसकी खपत का अनुमान 5,000 टन का है तथा 1973-74 में इसकी मांग लगभग 22,000 टन के होने का अनुमान है ।

(घ) इस समय भारत में इस फाइबर का केवल एकमात्र उत्पादक सर्वश्री कैमीकल्ज एण्ड फाइबर्ज (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई में है । 1968 में उनका उत्पादन 4,697 टन था ।

(ङ) वर्षवार आयात मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा		मूल्य (लाख में) रुपये
1965-66	1074	टन	119.9
1966-67	321.5	,,	34.6
1967-68	364	,,	37.8
1968-69	210.9	,,	18.20

(केवल अप्रैल से सितम्बर तक)

पोलीस्टर तथा अन्य सेल्यूलोस रहित संश्लिष्ट फाइबर का आयात अप्रैल, 1968 से राज्य व्यापार निगम के द्वारा होता है ।

(च) लाइसेंस दिए जाने के लिए प्रस्तावित तीनों एककों से 1972 के आसपास उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ।

Shri Sita Ram Kesri : I am happy to see the statement of the Hon. Minister that import of polyester fibre has come down. He has said that he wants to establish and license three more plants. I want to know that apart from Petro-Chemical plant situated in Gujarat whether the three more plants to which he wants to give licences are in public sector or in private sector ? I also want to know the extent of investment Government desires to make ?

श्री दा० रा० चह्वाण : गुजरात में स्थित इस पैट्रो-कैमीकल संश्लिष्ट कारखाने को सरकारी क्षेत्र में दो अलग-अलग कारखानों के रूप में स्थापना करने के विचार की यह सम्पूर्ण योजना है, एक तो ऐरोमेटिक के लिए तथा दूसरा बेनजोन तथा बुटाडायन निष्कर्षण के यूनिटों के साथ सम्बद्ध नैप्था-क्रैकर के लिए है । ऐरोमेटिक कारखाने का पूंजीगत परिव्यय 18 करोड़ रुपये का होगा तथा नेप्था-क्रैकर कारखाने का पूंजीगत परिव्यय 19 करोड़ रुपये का तथा अन्य सम्बद्ध यूनिट, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, उन पर 12 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय होगा । ऐरोमेटिक परियोजना के अन्तर्गत लगभग 40 करोड़ रुपये की पूंजी के गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक योजनाओं के लाइसेंस दिए जायेंगे । नेप्था-क्रैकर कारखाने से संयुक्त अनुप्रवह यूनिट से सम्बद्ध 80 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय होगा ।

Shri Sita Ram Kesri : I want to know the extent of foreign exchange involved in the investment you are going to make ?

You have now said that you have not arrived at a decision whether collaboration with any foreign firm will be made. I have come to know that you have gone into a contract with M/s Crup and in this regard you have some discussions with West Germany for credit facilities. This question also seems to be under your consideration. I want to know whether any foreign exchange investment is involved ? We should be informed whether any foreign exchange will be utilised ?

श्री दा० रा० चह्वाण : ऐरोमेटिक परियोजना के लिए 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । अनुप्रवह कारखाने के सम्बन्ध में, जिसका उल्लेख मैंने किया, 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री क० प्र० सिंह देव : प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा इस सदन में यह विश्वास दिलाए जाने पर कि प्रादेशिक असन्तुलनों तथा असमानताओं को दूर किया जायेगा, परन्तु इस दिशा में स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा में पोलीस्टर के रेशे का संयंत्र लगाने के लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया है क्योंकि उड़ीसा में तकनीकी जानकारी प्राप्त उद्यमी हैं ? क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार

को लाइसेंस देने से इन्कार किया जा रहा है क्योंकि पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री उड़ीसा को हानि पहुंचा कर इस संयंत्र को रायबरेली में लगवाने के पक्ष में हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पोलीस्टर रेशे के चार संयंत्रों को लाइसेन्स देने का विचार है। इस आवेदन-पत्र के सम्बंध में जिसका उल्लेख किया गया है, अभी तक 23 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं। इन सब संयंत्रों के विषय में जो आशय-पत्र दिए गए हैं, इन पर लम्बित आवेदन-पत्रों के साथ कार्यवाही की जायेगी तथा ये लाइसेंसिंग समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

श्री एस० आर० दामानी : क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि औद्योगिक उपयोग करने वालों के लिए कितना और नागरिक उपभोग के लिए कितना उत्पादन होगा ? दूसरे, इससे कपड़ा उद्योग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इससे लगभग 22,000 टन पोलीस्टर रेशे का उत्पादन होगा जिसे कपास में मिलाकर कपड़े का उत्पादन किया जाएगा।

श्री एस० आर० दामानी : यह कपड़ा उद्योग को कैसे प्रभावित करेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसका निर्धारण करने में समय लगेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तो यही कहूंगा कि देश के उत्तरवर्ती भाग के साथ बहुत अधिक अन्याय किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि संसद् के दोनों सदनों के 48 संसद् सदस्यों ने उनसे निवेदन किया था कि उत्तर भारत को पोलीस्टर रेशे का संयंत्र लगाने से वंचित नहीं रखा जाए ? मैं प्रादेशिक असन्तुलनों को समाप्त करने तथा प्रादेशिक समानता बनाए रखने के सन्दर्भ में यह प्रश्न कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अनेक कपड़ा उद्योग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का संयन्त्र लगवाने के लिये अनेक संसद् सदस्यों के निवेदन करने पर भी मुफतलाल समूह को अब इस आशय का पत्र भेजा है, जिनका आज पैट्रोकैमीकल्स के सम्बन्ध में पूर्ण एकाधिकार है ? यदि हां, उत्तर भारत को इससे वंचित करने तथा हैचेट कम्पनी के साथ एक और विदेशी सहयोग करने के नाम में मुफतलाल समूह को आशय-पत्र भेजने के क्या कारण हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, अथवा उत्तर प्रदेश की न्यायोचित मांग को अस्वीकार करते हुए मुफतलाल समूह को आशय-पत्र की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में क्या वे अपने पहले निर्णय का खण्डन करेंगे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह सत्य है कि 30 या 40 संसद् सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला है तथा मंत्रालय में इसे निरूपित कर दिया गया है। दूसरे, यह भी सत्य है कि 1966 में मुफतलाल समूह के नाम एक मांग-पत्र भेजा था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वह समूह पहले से ही एकाधिकार का उपभोग नहीं कर रहा है ? अत: क्या यह सरकार की प्रतिग्रहीत नीति के विरुद्ध नहीं जा रहा था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले उत्तर सुनने दीजिए और तब प्रश्न पूछिये ।

श्री दा० रा० चह्वाण : वास्तविकता यह है कि अनुप्रवह यूनिटों के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे, तथा आवेदकों में से यह भी एक पार्टी है जिसने 1966 में अपना आवेदन-पत्र भेजा । जैसा कि मैंने कहा है कि समस्त आशय-पत्र जो लम्बित आवेदन-पत्रों के साथ दे दिये गये हैं, उन पर लाइसेंस देने वाली समिति विचार करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि किस दल को लाइसेंस दिये जायेंगे । मैं तो उन आश्वासनों को याद कर रहा हूं जो कि एकाधिकारों को समाप्त करने के प्रयास के बारे में इस सदन में सरकार द्वारा दिये गये थे । यहां एक सर्वाधिकार प्राप्त समूह है जो समस्त विशेषाधिकारों का उपयोग करता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस पर विश्वास न करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं यह प्रश्न करना चाहता था । क्या वह समूह इस क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा कि मैंने कहा है कि इसके चार यूनिट होंगे । पोलीस्टर रेशा जो देश में एक नया उत्पादन है, के सम्बन्ध में 1966 में मुफतलाल समूह के नाम एक आशय-पत्र भेजा गया था । कैमिकल फाइबर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से देश में केवल एक ही कम्पनी है जो पोलीस्टर रेशों का उत्पादन करती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह मुफतलाल समूह से सम्बन्धित है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह पोलीस्टर रेशे का उत्पादन नहीं करती । देश के उत्तरी भाग में इस संयंत्र के लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्रालय में निर्णय कर लिया गया है कि यह देश के उत्तरी भाग में लगेगा ।

श्री रा० कृ० सिंह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आवास हैं जिन्होंने पोलीस्टर रेशे का उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं । क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आवेदन-पत्रों की जोरदार सिफारिश की है तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व में विशेषकर फैजाबाद के विभाग में इस संयंत्र को लगाने के लिये कहा है, और यदि हां, तो सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कुछ सिफारिशें की गई हैं । जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि एक संयंत्र को तो उत्तर में लगाया जायेगा ही ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the hon. Minister in his reply has said :

"At present, the only producer of this fibre are M/s. Chemicals and Fibres (India) Ltd ; Bombay. Their production in 1968 was 4697 tonnes."

So far only one firm is producing this fibre. This is a clear case of monopoly, when the policy of Government is against these monopolies. I have already once said that the secretary of Governments Ministers and Industrialists are conspiring in a way so that monopoly should stay. I want to know that since this factory has started production how many applications in this connection have been received by Government and from whom, and why have these been refuted when there is great demand of this fibre in the country.

There is a great demand of this fibre in the country. Why has a man been allowed to establish a monopoly in its production. May I know whether the Minister will institute an enquiry into this matter and whether the officers responsible for it will be punished.

श्री दा० रा० चह्वाण : देश में यही एक ऐसी कम्पनी है जो आयातित कच्चे माल से पोलीस्टर रेशे तैयार कर रही है। अब गुजरात की मैसर्स एरोमेटिक में डी० एम० टी० का उत्पादन होने लगेगा और इस एकक को पोलीस्टर रेशे बनाने वाली अन्य कम्पनियों के साथ मिला दिया जायेगा क्योंकि इसमें केवल 22,000 टन टी० एम० टी० का उत्पादन होगा। पोलीस्टर रेशे के लिये यह मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। कई आवेदन मिले हैं, जो विचाराधीन हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I also asked about past. Why was a man being allowed to monopolise in producing polyester fibre.

श्री दा० रा० चह्वाण : चूंकि केवल यही कम्पनी पोलीस्टर रेशों का उत्पादन करने के लिये आगे आयी थी इसलिये उसे ही इसकी अनुमति दी गई।

श्री मनुभाई पटेल : इस रेशे के लिए कच्चा माल बनाने के लिए चार बड़े एककों को अनुमति दी जायेगी, ऐसा समाचार मिला है। गुजरात में 50,000 विद्युत चालित करघे हैं और वहां की सहकारी यूनियन ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। क्या सरकार अन्य पार्टियों की तुलना में सहकारी यूनियन को प्राथमिकता देगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी पर विचार किया जायेगा। इस यूनियन के आवेदन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री० कण्डप्पन : सरकार की जो विद्वेषपूर्ण लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति है, उससे देश के औद्योगिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर में तीन एकक लिखे हैं और मंत्री महोदय चार एककों की बात कहते हैं विश्वास किसका किया जाये ? विवरण में यह स्पष्ट लिखा है कि 1972-73 तक हमें 22,000 टन की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास केवल 5,000 टन माल उपलब्ध है। यदि आज भी कारखाने लगायें तो शायद 1972-73 तक उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। परन्तु इसमें अभी काफी विलम्ब होगा। तमिलनाडु में पहले एक कम्पनी को आशय-पत्र जारी किया गया था फिर किसी दूसरी को। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में शीघ्र ही कारखाने लगवाने का प्रयास करेगी और तमिलनाडु में संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न में कोई ऐसी बात नहीं है जो भ्रामक हो। मैंने एककों की संख्या चार बताई है परन्तु इसमें सिन्थेटिक फाइबर इंडिया लिमिटेड जिसे 4,500 टन पोलीस्टर देशों के उत्पादन का लाइसेंस पहले से ही प्राप्त है और उसे 1,600 टन की क्षमता के लिए लाइसेंस और दिया जायेगा। इसलिए मैंने सबको मिलाकर चार एकक बताये हैं। मद्रास से प्राप्त आवेदन पर विचाराधीन अन्य 25 आवेदनों और लाइसेंसिंग समिति द्वारा जारी किये गये आशय-पत्रों के साथ विचार किया जायेगा।

श्री रा० बरुआ : उत्तर से ऐसा पता चलता है कि एरोमैटिक्स पोलीस्टर रेशे बनाने के काम में आता है। नूनमती के कारखाने में एरोमैटिक्स बड़ी मात्रा में काफी समय से जमा पड़ा है। क्या सरकार वहां पर एकत्र और जमा हुए कच्चे माल को उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : नूनमती से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह कुछ हद तक अस्पष्ट है और कुछ उसमें गलतियां हैं। उसकी मांग इस समय 10,000 टन से अधिक है। यदि मंत्री महोदय उस माल का हिसाब लगायें जो वित्त मंत्रालय के द्वारा चोरी-छिपे लाये जाते समय पकड़ा गया तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। बोरेक्स कैमिकल का मूल्य 8,500 रुपये है, 7,000 रुपये नहीं। मंत्री महोदय ने अवेदनों के विचाराधीन होने की बात भी कही है। ये आवेदन कितने समय से विचाराधीन हैं और पहला आवेदन कब किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या उड़ीसा के आवेदक के पास तकनीकी जानकारी है और पहला आवेदन कब मिला था और वह कितने समय तक विचाराधीन रहा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पहला आवेदन 1966 में किया गया था। वास्तव में गुजरात में नैफ्था कारखाने में एरोमैटिक्स का कारखाना लगाया गया था। इस बात पर 1963 में विचार किया गया था। इसके बाद लोगों से आवेदन मांगे गये और पहला आवेदन 1966 में आया था। यह एकदम आधुनिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता वाला उद्योग है। इसके बारे में यह कहना अनुचित है कि समय अधिक लग रहा है। तकनीकी जानकारी, सहयोग आदि अन्य सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो आवेदन अभी विचाराधीन हैं उन पर लाइसेंसिंग समिति विचार करेगी।

श्री रंगा : कल मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह किसी भी मामले पर दो सप्ताह से अधिक का समय नहीं लेते हैं और आज स्वयं उनके मंत्रालय के दूसरे मंत्री यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि यह काफी लम्बी अवधि थी।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : कुछ मित्रों ने एकाधिकार की बात कही है। वस्तुत: आई० सी० आई० विदेशी कच्चे माल को मंगाकर उससे पोलीस्टर रेशे बना रही थी। अब हम गुजरात में ऐरोमैटिक उद्योग-समूह स्थापित करने जा रहे हैं। उससे हमें कच्चा माल प्राप्त होगा। उत्पादन दो वर्ष में शुरू होगा। उस कच्चे माल को काम में लाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। पोलीस्टर रेशे का कारखाना स्थापित करने के लिए हमने 1966 में आवेदन मांगे थे। काफी आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से तीन-चार को आशय-पत्र जारी किये गये थे। परन्तु अब सरकार ने यह सोचा है कि तकनीकी जानकारी को केन्द्रीय स्तर पर खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए सरकार की और से प्रयास किया जा रहा है। विदेशों से बातचीत चल रही है। इस मामले में विलम्ब नहीं हो रहा है क्योंकि गुजरात में उत्पादन अभी दो वर्ष तक होगा। इस बीच इस पर निर्णय कर लिया जायेगा। सभी आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। लाइसेंसिंग समिति इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लेगी।

Shri Tulsidas Jadhav : The question of regional imbalance, decentralisation of wealth and monopoly is often raised. May I know whether Government have any scheme, under which such steps may be taken as will help in doing away with the monopoly and in removing the regional imbalance ? Does such a rule exist; if so, will the licences be issued in accordance with the same ?

श्री दा० रा० चह्वाण : लाइसेंस देते समय लाइसेंस देने वाली समिति इन सब बातों पर विचार करती है।

श्री राजाराम : उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत पुरानी समिति है और उसके सदस्यों का पता आपको पहले से ही होना चाहिए।

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने कहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन आदि को समाप्त करने में सहायक सभी बातों पर विचार किया जायेगा।

श्री तुलसीदास जाधव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : Sir, he told that the first application was received three years ago. But they have not yet decided. The reason for it is the monopoly of I. C. I. in this industry all over the world. It is due to the influence of I.C.I. that we have not been successful in making negotiations in matter of getting technical know-how from other countries. In this context I would like to know why the Licensing Committee is taking such a long time ; secondly how long you will go on importing it ?

श्री दा० रा० चह्वाण : न केवल आई० सी० आई० बल्कि अन्य कम्पनियों के साथ भी बातचीत चल रही है। इनके नाम इस प्रकार हैं—केमटेक्स (अमरीका), इनवेन्टा (स्विटजरलैंड), होचेस्ट (पश्चिमी जर्मनी), मोन्टेसिटिनी (इटली), तेइजिन (जापान), विकर जिमर (पश्चिमी

जर्मनी) और मनरेर (स्विटजरलैंड) जिस कम्पनो की शर्तें हमारे लिए लाभदायक होंगी, उसकी पेशकश स्वीकार की जायेगी ।

श्री कार्तिक ओरांव : आत्मनिर्भर होने के लिये यह आवश्यक है कि हम आयात कम करें । अपने देश के संसाधनों का सदुपयोग किये बिना ही हमें विदेशों से कच्चा माल मंगाते रहने का चाव है । क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि पोलीस्टर रेशे की कुल मांग कितनी है, देश में उसका उत्पादन कितना है और देश में उपलब्ध कच्चे माल से उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : कुछ वर्ष पूर्व आसाम की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास आसाम में एक पेट्रो-कैमिकल उद्योग-समूह की स्थापना के लिए स्वीकृति हेतु एक आवेदन भेजा था । उस उद्योग-समूह में पोलीस्टर रेशे का उद्योग भी सम्मिलित था । यह जापान की एक फर्म के साथ स्थापित किया जाना था । केन्द्रीय सरकार ने अभी तक उसे स्वीकृति क्यों नहीं दी है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसके लिये मुझे अलग से सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री धीरेश्वर कलिता : क्यों ? आपके पास वह आवेदन-पत्र है ? **(अन्तर्बाधायें)**

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न का सम्बन्ध पोलीस्टर रेशे से है । आसाम से सम्बन्धित प्रश्न के लिये मुझे अलग से सूचना चाहिए । मैंने यही कहा है ।

Production of Fertilizer without Sulphur

\+

*1354. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Potroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sindri Research Department has evolved a process of producing fertilizer without sulphur ;

(b) if so, the nature and extent of benefit that will accrue with the help of the said process considering the shortage of sulphur for use in fertilizer production ; and

(c) the details of the future plan drawn in this regard ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). क्योंकि प्रक्रियाएं अभी तक पायलट संयंत्र/अर्ध संयंत्र परीक्षण आधीन हैं, होने वाले लाभ तथा अन्य ब्योरों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

Shri Suraj Bhan : May I know whether the fertilizer without sulphur will be cheaper than the fertilizer with the sulphur ; and whether it will have more fertility contents ?

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रश्न यह है कि क्या उर्वरक निगम के योजना और विकास प्रभाग ने कोई ऐसी विधि खोज निकाली है जिससे फास्फेटी उर्वरक बिना गंधक के बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में अभी परीक्षण किये जा रहे हैं। फास्फेटी खाद मुख्यतः गंधक से ही बनता है। और गंधक हमारे देश में देशी संसाधनों से उपलब्ध नहीं होता। उसका आयात करना पड़ता है। इसलिये गंधक के स्थानापन्न के लिए खोज की जा रही है।

Shri Suraj Bhan : Sir, the Hon. Minister has not answered my questions.

श्री दा० रा० चह्वाण : यदि गंधक का स्थानापन्न खोजने में सफलता मिल जाती है, तो बिना गंधक के बनाया जाने वाला उर्वरक निश्चय ही उस उर्वरक से सस्ता होगा जो आयातित गंधक से बनाया जाता है।

Shri Suraj Bhan : What is about its fertility capacity ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने कहा है कि इस बारे में अभी परीक्षण किये जा रहे हैं।

Shri Suraj Bhan : There is a pyrite stone which can be utilized as a substitute for fertilizer. Will you exploit it also ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हम अमझोर की पायराइट की खानों से पायराइट पत्थर निकाल रहे हैं और वहां पर एक कारखाना भी लगाया जा चुका है जिससे इस पत्थर से प्रतिदिन 400 टन गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Sir, now Government is purchasing the fertilizers at the rate of Rs. 250/- per ton while it is being sold at the rate of Rs. 400/- per ton. May I know the fertility capacity of the new fertilizer being prepared by Sindri Research Department will be more and it will be cheaper than the old fertilizer, and whether it will also require cattle-dung to supplement it ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्ध है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

Shri Ram Gopal Shalwale : Sir, my question has not been answered. He evades answer in this manner.

Mr. Speaker : How can he answer if it is not related to his Ministry ?

Shri Maharaj Singh Bharati : There is dearth of sulphur not only in India but all over world. May I know whether it is a fact that cheap fertilizer is being produced with the Nitric acid and they gave us an offer to provide technical know-how in this respect ; if so, the progress made by Government in this direction ?

श्री दा० रा० चह्वाण : उर्वरक उत्पादन के लिये गंधक के अम्ल के स्थान पर नाईट्रिक अम्ल और हाइड्रो-क्लोराइड अम्ल को काम में लाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Shri Maharaj Singh Bharati : What is the progeess made in this direction ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं।

श्री प० गोपालन : ऐसा पता चला है कि उर्वरक निगम के वैज्ञानिकों ने कुछ देशी कैटेलिस्ट और रसायनिक तत्व तैयार किये हैं जो उर्वरक के लिये कच्चे माल के रूप में प्रयोग में

लाये जा सकते हैं। निगम ने उसी आधार पर एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिये सरकार से अनुमति मांगी थी। परन्तु सरकार ने उसे स्वीकृति देने के बजाय अमरीका की कैटेलिस्ट्स एण्ड कैमिकल्स नामक फर्म को ऐसा कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दे दिया। उर्वरक निगम को अनुमति न दिये जाने और अमरीका फर्म, जिसका इस क्षेत्र में एकाधिकार है, को लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे इसके लिये अलग से सूचना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, in order to have more sulphur in India the sulphur mine in Amjhore should be developed. For this purpose a plant was to be set up there, but now it is reported that this plant will be set up at Faridabad instead of Amjhore. It will badly affect the development of sulphur. What is the reaction of Government to it ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह सच नहीं है।

उर्वरक कारखानों के लिये नियत की गई भूमि

*1355. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक कारखानों को कुल कितनी भूमि का नियतन किया गया है और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : 6 परियोजनाओं के सिवाय, जिनकी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, सारी उर्वरक परियोजनाओं के बारे में अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

परियोजना का नाम	नियत की गई भूमि	क्षमता
1. **सरकारी क्षेत्र**		
1. सिन्दरी	6156 एकड़	117,000 मीटरी टन नाइट्रोजन
2. नांगल	3690 एकड़	80,000 ,,
3. ट्राम्बे	825 एकड़	90,000 ,,
		42,500 P_2O_5
4. नामरूप	809 एकड़	45,000 मी० टन नाइट्रोजन
5. नामरूप विस्तार	275 एकड़	152,000 ,,
6. गोरखपुर	1017 एकड़	80,000 ,,
7. दुर्गापुर	1700 एकड़	152,000 ,,
8. बरौनी	680 एकड़	152,000 ,,
9. मद्रास	330 एकड़	190,000 ,,
		80,000 P_2O_5

2 गैर-सरकारी क्षेत्र

10. गुजरात	650 एकड़	216,000 मी० टन नाइट्रोजन 50,000 मी० टन $पी_2$ $ओ_5$
11. विशाखापटनम	500 एकड़ (पोर्टट्रस्ट द्वारा पट्टे पर दी गई)	80,000 मी० टन नाइट्रोजन 73,000 मी० टन $पी_2$ $ओ_5$
12. एन्नौर	848 एकड़ (प्राइवेट पार्टियों से खरीदी गई भूमि को शामिल न करते हुए)	16,000 मी० टन नाइट्रोजन
13. कानपुर	286 एकड़	200,000 मी० टन नाइट्रोजन
14 गोआ	500 हैक्टर्ज (1235 एकड़)	160,000 मी० टन नाइट्रोजन

Shri Kameshwar Singh : Mr. Speaker, first of all I would like to submit that this Ministry has been misleading the House for quite a long time by giving incorrect information. In reply to part (c) of Unstarred question No. 3497 given on 11th March 1968, it was stated that "About 650 acres are generally considered reasonable for a project of this size." In reply to starred question No. 322 given on 25th November 1968 it was stated that 317 hectares were allotted to a fertilizer plant being set up by some Birla Company.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में इन सब बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

Shri Kameshwar Singh : The statement placed on the Table says that a private sector fertilizer plant being set up in Goa has been allotted 1235 acres of land while it will have a capacity of 160,000 tonnes while, on the contrary I. C. I. Kanpur has been allotted 286 acres of land and its capacity is 200,000 tonnes. Similarly Gujarat Fertilizer Plant has been allotted 650 acres of land, which has capacity of 216,000 tonnes. May I know the propriety of allotting 1235 acres of land to Birlas for a fertilizer plant having capacity of 160,000 tonnes ?

श्री दा० रा० चव्हाण : ऐसी बात नहीं है कि भूमि किसी को दी जा रही है । किसी भी परियोजना विशेष की आवश्यकताओं को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाता है और फिर उनके साथ बातचीत की जाती है । जहां तक बिड़ला बन्धुओं को भूमि दिये जाने का प्रश्न है इसका उत्तर पहले भी दिया जा चुका है । परियोजना के लिये लगभग 670 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी । अब लगभग एक-तिहाई भूमि फ्लाइट टनल के अन्तर्गत आ गई है अतः इस पर मुख्य इमारत नहीं बन सकती क्योंकि डबोलिन हवाई अड्डे के कारण उसकी ऊंचाई के बारे में कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं । यही कारण है कि उनको और अधिक भूमि दी गई है ।

Shri Kameshwar Singh: The hon. Minister has just now stated that the land is given by the State Governments. I want to know why the same restrictions have not been imposed on the I. C. I. Fertilizer Plant which is also located near Kanpur city? Why they have not been allotted extra land. Birlas are getting more and more land while the landless labourers are not getting any land. Already Birlas have strong hold over the industries and now they are spreading their net over the land also. May I know whether the Hon. Minister would enquire into the circumstances under which more land has been allotted to Birlas and a report thereof will be laid on the Table?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसमें जांच करने का कोई प्रश्न नहीं है। मांग किये जाने के पश्चात् उर्वरक परियोजना के स्थापित हो जाने के पश्चात् प्रशासन द्वारा इस बात की जांच की गई तथा उनको भूमि दी गई। जैसा मैंने बताया है उनको इसलिये भूमि दी गई थी क्योंकि उनकी एक-तिहाई भूमि फ्लाइ टनल के अन्तर्गत आ गई थी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : वक्तव्य से लगता है कि सरकारी उर्वरक कारखानों को गैर-सरकारी समवायों की तुलना में अधिक भूमि दी गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने को दी गई 6156 एकड़ अतिरिक्त भूमि का क्या उपयोग किया गया है।

श्री दा० रा० चह्वाण : सिन्दरी उर्वरक कारखाने की फालतू भूमि पर सलफ्युरिक एसिड प्लांट स्थापित किया जायेगा जिसकी क्षमता प्रतिदिन 800 टन की होगी। जहां तक सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का सम्बन्ध है, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी विभाग द्वारा उनको कम से कम भूमि रखने के अनुदेश जारी किये गये हैं ताकि रखरखाव सम्बन्धी सुविधाओं पर कम से कम खर्च हो।

श्री द्वा० ना० तिवारी : गत दस से बारह वर्षों से यह भूमि परती भूमि के रूप में पड़ी हुई है। इस भूमि का इस समय किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है।

श्री दा० रा० चह्वाण : इस समय इस भूमि को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है परन्तु इस भूमि को इसलिये लिया गया था कि भविष्य में सिन्दरी उर्वरक कारखाने का विस्तार किया जायेगा।

श्री को० सूर्यनारायण : क्या सरकार को पता है कि विभिन्न कारखानों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है, क्या सरकार उस भूमि को गरीब भूमिहीन मजदूरों को देने पर विचार करेगी? अथवा क्या इस भूमि को बेकार रखने के स्थान पर सरकार इसे अधिक अनाज उपजाओ अभियान के लिये अस्थाई तौर पर अपने कार्यक्रमों के लिये देने पर विचार करेगी? ऐसी भूमि को अधिक अनाज उपजाओ अभियान के प्रयोजन हेतु देने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं?

श्री दा० रा० चह्वाण : नांगल फर्टिलाइजर के पास 3,000 एकड़ से अधिक भूमि है इसके

पास 3400 एकड़ भूमि है इसमें 1042 एकड़ भूमि राज्य सरकार को लौटा दी गई है ताकि इसे मूल मालिकों को वापस दिया जा सके। इसको फालतू समझा गया है।

श्री रंगा : क्या वह इसी नीति का अनुसरण करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि भूमि का सभी स्थानों पर प्रयोग किया जायेगा।

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Utility of Pong Dam to Rajasthan

\+

अ०सू०प्र०सं० 18. **Shri Onkar Lal Bohra :**
Shri S. K. Tapuriah :
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) how far Rajasthan would be benefited through Pong Dam which is proposed to be completed by 1972, if Rajasthan canal is not completed by that time ;

(b) what would be the utility of this Dam, if no benefit accrues to Rajasthan therefrom due to non-completion of Rajasthan canal project ; and

(c) whether Government propose to take a decision in regard to the completion of Rajasthan Canal simultaneously with Pong Dam ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पोंग बांध 1973 में पूर्ण होना अनुसूचित है। वर्तमान स्थिति के अनुसार राजस्थान नहर का प्रथम चरण अर्थात् 122 मील तक, लगभग इसी समय तक पूर्ण होगा। पोंग बांध जलाशय के कारण, प्रथम चरण में रबी ऋतु के दौरान लगभग 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जायगी। यह परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9 लाख एकड़ की खरीफ और रबी की फसलों के लिये सिंचाई पक्की करने के अतिरिक्त होगी।

(ग) राजस्थान नहर के दूसरे चरण के निर्माण-कार्य को आरम्भ करके पोंग बांध के थोड़ी ही देर बाद पूर्ण करने का प्रयत्न करना लाभदायक होगा। किन्तु यह चौथी पंचवर्षीय योजना में परियोजना के लिये प्रस्तावित परिव्ययों पर निर्भर होगा।

Shri Onkar Lal Bohra : I want to draw the attention to the very important problem of Rajasthan as well as of our country. Pong Dam was necessitated because of the Sind Water Treaty. We have a commitment with the World Bank that this Dam will be completed till 1972. Rajasthan Government will bear 53% of its cost and will utilise 60 per cent of the resources available thereby. Keeping in view that there is a famine in the border areas of Rajasthan and that there is shortage of water it was declared that Rajasthan canal whose foundation stone was laid by Panditji in 1958, will be completed as early as possible. I want to know

from the Hon. Minister how the water of Pong Dam if it is completed by 1972, will be utilised if the Rajasthan canal is not completed by that time? I also want to know whether the Rajasthan Canal will be completed side by side till 1972 or not ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि यदि राजस्थान नहर पूरी नहीं होती तो सिन्धु प्रणाली की तीनों नदियों से मिलने वाले पानी का कुछ भाग बेकार जाएगा और वह पाकिस्तान को चला जायेगा । अतः इस नहर को यथासम्भव शीघ्र पूरा करना बहुत आवश्यक है । यदि वित्तीय साधनों की कमी नहीं हुई, जो कि विद्यमान है । हम परियोजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जैसा मैंने मुख्य उत्तर में बताया कि परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो जायेगा और यह अच्छा है कि हम दूसरा चरण आरम्भ कर दें ।

Shri Onkar Lal Bohra : So far 57 crores of rupees have been spent on the Rajasthan Canal. 120 crores of rupees have to be spent to get it completed. Only 27 crores of rupees have been allocated in the Fourth Five Year Plan for this project ; although the Pong Dam will be completed by 1972. I want to know whether the Central Government will take over this national project so that the water of the Pong Dam could be utilised ? I also want to know whether the Central Government will spent the 120 crores of rupees.

डा० कु० ल० राव : चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः हम नहीं जानते कि चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध होगी । यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि केन्द्र द्वारा इसको अपने हाथ में लिया जाता है अथवा नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग संगठन बहुत अच्छा है । प्रथम तो केवल वित्त का है । हम यथासम्भव धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान नहर के लिये अधिक से अधिक राशि रखी जानी चाहिये ।

श्री रंगा : अब तक हमें जो बताया गया है उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कोई विशेष स्थिति नहीं है । वहां पर कोई अकाल नहीं है और न ही वह इस बात को मानते हैं कि वहां पर 15 लाख से अधिक लोग सहायता कार्य पर निर्भर हैं । वहां पर पीने का पानी नहीं है और वहां पर व्यक्तियों, महिलाओं तथा उनके ढोरों के लिये पानी की व्यवस्था तथा निवास की व्यवस्था के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये । इस बात को देखते हुए कि वहां के लोगों को इन कठिनाइयों का सामना है । क्या कारण है कि सरकार ने इस राजस्थान नहर तथा अन्य परियोजनाओं के विकास के लिये धनराशि निर्धारित करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की । क्या कारण है कि मेरे माननीय मित्र पुराना उत्तर दे देते हैं । उनके पास योजनाएं अथवा कार्यक्रम हैं केवल धन उपलब्ध करना शेष है ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान के अन्य भागों में सूखे की स्थिति है, राजस्थान नहर द्वारा जिस क्षेत्र को पानी दिया जाना है उसमें लोग नहीं रहते । यह मरुभूमि है और उसका खेती के लिये विकास किया जाना है । वित्त पर मेरा नियंत्रण नहीं है । इसलिये मैं कहता हूं कि धन का प्रबन्ध किया जाना है । मुझे प्रसन्नता है कि सभा के माननीय सदस्य राजस्थान

नहर की प्रगति के लिये बहुत उत्सुक हैं। मैं माननीय सदस्यों की उत्सुकता के बारे में वित्त मंत्री को सूचित कर सकता हूं शायद धन के लिये कुछ अधिक शक्ति से उनके साथ लड़ सकता हूं।

श्री हेमराज : हम इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि राजस्थान के लोगों को यथासम्भव शीघ्र पानी मिले। मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। क्या यह सच है डा० कु० ल० राव की अध्यक्षता में 14 दिसम्बर, 1968 और इस वर्ष के मार्च में सलाहकार समिति के साथ बैठक हो चुकी है और इसमें यह निर्णय किया गया था कि पोंग बांध क्षेत्र से विस्थापित हुए लोगों को 3.25 लाख एकड़ भूमि दी जायेगी ? यदि हां तो अब जब कि सरकार इस बांध को 1972 तक पूरा करने के लिये बहुत उत्सुक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इन लोगों को पुनः बसाने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या सरकार इन लोगों का पुनर्वास करेगी और उनको राजस्थान में भूमि देगी यदि राजस्थान सरकार उनके लिये ऐसा नहीं करती। क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इन लोगों को उस क्षेत्र से न निकाला जाये यदि उनको राजस्थान में भूमि नहीं दी जानी है ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि वे इन लोगों का पुनर्वास नहीं करेंगे। उन्होंने केवल अपनी कठिनाई का उल्लेख किया है कि उनकी कठिनाई यह है कि राजस्थान नहर के प्रथम चरण के पूरा होने से वह केवल दो लाख एकड़ भूमि दे सकेंगे। उस समय का पंजाब तथा अब हरियाणा सरकार के साथ हुये करार के अनुसार उनको 3.25 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध करनी है। इसलिये वह राजस्थान को और बढ़ाने को कह रहे हैं ताकि और अधिक भूमि उपलब्ध की जा सके। यह बहुत ठीक प्रश्न उन्होंने उठाया है। इसी बात को देखते हुये हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे चरण के लिये अधिक राशि उपलब्ध हो सके।

श्री हेम बरुआ : राजस्थान की पानी की मांग को पूरा करने के लिये पोंग बांध से मिलने वाले लाभ बहुत सीमा तक राजस्थान को उपलब्ध नहीं होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान नहर के निर्माण की प्रगति में क्या बाधाएं हैं और यह प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : पोंग बांध का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। और हमें आशा है कि यह 1973 तक पूरा हो जायेगा। प्रश्न यह है कि पोंग बांध के स्टोर का राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के लिये प्रयोग किया जाना है। जब सारी राजस्थान नहर पूरी हो जायेगी तभी बांध के पानी का पूरा प्रयोग किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है और इसमें कुछ विलम्ब होगा। नहर का प्रथम चरण पूरा होने पर भी पर्याप्त पानी का प्रयोग किया जा सकेगा। हम इस कार्य में तेजी लाने तथा दूसरे चरण को शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु आर्थिक कठिनाइयां मार्ग में बाधा डाल रही हैं।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न अलग था। मेरा प्रश्न राजस्थान नहर के बारे में था। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के निर्माण की प्रगति में क्या बाधायें हैं ?

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझ सका। राजस्थान नहर पर हमने अब तक 56 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और प्रथम चरण को पूरा करने के लिये 35 करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे। ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिये अभी तक प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं परन्तु इस पर 60 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 60 करोड़ में से कितने रुपये उपलब्ध किये जा सकते हैं।

श्री वासुदेवन नायर : गत कई वर्षों से हम इस महान परियोजना अर्थात राजस्थान नहर के बारे में इस सभा में सुनते आ रहे हैं। राजस्थान की समस्याएं केवल राजस्थान की समस्याएं नहीं हैं बल्कि वे राष्ट्रीय समस्याएं हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यदि उनके पास आंकड़े हों तो बतायें कि गत पांच वर्षों में राजस्थान में सहायता कार्यों में श्री मोरारजी देसाई ने कितने रुपये व्यय किये हैं। पिछले दिनों यह बताया गया था कि इस वर्ष 15 अथवा 20 करोड़ रुपये सहायता कार्य पर व्यय किये गये हैं। पिछले पांच वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नहर के लिये कितने धन की मांग की गई और उसकी तुलना में सहायता कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है।

डा० कु० ल० राव : मैं सहायता कार्यों पर खर्च की गई राशि के बारे में आंकड़े नहीं दे सकूंगा क्योंकि यह काम गृह-कार्य मंत्रालय का है। परन्तु मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सहायता कार्य को जारी रखना होगा क्योंकि ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है और ये राजस्थान के अन्य भाग हैं जिनका नहर से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि राजस्थान नहर पूरी भी कर ली जाये तो भी सहायता जारी रखना होगा क्योंकि जब तक कमी वाले क्षेत्रों में अर्थात जैसलमेर में हम परियोजनाएं नहीं बनाते वहां पर कमी की स्थिति बनी रहेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sub-letting of Quarters

*1356. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the Government servants living in Government quarters in the Capital have partially or fully sub-let their quarters illegally ; and

(b) if so, whether Government propose to get this matter investigated by the Central Intelligence Department and to punish the guilty Government servants ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A Government servant allotted a general pool residence can share the same with a person of eligible categories decided by the Government from time to time, by charging reasonable rent for the portion placed at the disposal of the sharer. If the residence is shared on the basis other than that mentioned above or is completely sub-let, it will be tantamount to unauthorised sub-letting and attracts penal provisions of the Allotment Rules. Where complaints about partial or full sub-letting of Government quarters are received, necessary enquiries are made and Government employees found guilty of unauthorised sub-letting are punished.

(b) Since the Directorate of Estates have the machinery for investigating the cases of unauthorised sub-letting and to deal with and punish the Government servants where the cases are proved, it is not considered necessary to get this matter investigated by the Central Bureau of Investigation.

चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज

*1357. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज के स्थापित किये जाने की वहां के लोगों की मांग है ;

(ख) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान से इस विषय में सलाह की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस संस्था की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि स्नातकोत्तर संस्था के कर्मचारियों के उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज पर बहुत कम व्यय होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो वहां एक मेडिकल कालेज खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) संस्थान फिलहाल एक उपस्नातक चिकित्सा कालेज खोलने के लिये सहमत नहीं हुआ है।

(घ) जी हां।

(ङ) चण्डीगढ़ में चौथी पंचवर्षीय योजना में एक चिकित्सा कालेज का विचार नहीं है क्योंकि इस संघ क्षेत्र की आबादी इतनी नहीं है कि वहां मेडिकल कालेज खोल दिया जाये।

रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति

*1358. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में एक वक्तव्य दिया है कि भविष्य में किसी भी सिविल कर्मचारी को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का गवर्नर नियुक्त नहीं किया जायगा ;

(ख) उपरोक्त वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य को, विशेषतः कांग्रेस दल के चुनावों में हारे हुये किसी भी सदस्य को रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त नहीं किया जायगा जैसा कि अन्य वाणिज्यिक बैंकों में किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा आश्वासन न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राज्य-सभा में बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक पर हुई बहस के उत्तर में यह कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर प्रायः किसी सिविल कर्मचारी को नियुक्त करने की प्रथा, वर्तमान गवर्नर का कार्यकाल पूरा हो जाने पर, बदल दी जायगी ।

(ख) और (ग). इरादा यह है कि इस पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाय जिसे वित्त विषयक ज्ञान और अनुभव हो, चाहे वह व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो । सरकार अपने चुनाव का दायरा किसी भी तरह सीमित नहीं करना चाहती ।

ताप्ती तथा नर्मदा नदियों की बाढ़ के नियंत्रण की योजना

*1359. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात सरकार के इंजीनियर तथा विशेषज्ञ हाल में ताप्ती तथा नर्मदा नदियों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में गये थे और उन्होंने इन नदियों में बाढ़ों को रोकने के लिये तैयार की गई योजना के ब्योरे पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने और राज्य के अभियंताओं ने जनवरी, 1969 में ताप्ती और नर्मदा क्षेत्रों का निरीक्षण किया था ।

ताप्ती नदी के स्थल-निरीक्षण से पता चला कि नदी क्षेत्र के बहुत से हिस्से पर भवन तथा अन्य विकास कार्य बने हुए हैं । पुलों के लिये जलमार्ग भी तंग थे । काम्बे की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व लगभग $1\frac{1}{2}$ मील तक यह नदी अपेक्षतया कम चौड़ी है और कहीं-कहीं तल पर रेत की

पट्टियां हैं। यह सुझाव दिया गया है कि नदी की इस तंग पहुंच में तलकर्षण किया जाए। इस पहुंच में उपान्तीय तट बन्ध इस तरह बनाये जाने थे कि उनके बीच में कुछ फासला रहे जो दो फुट तक के प्रवाह के लिए पर्याप्त हो। इस उद्देश्य के लिये अनुसंधान और अध्ययन करने होंगे। सूरत नगर और नीचे के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये ताप्ती नदी के किनारों तक की क्षमता से अधिक बाढ़ के पानी के लिये एक उप-द्वार की व्यवस्था के बारे में जांच करनी होगी।

नर्मदा के सम्बन्ध में यह महसूस किया गया था कि भड़ोच नगर में बाढ़ पानी के प्रवेश को उपयुक्त निकास द्वारों की व्यवस्था करके, निकास नालियों के किनारों के साथ-साथ तटबन्धों का निर्माण करके, उन्हें ऊंचा और पक्का करके नियंत्रित किया जा सकता है। कहीं-कहीं कुछ पम्पों की व्यवस्था भी अपेक्षित होगी। नर्मदा पर सम्भाव्य बांधों और अन्य इंजीनियरी कार्यों को ध्यान में रखकर समस्त नदी के लिए बाढ़ संरक्षण उपायों की एक व्यापक योजना बनाना आवश्यक है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग राज्य सरकार के साथ परामर्श करके नर्मदा के लिये भड़ोच में और ताप्ती के लिये सूरत में बाढ़ पूर्व सूचना यूनिट स्थापित कर रहा है।

Smuggling in Border Areas

*1360. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the further progress made to check smuggling in the border areas;

(b) the areas where this illegal trade is going on particularly; and

(c) whether some neighbouring countries are also taking interest in it?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) In order to check smuggling on Indo-Nepal border, additional mobile preventive parties and check-posts have been created and additional staff have been made available to all Collectors concerned. The provisions of the Customs (Amendment) Act, 1969, are also being utilised to check smuggling in all the border areas.

(b) There is some smuggling across the Indo-Nepal and Indo-Pakistan borders. The main areas where this smuggling takes place are the border districts of Bahraich, Gonda, Basti and Gorakhpur in U. P.; Champaran and Purnea in Bihar; Darjeeling, Nadia and 24 Parganas in West Bengal; Cachar in Assam; Amritsar, Gurdaspur and Ferozepore in Punjab; Ganganagar, Bikaner, Barmer in Rajasthan.

(c) The Government have no information.

Subzimandi in Azadpur, Delhi

\+

*1361. **Shri Om Prakash Tyagi:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri Deven Sen:**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) when the decision to shift the shops of Subzimandi in old Delhi to a new site in Azadpur will be implemented;

(b) the details of the decision taken ;

(c) the amount required for the construction of shops for mandi of fruits and vegetable in Azadpur ;

(d) whether it is a fact that labourers working in the shops of Subzimandi have no residential accommodation and as a result, about one and a half thousand labourers have to face great difficulties ;

(e) if so, whether Government will also consider the construction of a residential colony for labourers along with the construction of a new Subzimandi in Azadpur ;

(f) if so, the amount likely to be spent on the scheme ; and

(g) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Devolopment (Shri B. S. Murthi) : (a) No date for shifting has yet been fixed.

(b) About 800 developed plots are being provided in the new market at Azadpur on which the allottees will have to construct their own shops.

(c) As only plots are proposed to be allotted, the question of incurring expenditure by Government on the construction of shops does not arise. It is difficult to assess what each individual would spend for construction of shops.

(d) The labourers and other persons working in the Subzimandi will have to make their own arrangements for residential accommodation.

(e) Government do not propose to set up a residential colony for the persons working in the Subzimandi.

(f) Does not arise.

(g) As the labourers working on shops at the present Subzimandi have made their own arrangements for residential accommodation, similarly they will have to make their own arrangements while working in the new place.

गुजरात में पैट्रो रसायन उद्योग समूह

*1362. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि गुजरात पैट्रो रसायन उद्योग समूह तथा बम्बई में पैट्रो रसायन के निजी क्षेत्र के एककों की स्वीकृति सरकार द्वारा एक ही समय पर दी गई थी, बम्बई की नेशनल-आर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा हरडिलिया ने कार्य करना शुरू कर दिया है । परन्तु गुजरात पैट्रो रसायन उद्योग समूह द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विलम्ब के कारण पीछे पड़ गये कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). जी नहीं । यह कहना ठीक नहीं है कि तीनों परियोजनाएं एक ही समय अनुमोदित की गई थीं । गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्वीकृति से बहुत पहले 1961 में मैसर्स नेशनल और्गेनिक केमीकल इण्डस्ट्रीज लि० और मैसर्स हरडिलिया केमीकल्स लि० की परियोजनाओं के लिये पार्टियों ने विदेशी पार्टियों से बातचीत की थी ।

इस उच्च सोफिस्टीकेटिड क्षेत्र में उपयुक्त विदेशी सहयोग की प्राप्ति में कठिनाइयों के कारण गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह के विभिन्न हिस्सों को अन्तिम रूप देने में कुछ देरी लगी है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि गुजरात उद्योग-समूह की स्थापना में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं । एक एरो मैटिक यूनिट के लिये ठेके किये गये हैं तथा परियोजना के 1971-72 तक चालू होने का कार्यक्रम है । एक बड़े आकार वाले नेफ्था भंजक के बारे में, सहयोग की स्थापना के लिए प्राप्त विभिन्न पेशकशों में से एक उपयुक्त पेशकश का चयन किया जा रहा है । नेफ्था भंजक पर आधारित अनुप्रवाह यूनिटों के लिये 85.00 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के गैर-सरकारी क्षेत्रीय प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक मंजूरियों के शीघ्र दिये जाने की आशा है ।

गंगा-गोमती योजना

*1363. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-गोमती योजना को स्वीकृति के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रायोजन के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) योजना के पूरा होने पर क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल०राव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गंगा-गोमती नाम की कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

*1364. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी नागरिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). इस समय देश व्यापी आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

Hydro Electric Power

*1365. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the capacity in the country to generate hydro-electric power and the quantity of hydro-electric power being generated at present;

(b) whether it is a fact that electricity can be supplied at the time of peak load only through hydro-electric power;

(c) whether it is also a fact that only nominal foreign aid or exchange will be needed for the generation of Hydro-electric Power; and

(d) if so, the reasons for slow progress in this regard?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The firm hydro power potential in the country has been estimated at 41 million KW at 60% load factor. This is equivalent to energy generation of 210,000 million KWh per annum. The present installed capacity of hydro-electric generating units is 6 million KW and the energy generated from hydro power stations during 1968-69 was about 21,000 million KWh.

(b) Hydro power stations are best suited for operation to meet peak loads. But depending on site conditions, etc., a hydro power station can be designed to operate at any desired load factor.

(c) Yes, Sir.

(d) The installed generating capacity of hydel power stations has increased from 0.5 million KW in 1947 to about 6 million KW by end of 1968-69, indicating significant progress made in the development of hydro power in the country. Hydro power potential is available only at a few places in the country and there are large areas where power has to be generated through other sources like thermal and nuclear.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा इन्द्रियातीत ध्यानावस्था का अध्ययन

*1366. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा इन्द्रियातीत ध्यानावस्था की वैज्ञानिक जांच का अध्ययन आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस परियोजना पर व्यय को किस प्रकार वहन किया जायेगा और इस पर कुल कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) यह अध्ययन ब्यूरो फीजियोलाजिकल परिवर्तनों तथा इन्द्रियातीत ध्यानावस्था से उत्पन्न स्वतन्त्र क्रियाओं के निर्धारण से सम्बन्धित है । ये अनुसन्धान काफी लम्बे समय तक किये जायेंगे अतः इनके परिणाम जानने में कितना समय लग सकता है यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

(ग) इस उद्देश्य के लिये बिना किसी विशेष खर्च की व्यवस्था किये शरीर विज्ञान विभाग में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं से ही ये अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

किसानों को स्टेट बैंक द्वारा सहायता

*1367. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक ने 1968-69 की अन्तिम तिमाही में किसानों को पर्याप्त रूप से अग्रिम धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि दी गई है ;

(ग) ब्याज की दर क्या ली गई है ;

(घ) अग्रिम धन की राशि और प्रतिभूति में कितना अन्तर रखा गया है ; और

(ङ) ऐसे ऋणों तथा अग्रिम धन के लौटाने में असफल रहने पर प्रतिभूतियों से कितनी राशि वसूल कर ली जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). खेती के कामों के लिये किसानों को सीधे अग्रिम देने की स्टेट बैंक की योजना लगभग एक साल से चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत, स्टेट बैंक ने एक जनवरी, 1969 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में 6.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋणों की मंजूरी दी ।

(ग) ब्याज की दरें, $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक हैं ।

(घ) अग्रिम की राशि और प्रतिभूति में 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक का अन्तर रखा गया है ।

(ङ) अल्पावधिक कार्य चालन पूंजी के लिये, खड़ी फसल या अन्य माल गिरवी या गहने रखवा कर सामान्यतः अग्रिम दिये जाते हैं । किस्ती ऋण और अन्य दरमियानी अवधि के ऋणों के लिए मशीनें और उपकरण गिरवी या गहने रखवाये जाते हैं और/या कृषि-भूमि रेहन रखवायी

जाती है और साथ ही अन्य पार्टी द्वारा दी गयी गारन्टी या रेहन रखी गयी प्रायः समान मूल्य की परिसम्पत्ति जैसी समर्थक प्रतिभूतियां भी लीं जाती हैं।

उड़ीसा में स्टेट बैंक के मुख्यालय की स्थापना

*1368. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक का विचार उड़ीसा का अपना मुख्यालय कलकत्ता की बजाय उड़ीसा में रखने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम तथा बिहार के मुख्यालय अपने-अपने राज्यों में है ; और

(ग) यदि हां, तो बैंक के उड़ीसा के मुख्यालय को उड़ीसा में न रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का स्थानीय मुख्यालय, खोलने का विचार नहीं है।

(ख) इस समय, बैंक के प्रादेशिक प्रबन्धकों के कार्यालय, आसाम में, शिलांग में और बिहार में, पटने में हैं। ये कार्यालय, बैंक के, कलकत्ते के स्थानीय मुख्यालय के अधिकार-क्षेत्र में हैं।

(ग) बैंक के स्थानीय मुख्यालयों/प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय, देश के राजनीतिक भागों के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि यह निर्णय, प्रशासनिक और संचालन-सम्बन्धी सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। स्टेट बैंक, अपने कारबार के हित में, इस समय उड़ीसा में अपना अलग स्थानीय मुख्यालय/प्रादेशिक कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझता। इस सिद्धान्त से यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी जिले के औद्योगिक, कृषि-संबंधी और दूसरे हितों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।

निर्यात क्षेत्र के विकास के लिये सहायता

*1369. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री बलराज मधोक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक तथा ऋण देने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उनके द्वारा विकासशील देशों को दिये जाने वाले सशर्त ऋण प्राप्त कर सकने वाले वर्ग में निर्यात क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). भारत ने कई बार यह सुझाव दिया है कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विकासशील देशों द्वारा निर्मित माल का निर्यात बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात-ऋण-सुविधाएं दें। हमें आशा है कि हमारे सुझाव पर अनुकूल रूप से विचार किया जायगा।

खम्भात में तट से दूर ड्रिलिंग के लिये जापान से ऋण

*1370. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सरकार ने खम्भात की खाड़ी में तट से दूर ड्रिलिंग कार्य हेतु भारत को ऋण देने के लिये अपनी सहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

दूसरा भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन

*1371. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए, तेल की खोज तथा उत्पादन सम्बन्धी तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये फरवरी, 1969 में बड़ौदा में दूसरा भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और इसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई या करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय तेल तकनीशनों और वैज्ञानिकों के लिये भारतीय पेट्रोलियम सम्मेलन, पेट्रोलियम अन्वेषण और समुपयोजन से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार तथा अनुभव

आदान प्रदान करने से अपने ज्ञान को बढ़ाने का एक फोर्म है। 1969 के सम्मेलन में विभिन्न विज्ञान सम्बन्धी विषयों पर 77 कागज पढ़े गये तथा उन पर विचार विमर्श-किया गया। ऐसे सम्मेलन भविष्य में भी होंगे। इसके परिणामस्वरूप इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करेंगे।

Loans to Farmers in Madhya Pradesh for Purchase of Fertilisers

*1372. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan provided by the Reserve Bank of India from 1966 to 31st January, 1969 to the Commercial Banks in Madhya Pradesh to give loans to farmers to purchase fertilizers;

(b) whether Co-operative societies in Madhya Pradesh were also provided loans for the above purpose; and

(c) if so, the amount thereof and the amount of interest received from them during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Separate figures of loans granted by commercial banks to farmers for the purchase of fertiliser are not available.

(b) and (c). The Reserve Bank has sanctioned short term credit limits to the Madhya Pradesh State Co-operative Bank for financing seasonal agricultural operations and marketing of crops at 2% below the bank rate. This includes cost of seeds, fertilizers etc. but no separate account is maintained of the amount of loans drawn for the purpose of financing the purchase of fertiliser.

नर्सों की काम की स्थितियां

*1373. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्सों सम्बन्धी जांच आयोग ने नर्सों की काम तथा रहने की स्थितियों के बारे में जांच करने के लिए एक अन्य आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Loss in Fertilizer Factory at Kota due to Fire

*1374. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge loss occurred as a result of fire in fertilizer factory under construction at Kota (Rajasthan) during the first week of March, 1969 ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the estimated loss ; and

(d) when the said factory will start producing fertilizer ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) A fire accident occurred on the night of 2nd March, 1969 in the fertilizer factory at Kota of M/s. Shriram Fertilizers and Chemicals resulting in considerable loss.

(b) The causes of fire is under investigation.

(c) The loss is being estimated.

(d) The factory has resumed production with effect from 13th April, 1969.

सरकारी उपक्रमों द्वारा पूंजी जुटाया जाना

*1375. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी बाजार से धन जुटाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई नीति निर्धारित की है जिससे कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत अपने-अपने दायित्व पूरे करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकारी उपक्रमों के कामों के लिये आवश्यक पूंजी मुख्यतः केन्द्रीय सरकार ने दी है । साधारणतः ये उपक्रम पूंजी-बाजार से धन नहीं जुटाते । हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि यदि सरकारी उपक्रम वित्तीय संस्थाओं को अपने विस्तार-कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता का आवेदन-पत्र दें तो वे उन्हें स्वीकार कर सकती हैं बशर्ते कि वे उपक्रम कम से कम पहला लाभांश घोषित कर चुके हों और उनके अपने साधन पर्याप्त हों और साथ ही वे अपने अगले विस्तार-कार्यक्रमों के खर्च के लिए सरकार से धन न मांगें ।

(ग) और (घ). गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की आयोजनाओं की वित्त-व्यवस्था की नीति का ब्योरा "चौथी पंचवर्षीय आयोजना, 1969-70" नामक पुस्तिका में दिया गया है, जो संसद् में पहले ही पेश की जा चुकी है ।

ब्यास और सतलुज को मिलाने वाली परियोजना

*1376. **श्री रणजीत सिंह :**

श्री रामावतार शर्मा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास और सतलुज को मिलाने वाली परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या यह परियोजना निर्धारित तिथि तक पूरी हो जायेगी; और

(ङ) इस परियोजना के पूरे हो जाने पर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को क्या लाभ होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) फरवरी, 1969 के अन्त तक सुन्दरनगर, पण्डोह और सलैप्पर में बस्तियों तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों के पूर्ण होने के अतिरिक्त कार्य की महत्वपूर्ण मदों पर खुदाई निम्नलिखित प्रतिशतता में की गई है :—

पण्डोह वग्गी सुरंग	46%
सुन्दरनगर सतलुज सुरंग	18%
व्यपवर्तन सुरंग	75%
सरज ताल	17%
पेनस्टोक हैडल टैनल	62%
उमड़ मार्ग	75%

इसके अतिरिक्त, विविध सुरंगों में अपेक्षित कुल प्रारंभिक कन्क्रीटिंग कार्य का लगभग 50% भाग पूर्ण हो गया है।

(ख) परियोजना की संशोधित लागत लगभग 147 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। परियोजना अधिकारियों की आवश्यकताओं तथा संसाधन स्थिति के अनुसार धनराशियां वर्ष प्रति वर्ष दी जाती हैं।

(ग) मार्च, 1969 के अन्त तक इस परियोजना पर 59.16 करोड़ रुपये व्यय हुए थे।

(घ) जी, हां। वर्तमान अनुसूची अनुसार 1973 में।

(ङ) लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए निम्नलिखित सिंचाई और बिजली शक्यता उत्पन्न की जाएगी :—

वार्षिक सिंचाई	..	3.2 लाख हैक्टेयर (8 लाख एकड़)
भाखड़ा में बिजली के आवर्द्धन समेत 100 प्रतिशत भार अनुपात पर वास्तविक बिजली।		412 मैगावाट

दिल्ली में नई बस्ती तथा थान सिंह नगर कालोनियों में पानी की सप्लाई

*1377. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री क० मि० मधुकर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालिका-नगर आयोजक के 27 अगस्त, 1963 के पत्र संख्या टी० पी० 4/63/2369 के अनुसार दिल्ली स्थित नई बस्ती तथा थान सिंह नगर कालोनियां नियमित बस्तियों की श्रेणी में आती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगरपालिका के अधिकारी इन बस्तियों को अनधिकृत बताते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1968 से पहले इन बस्तियों के निवासियों को नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा था परन्तु उसके बाद इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आनंद पर्वत के निकट थान नगर तथा नई बस्ती अनधिकृत बस्तियां हैं जो कि दिल्ली नगर निगम के द्वारा क्रमशः जुलाई, 1961 तथा फरवरी, 1962 में नियमित की गयी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं । पानी के नलों की सुविधा निगम के द्वारा वापस नहीं ली गयी है ।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते।

सूखा सहायता कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*1378. **श्री किरुतिनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा सहायता कार्य के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1969 के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या धन के नियतन के बारे में राज्य सरकारों में और विशेषतया तामिलनाडु में कोई असंतोष है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(घ) क्या तामिलनाडु के कई जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुए, तामिलनाडु को सहायता कार्यों के लिए अधिक धन नियत करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

1969-70 में राज्य सरकारों द्वारा सूखे के लिए वित्तीय सहायता की प्रार्थना और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों हेतु व्यय की अत्याधिक सीमा

	करोड़ों में मांगी गई केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय सहायता के लिए व्यय की अत्याधिक संख्या
1. आंध्र प्रदेश	9.00	2.00*
2. गुजरात	11.40	5.87
3. मध्य प्रदेश	2.11	†
4. राजस्थान	42.00	†
5. तामिलनाडु	17.74	2.00
6. उत्तर प्रदेश	2.00	†

(ग) राज्य सरकारों में ऐसे किसी असंतोष के बारे में सरकार को पता नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वयं को संसद् सदस्य बताने वाले व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक गाड़ी का प्रयोग

*1379. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं को संसद् सदस्य बताने वाले तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक गाड़ी का प्रयोग कर रहे एक व्यक्ति को दिल्ली के एक बैंक में एक जाली चैक की राशि

* तदर्थ अन्तरिम अत्यधिक सीमा

† केन्द्रीय दल के अधिकारियों के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्राप्त करने की कोशिश करते हुए मार्च, 1969 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था;

(ख) क्या उसके द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक गाड़ी के प्रयोग किये जाने के मामले में तथ्यों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, प्रतिरूपण तथा धोखेबाजी के आधार पर एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की गाड़ियों को गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किराये की अग्रिम अदायगी पर किराये पर लेने की अनुमति है। संसद् सदस्य के रूप में अपना परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने विभिन्न तारीखों पर किराये की अग्रिम अदायगी की एवज में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की गाड़ियां किराये पर लीं। 11 मार्च, 1969 को उसने आधे दिन के लिए एक पिक-अप वेन किराये पर ली तथा तदनुसार उसने अग्रिम अदायगी कर दी। किन्तु उसने गाड़ी का उपयोग पूरे दिन किया तथा किराया उसके द्वारा जमा की गयी अग्रिम राशि से 61.05 रुपये अधिक हो गया जिसके लिए उसके द्वारा दिये गये पते पर बिल भेजा गया था।

2. इस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिरूपण तथा शेष देयों के संबंध में 26 मार्च, 1969 को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस आफीसर, नई दिल्ली के पास एक रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवास

*1380. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवास की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के लिए निकट भविष्य में आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सम्पदा निदेशालय के निमंत्रण के अधीन सामान्य पूल वास पात्र सरकारी कर्मचारियों, पुरुष तथा महिला दोनों को आवंटन करने के लिए हैं, और इसलिए सामान्य पूल में रिहायशी वास के आवंटन के लिए अपात्र व्यक्तियों/श्रमजीवी

(वर्किंग) महिलाओं आदि से आवेदन-पत्र नहीं मांगे जाते। दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं, जिनके पास वास नहीं हैं, की संख्या के बारे में संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिए पत्र कार्यालयों में काम कर रही श्रमजीवी महिलाओं को रिहायशी वास देने के लिए टाइप 1 से 5 तक में 495 निवास-स्थानों का एक महिला-पूल बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी एवं अन्य सेवा दोनों की महिलाओं के लिए एक वर्किंग गर्ल्ज-होस्टल है, जिसमें 176 स्थान उपलब्ध हैं। 60 सरकारी महिला कर्मचारियों को कर्जन रोड होस्टल में भी वास आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 महिला अधिकारियों को पटौदी हाऊस हटमेन्ट्स में वास दिया गया है। विभिन्न पत्र कार्यालयों में काम कर रही महिला अधिकारी दिल्ली/नई दिल्ली में अपनी बारी आने पर सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए भी पात्र हैं।

विदेशी पूंजी का सम्बन्धित देशों में भेजा जाना

7774. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी व्यापारी फर्मों द्वारा वर्ष 1965-66 से लेकर अब तक शेयरों की बिक्री परिसमापन अथवा निपटान के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी पूंजी अपने देशों को भेजी गयी है; और

(ख) विदेशी नियंत्रित कम्पनियों द्वारा वर्ष 1965-66 से लेकर आज तक प्रतिवर्ष भारत में लाभ की कितनी राशि रखी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी व्यवसाय-प्रतिष्ठानों के शेयरों की बिक्री और ऐसे प्रतिष्ठानों की बिक्री तथा परिसमापन के परिणामस्वरूप 1965-66 से लेकर जितनी रकमें विदेश भेजी गयी हैं, वे इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

अवधि	शेयरों की बिक्री	व्यवसाय-प्रतिष्ठानों की बिक्री	व्यवसाय-प्रतिष्ठानों का परिसमापन
1965-66	83	15	—
1966-67	16	—	—
1967-68	83	55	—
1968-69 (अप्रैल से सितम्बर तक)	17	—	—

30 सितम्बर, 1968 को समाप्त हुई तिमाही के बाद की अवधि के लिए इस प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में केवल मार्च, 1965 तक की सूचना उपलब्ध है और वह भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा अपने मासिक बुलेटिन के जनवरी, 1967 के अंक में प्रकाशित लेख '1963-64 और 1964-65 में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति' की सारणी 5 में दी गयी है। 1964-65 में विदेश-नियंत्रित कम्पनियों के लाभ की, भारत में रख ली गयी रकम 21.1 करोड़ रुपया थी। आशा है कि बाद के वर्षों की इस प्रकार की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही प्रकाशित करेगा।

विदेश यात्रा सम्बन्धी नियमों में ढील

7775. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश यात्रा सम्बन्धी नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कब से लागू किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भारत से कुछ व्यक्तियों की यात्रा के लिए, जिसे विदेशों में रहने वाले दूर के रिश्तेदारों तथा मित्रों द्वारा प्रायोजित किया गया था, मंजूरी दी जा चुकी है ;

(घ) यदि हां, तो प्रायोजकों के नाम क्या हैं और प्रायोजित किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा इन मामलों में मंजूरी देने के क्या कारण थे ;

(ङ) क्या इस नये प्रस्ताव से बाहर जाने वाले भारतीयों को धन का गैर-कानूनी हस्तान्तरण करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ; और

(च) यदि हां, तो कीमती विदेशी मुद्रा की क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 'पी' फार्म सम्बन्धी नियंत्रण में ऐसी कोई ढील देने का विचार नहीं किया जा रहा है। जो 24 फरवरी, 1969 को दिये गये, लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर में सूचित किये गये उदारीकरण से अधिक हो। इस बारे में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ). विदेश में रहने वाले दूर के सम्बन्धियों और मित्रों द्वारा खर्च उठाने का जिम्मा लिये जाने पर, जबकि किराया भी विदेश से ही दिया जाय, 'पी' फार्म सम्बन्धी अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामलों की जांच करने और उनके बारे में निर्णय करने के अधिकार रिजर्व बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों को दिये गये हैं। यदि व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष सूचना की आवश्यकता हो, तो उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कैंसर के इलाज के लिये जड़ी बूटियां

7776. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री सूरज भान : **श्री बृज भूषण लाल :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर के इलाज के लिए जिन 34 पौधों की खोज की गई है, उनके आम नाम तथा वनस्पति-शास्त्र में क्या नाम हैं तथा वे देश के किन-किन भागों में उगते हैं ;

(ख) इन पौधों में जो चिकित्सा संस्थाएं अनुसंधान कर रही हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं और अब तक की जांचों के पौधेवार परिणामों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि सिस्टम में पोटेसियम के कमी के कारण कैंसर हो जाता है और पोटेसियम साल्टों, सीरा तथा पोटेसियम वाले फलों को नियमित रूप से खाने से कैंसर के कई रोगी अच्छे हो गए हैं अथवा उसकी रोकथाम हो जाती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 916/69]

(ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, चत्तर मंजिल पैलेस, पो० आ० 173, लखनऊ

(i) कैंसर निरोधी गुणकारिता इन पौधों के एक भाग में ही निहित है और विवरण की क्रम-संख्या 3, 6, 10, 12, 21, 22, 25, 28, 31 और 34 में उल्लिखित पौधों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं ।

(ii) विवरण की क्रम-संख्या 13, 16, 19, 30, और 40 में उल्लिखित पौधों के सम्बन्ध में आगे अध्ययन नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनमें गुणकारिता शल्कों की उपस्थिति के कारण ही है ।

(iii) विवरण की क्रम-संख्या 7, 8, 27 और 35 में उल्लिखित पौधों पर विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं ।

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र 37, **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, कलकत्ता**-26

क्रम-संख्या 41 से 47 पर उल्लिखित पौधों पर कैंसर निरोधी तत्वों के संबंध में अनुसंधान किये जा रहे हैं। इनमें से हस्तिशुण्डी तथा ओसडी से अतिश्वेतरक्तता वाले चूहों के जीवन काल के बढ़ जाने की सूचना मिली है। आगे और अनुसंधान कार्य करने के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व परिणामों की पुष्टि करने के लिए उपर्युक्त दो पौधों से पुनः जांच कार्य करना आवश्यक होगा।

(ग) कैंसर पर पोटेसियम सीरा या पोटेसियम वाले फलों के रोगनाशक या लाभकारी प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए ट्रकों की खरीद

7777. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए विभिन्न मेक के 400 ट्रक लगभग एक करोड़ रुपये में खरीदे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो सप्लाई करने वालों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितने मूल्य का विजीनैस मिला और इन ट्रकों का नम्बर तथा ट्रेड नाम क्या हैं ;

(ग) किसी विशेष फर्म से एक खास संख्या में ट्रक खरीदने का अन्तिम निर्णय किसने लिया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव द्वारा महीन्द्र एण्ड महीन्द्र लिमिटेड को 250 से अधिक ट्रकों के लिए सबसे बड़ा क्रयादेश दिया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). विभिन्न प्रकार की प्राप्त की गई गाड़ियों के चेसिज, उनके निर्माताओं के नाम, उनको कीमत आदि का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 917/69]**

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा मंजूर शुदा गाड़ियों की किस्मों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों की आवश्यकताओं और माडल की पसंद के आधार पर सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय की दर-ठेका के अनुसार विभिन्न किस्मों/माडलों की गाड़ियां खरीदी गईं थीं।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर इस मंत्रालय ने अब तक सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय की दर-ठेका के जरिये महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित 302 एफ० सी०-150 जीप ट्रकों की सप्लाई का प्रबन्ध किया है।

महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

7778. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा किन-किन बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और योजना आयोग को स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं ; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 918/69]**

उद्योगों तथा कृषि कार्यों के लिये बिजली की कमी को दूर करने की योजना

7779. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी को दूर करने की सरकार की क्या योजना है ;

(ख) बिजली की इस कमी के सम्बन्ध में गुजरात राज्य की क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिए स्थापित परियोजनाओं को पूरा करने का सरकार ने निर्णय किया है और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप ने देश में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 26 मिलियन के० डब्लू० के लक्ष्य की सिफारिश की है। तथापि वित्तीय साधनों पर भार के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 22 मिलियन के० डब्लू० का लक्ष्य ही रखा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिमरूप दिये जाने के पश्चात् स्पष्ट स्थिति का पता लगेगा।

(ख) इस समय गुजरात में 100 मेगावाट विद्युत की कमी है।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं के उनके समक्ष दी गई तिथियों तक पूरा होने की सम्भावना है :—

योजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	पूरा होने की सम्भावित स्थिति
1. तारापुर परमाणु बिजलीघर	190 (केवल गुजरात का भाग)	जुलाई 1969
2. 2×27 मेगावाट गैस टरबाइन परियोजना	54	दिसम्बर 1969
3. धुवरण तापीय परियोजना	280	मार्च 1971
4. उकाई पनबिजली परियोजना	300	मार्च 1973

कोयाली तेलशोधक कारखाने में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता

7780. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल तथा प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये गुजरात राज्य स्थित कोयाली तेलशोधक कारखाने से किस किस्म के पेट्रोलियम उत्पाद मिलते हैं ;

(ख) क्या कोयाली तेलशोधक कारखाना देश की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने गुजरात में, जहां तेल तथा गैस प्रचुरता में उपलब्ध है ; दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)

(क) 1968 के दौरान कोयाली शोधनशाला से निम्न उत्पाद उपलब्ध थे :—

(1) तरल पेट्रोलियम गैस

(2) नेफ्था

(3) मोटर स्प्रिट

(4) जे पी-4

(5) विमानन टरबाइन ईंधन

(6) मिट्टी का तेल
(7) हाई स्पीड डीजल
(8) लाइट डीजल आयल
(9) लो सल्फर हेवी स्टाक
(10) टोलीन और बेंजीन

(ख) और (ग). जी नहीं। परन्तु कोयाली शोधनशाला, भारत में पहले से परिचारित सात अन्य शोधनशालाओं तथा मद्रास में लगभग चालू होने वाली शोधनशाला सहित देश की प्रायः समस्त आवश्यकताओं को 1971-72 तक पूरा करेंगी।

गुजरात में बड़ी तथा छोटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता

7781. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तथा वर्ष 1968 में गुजरात राज्य स्थित बड़ी तथा छोटी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिये तीसरी योजना के दौरान तथा 1968-69 में गुजरात सरकार को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

परियोजना का नाम	**केन्द्रीय ऋण सहायता अवधि**	
	तीसरी योजना	1968-69
	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
उकाई परियोजना	—	1697
ग्राम विद्युतीकरण	458.74	178

गंडक परियोजना

7782. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ठीक समय पर पर्याप्त धन न दिये जाने के कारण गंडक परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगे विलम्ब न होने देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). गण्डक परियोजना पर कार्य प्रगति जितनी अपर्याप्त धन के कारण होनी चाहिये थी, उसकी अपेक्षा कम थी । यह कमी संसाधनों की तंगी के कारण थी । किन्तु जहां तक सम्भव हो सका परियोजना पर धन लगाने के लिये संसाधनों की कमी के अन्तर्गत ही वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को दी गई थी ।

(ग) चौथी योजना में परियोजना को पूरा करने के लिये इसके लिये अपेक्षित कुल धन की व्यवस्था करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में सिंचित खेती योग्य भूमि

7783. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का केवल 6% भाग सिंचित है और बस्तर और सरगुजा जैसे कुछ क्षेत्रों में तो एक प्रतिशत से भी कम है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग इसलिये नहीं हो पाता कि नर्मदा जल विवाद के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब हुआ है ; यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मूल सिद्धान्त का, कि नदियों के पानी को एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिये दिये जाने से पहले इस राज्य की न्यायोचित आवश्यकताओं को पूरा किया जाय, नर्मदा विवाद के बारे में क्यों स्वीकार नहीं किया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कुल कृष्य क्षेत्र का लगभग 6 प्रतिशत है और बस्तर तथा सर्गुजा जैसे जिलों के मामलों में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता बहुत कम है ।

(ख) अभी तक नर्मदा बेसिन में केवल तीन बृहत सिंचाई परियोजनाओं को अन्तिम रूप देकर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया है। इन परियोजनाओं के नाम हैं : तवी, बर्ना और बार्गी । इनमें से तवी और बर्ना जिनसे लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा, स्वीकृत हो चुकी हैं और इन पर कार्य हो रहा है । बार्गी परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1969 में प्राप्त हो गई थी और अब इसकी जांच हो रही है ।

नर्मदा के प्रश्न को हल करने के लिये लगातार और भरसक कोशिश की जा रही है और इस उद्देश्य से सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें और विचार-विमर्श किये गये हैं । अभी तक इस विषय में कोई समझौता नहीं हुआ है । किन्तु शीघ्र ही कोई हल निकालने के उद्देश्य से मार्ग ढूंढ़ने के लिये भारत सरकार बहुत यत्न कर रही है ।

(ग) अन्तर्राज्यीय नदियों से सम्बन्धित मामलों को तय करते समय ऐसे हल ढूंढ़ने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं जो कि न केवल सम्बन्धित राज्यों के हित में हों, बल्कि समस्त देश के हित में हों और जो सभी दलों को स्वीकार्य हों ।

मध्य प्रदेश में अधिष्ठापित बिजली क्षमता

7784. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति अधिष्ठापित बिजली क्षमता तथा बिजली उपलब्धता कितनी थी और इस समय कितनी है, और तत्संबंधी अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में वह कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ख) मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता के अखिल भारतीय स्तर तक आने की कहां तक संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी परिशिष्ट-1 के विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** 919/69]

(ख) मध्य प्रदेश में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की कमी का मुख्य कारण यह है कि वह क्षेत्र आर्थिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं है ।

(ग) चौथी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बिजली उत्पादन स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

चालू स्कीमें	चौथी योजना के दौरान प्रत्याशित लाभ
(1) राणा प्रताप सागर पन-बिजली स्कीम (4×43 मैगावाट) मध्य प्रदेश का भाग	21.5 मैगावाट
(2) सतपुड़ा ताप केन्द्र (5×62.5 मैगावाट) मध्य प्रदेश का भाग	41.5 मैगावाट
(3) जवाहर सागर पन-बिजली स्कीम (3×33 मैगावाट) मध्य प्रदेश का भाग	50.0 मैगावाट
(4) अमर कन्टक ताप विस्तार (1×55 मैगावाट)	—
(5) नव ताप अथवा पन-बिजली स्कीम	—
कुल ..	113.0 मैगावाट

121 यूनिट की अखिल भारतीय खपत के मुकाबले चौथी योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 67 यूनिट होने का अनुमान है ।

फालतू बिजली का अन्य राज्यों द्वारा उपयोग

7785. **श्री रामावतार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमी वाले क्षेत्रों को राज्य-वार/क्षेत्र-वार बिजली की फालतू मात्रा किस प्रकार दी जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). एक राज्य की फालतू बिजली कमी वाले दूसरे पड़ोसी राज्य को अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण-पथ द्वारा सप्लाई की जाती है । उदाहरण के तौर पर अब मैसूर में उपलब्ध फालतू बिजली उसी क्षेत्र में स्थित तामिलनाडु को सिंगारापेट और बंगलौर के बीच के अन्तर्राज्यीय पारेषण-पथ द्वारा सप्लाई की जा रही है । पूर्वी क्षेत्र के दामोदर घाटी निगम प्रणाली की फालतू बिजली, उत्तरी क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश को देहरी तथा पिपरी के बीच के अन्तर्क्षेत्रीय पथ द्वारा पहले सप्लाई की गई थी ।

इस समय कई अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पथ कार्य कर रहे हैं । बहरहाल किसी राज्य अथवा संघीय प्रदेश से दूसरे पड़ोसी राज्य अथवा संघीय प्रदेश को फालतू बिजली की सप्लाई आसानी से हो सके, इसके लिये कुछ और अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण-पथों का या तो निर्माण हो रहा है अथवा वे विचाधीन हैं ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों को यात्रा-भत्ते का भुगतान

7786. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के कार्यालय कर्मचारियों को यात्रा-भत्ता बिलों का जल्दी भुगतान नहीं किया जाता और कुछ मामलों में लगभग चार वर्ष तक की देरी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा रिहायशी बस्ती बेचना

7787. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के हाथी डाह में लगभग 276 कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आवास की रिहायशी बस्ती को बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भावी आवश्यकताओं के बारे में पहले पता लगाना सम्भव नहीं था ताकि इस कार्यवाही तथा उससे होने वाली असुविधा से बचा जा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बस्ती के रिहायशी मकानों, जिन्हें भारतीय तेल निगम ने गंगा ब्रिज परियोजना से बरौनी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों को बसाने के लिये निर्माणावस्था के दौरान खरीदा था, का निर्माण अस्थायी किस्म का था । बस्ती के तेल शोधक कारखाने से बहुत दूरी पर स्थित होने से प्रशासनिक असुविधा तथा अतिरिक्त वित्तीय व्यय हो रहा था । सुरक्षा के तौर पर भी कर्मचारियों को इतनी दूरी पर बसाना अनुचित समझा गया । हाथीडाह बस्ती में रहने वाले कर्मचारियों को तेल शोधक कारखाने के बहुत निकट इसके उप-नगर में बसाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । यह सरकारी उपक्रमों (1968-69) की समिति की चौबीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश संख्या 24 के अनुरूप है कि फासले तथा अन्य हानियों के कारण हाथीडाह की बस्ती को शोधक कारखाने का स्थायी उपनगर न बनाया जाये ।

बरौनी तथा कोयाली तेलशोधक कारखानों द्वारा तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन

7789. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन के सम्बन्ध में बरौनी तथा कोयाली तेल शोधक कारखानों की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में उपरोक्त दोनों तेल शोधक कारखानों में तरल पेट्रोलियम गैस का वस्तुत: कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) यदि क्षमता और उत्पादन के बीच कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति ठीक करने लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन के लिये बरौनी तथा कोयाली शोधनशालाओं की प्रत्येक की डिजाइन क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 मीटरी टन है ।

(ख) पिछले दो वर्षों में दोनों शोधनशालाओं का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :

	1967-68	1968-69
	(मीटरी टनों में)	
बरौनी	2891	4427
गुजरात (कोयाली)	421	4553

(ग) और (घ). तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन में मार्किट की मांग और सिलण्डर उपलब्धि के अनुसार धीरे-धीरे वृद्धि की जायेगी ।

दिल्ली में तैनात आय-कर निरीक्षकों तथा संदेशवाहकों का स्थानान्तरण

7790. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आय-कर निरीक्षक तथा संदेशवाहक दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या आय-कर विभाग के ऐसे अधिकारियों को पांच वर्ष से अधिक समय के लिये एक ही स्थान पर रखना सार्वजनिक हित के लिये हानिकर नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय-समय पर स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे निरीक्षकों और नोटिस तामील करने वालों (जिन्हें 'संदेशवाहक' कहा कहा गया है) की संख्या क्रमशः, 16 और 69 है ।

(ख) और (ग). इन्हें लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर तैनात रखना वांछनीय नहीं समझा जाता । विभाग की यह नीति है कि जहां तक व्यवहार्य हो ऐसे कर्मचारियों को लम्बी अवधि तक लगातार एक ही स्थान पर तैनात रहने देने से बचा जाये । आयकर निरीक्षक और नोटिस तामील करने वाले आराजपत्रित संवर्ग में आते हैं । वे जहां नियुक्त किये गये हैं वहां के आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र से बाहर उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है । दिल्ली में आय-कर आयुक्तों के सभी अधिकार-क्षेत्र शहरी क्षेत्र में ही हैं । अतः अराजपत्रित कर्मचारियों के यहां से (दिल्ली से) बाहर स्थानांतरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर किया जाता है ।

श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में गैर-अलाटियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा

7791. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 14 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वार्टर संख्या एच 31, एच 103, एच 78, एच 20, एच 22, एच 24 तथा एच 85 के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् क्या फैसले हुये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त क्वार्टरों के अलाटियों ने अब तक उन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया है और जिन्हें क्वार्टर आगे किराये पर दिये गये हैं, उन्हें वहां रहने दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या उक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में एक और जांच कराने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). इन क्वार्टरों के आवंटियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दिखाई गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-920/69**] इन क्वार्टरों के बारे में कोई और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । सारे मामलों की जांच की गई है और दण्डात्मक कार्यवाही की गई है जैसे कि विवरण में प्रत्येक के आगे दी गई है ।

(घ) और (ङ). अब इन सभी मामलों में जांच की जा चुकी है और प्रत्येक मामले के तथ्यों (मेरिट) को दृष्टि में रखते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है । इन मामलों में और जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला खनन उद्योग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

7792. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने कोयला खनन उद्योग के प्रशासनिक ढांचे के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). जी, हां। प्रशासकीय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया था कि कोयला बोर्ड का उस प्रकार के विकास बोर्ड में पुर्नगठन किया जाये जिस प्रकार के बोर्ड का आर्थिक प्रशासन विषयक अपनी रिपोर्ट में उन्होंने वर्णन किया है। सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-संचालन

7793. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खराब आयोजन तथा कुप्रबन्ध के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य संचालन को हानि पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस प्रकार के विषय पर सामान्य वक्तव्य देना सम्भव नहीं है। सभी कार्य क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है तथा सरकारी क्षेत्र इसका अपवाद नहीं है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रयोजनाओं के आयोजन में तथा कार्यों के प्रबन्ध में सुधार की गुंजाइश है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आयोजन तथा प्रबन्ध में सुधार करने के लिये सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं। पूंजी लगाने के सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोजन के स्तर पर, बहुत विस्तृत रूप से, व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन किया जाता है तथा विस्तृत प्रायोजना-रिपोर्ट तैयार की जाती है और बहुत ध्यानपूर्वक उनकी जांच की जाती है। इन प्रायोजना रिपोर्टों को क्रियान्वित करने में 'पर्ट' तरीका अपनाया जा रहा है। बहुत से उपक्रमों ने अपने वरिष्ठ तथा मध्यम-स्तरीय अधिकारियों को प्रबन्ध सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है। प्रबन्ध सम्बन्धी तरीकों के सभी पहलुओं में सुधार करने के लिये सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विभिन्न उपाय किये हैं।

राजकीय औद्योगिक विकास निगम के कार्य

7794. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राजकीय औद्योगिक विकास निगमों को सुझाव दिया है कि वे अपने कार्यों में कुछ परिवर्तन करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक विकास निगमों और राजकीय वित्तीय निगमों के कार्यों की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई हैं ; और

(ग) क्या उक्त निगम उन कार्यों को करने के लिये सहमत हो गये हैं, जो उन्हें सौंपे जायेंगे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य वित्तीय निगमों के कार्य उसी अधिनियम में निर्धारित किये गये हैं और समवाय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य औद्योगिक विकास निगमों के कार्य उन निगमों की बहिर्नियमावलियों में निर्धारित किये जाते हैं। चूंकि यह महसूस किया गया था कि इन दोनों निकायों के काम कुछ हद तक एक जैसे हैं, इसलिये आयोजना आयोग ने दिसम्बर, 1968 में राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक इस बात पर विचार करने के लिये बुलाई थी कि उक्त दोनों निकायों द्वारा एक जैसे कामों का किया जाना किस हद तक रोका जा सकता है। बैठक में कई राज्य-संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के बीच कुछ काम-काजी सम्बन्ध बन गया था और ये धीरे-धीरे एक जैसे काम करने लगे। इस बात पर सामान्यतः सभी सहमत थे कि राज्य स्तर पर इन निगमों द्वारा एक जैसे काम न किये जायं, इसलिये प्रायोजनाओं के प्रवर्तन के कामों और औद्योगिक उपक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था करने के कामों में स्पष्ट भेद किया जाय। राज्य औद्योगिक विकास निगमों का सम्बन्ध मुख्यतः प्रायोजनाओं के प्रवर्तन से होना चाहिये, लेकिन उन्हें अपने अल्प साधनों को बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं में नहीं फंसा देना चाहिए। बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था करने का काम सामान्यतः अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अपने हाथ में लेना चाहिये। राज्य वित्तीय निगमों को मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रमों के लिये वित्त प्रबन्ध करना चाहिये। इस विषय में भी सहमति व्यक्त की गई कि राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, लघु उद्योग निगमों और कृषि उद्योग निगमों के कार्य-क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग-अलग हों।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

7795. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में उनके मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाया गया अथवा उनकी पुनर्नियुक्ति की गई जो 58 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होने वाले थे।

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनका सेवा-काल बढ़ाने अथवा उनकी पुनर्नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 1968 के दौरान केवल एक श्रेणी-1 अधिकारी, श्री एच०रामास्वामी को, सेवानिवृत्ति की आयु (58 वर्ष) के बाद तक, पुनर्नियुक्त आधार पर सेवा में रखा गया था। उनको 20 अगस्त, 1968 से 28 फरवरी, 1969 तक थोड़े समय के लिये दुबारा नियुक्त किया गया था क्योंकि वे अपनी

सेवानिवृत्ति से पूर्व चम्बल नियंत्रण बोर्ड के सचिव के रूप में अपनी साधारण सेवाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग पुनर्गठन समिति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। चूंकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग पुनर्गठन समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये और समय दिया गया था इसलिये श्री रामास्वामी की 28 फरवरी, 1969 तक पुनर्नियुक्ति सार्वजनिक हित में आवश्यक हो गई।

राज्यों में विभिन्न गृह निर्माण योजनायें

7796. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल विहारी बजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कुल कितने नये मकान बनाये गये ;

(ख) उनसे कितने परिवारों को लाभ हुआ है ;

(ग) इस बारे में प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(घ) इन योजनाओं को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत, प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार लगभग 41,200 रिहायशी एककों का निर्माण हुआ है, जिससे उतनी ही संख्या के परिवारों को लाभ पहुंचा है (गन्दी बस्ती सफाई/ सुधार योजना को छोड़कर जिसके लिये सूचना तुरन्त उपलब्ध नही है)।

(ग) राज्यों द्वारा दिये गये खर्चे के आधार पर, इन द्वारा 1966-67, 1967-68, और 1968-69 में क्रमशः 7.53 करोड़ रुपये, 7.56 करोड़ रुपये, और 7.48 करोड़ रुपयों, की केन्द्रीय सहायता ली गई थी। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यों द्वारा 12 करोड़ रुपयों, की जीवन बीमा निगम की निधियों का उपयोग किया गया था।

(घ) राज्य आवास मंत्रियों के सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में समय-समय पर सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है। समय-समय पर, योजनाओं को और अधिक लाभकारी एवं प्रभावशाली बनाने के लिये उन द्वारा की गई सिफारिशों तथा राज्य

सरकारों एवं अन्य लोगों द्वारा भी दिये गये सुझावों पर विचार किया जाता है और जहां तक संभव हो, उन्हें मान लिया जाता है। योजनाओं को और अधिक लाभकारी बनाने के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना है। अब इस मंत्रालय की सभी आवास योजनाएं राज्य क्षेत्रों में आती हैं। राज्य सरकारों को अपने प्लानों में आवास योजनाओं के लिये उच्चतर नियतन करने के लिये सभी उपयुक्त अवसरों पर प्रेरित किया जा रहा है।

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

7797. **श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर की स्थापना कब की गई थी और उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार एकक स्थापित करने तथा उनके उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं और यदि हां तो कब तथा कैसे और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कम्पनी की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या हैं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) कम्पनी अब किन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और कितना उत्पादन कर रही है तथा क्या उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार है ;

(ङ) गत तीन वर्षों में उत्पादन तथा विक्रय सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं और कितने उत्पादन की आशा थी ; और

(च) क्या अब कम्पनी को किन्हीं कठिनाइयों का सामना है और सरकार का उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की स्थापना 1944 में हुई थी। उसके लक्ष्य और उद्देश्य कम्पनी के एसोसियेशनों के आर्टिकल्स के ज्ञापन में निहित हैं ; जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) यूनिटों की स्थापना के समय पर यह गैर-सरकारी प्रबन्धकों के अधीन थी। भारत सरकार का कम्पनी पर अधिकतर नियन्त्रण जून, 1963 में हुआ। कम्पनी के विस्तार के प्रथम तथा द्वितीय चरणों के बारे में उस अवधि से पहले कम्पनी ने कोई ऐसी परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। विस्तार स्कीम के तीसरे चरण के पूरे होने के बाद लक्ष्यकृत

क्षमता (जिसका प्रारम्भिक चरणों में निर्धारण तथा बाद में पुनरीक्षण हुआ, और जो प्रतिवर्ष 330 दिन की परिचालन दक्षता पर आधारित और जो 10 जनवरी, 1961 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दर्शायी गई थी) निम्न प्रकार है :

उत्पाद	लक्ष्यकृत क्षमता			
	प्रारम्भिक चरणों में निर्धारित (मीटरी टन)		पुनरीक्षण होने पर (मीटरी टन)	
	प्रति दिन	प्रति वर्ष	प्रति दिन	प्रति वर्ष
1. अमोनिया	260	85,800	235	77,550*
2. सल्फ्यूरिक एसिड	746	2,46,180	746	2,46,180
3. अमोनियम सल्फेट	600	1,98,000	500	1,65,000
4. अमोनियम फास्फेट	400	1,32,000	350	1,15,500
5. अमोनियम क्लोराइड	75	24,750	65	21,450
6. सुपरफास्फेट	133	44,000	133	44,000
7. सल्फर डाय-आक्साइड	25	8,250	25	8,250

परिवर्तनों के कारण

1960 से 1965 तक बिजली की उत्तरोत्तर अनुभव की गई गम्भीर कमी के कारण 8 इलैक्ट्रोलाइजर्स में से 5 भारतीय उर्वरक निगम के नांगल यूनिट को नवम्बर-दिसम्बर 1965 में बेच दिये गये। इसके परिणामस्वरूप अमोनिया क्षमता प्रतिदिन 260 टन से प्रति दिन 235 टन रह गई। इसी कारण अन्तिम उत्पादों अर्थात् अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट और अमोनियम क्लोराइड की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा।

(ग) परियोजना की स्थापना के लिए न ही साम्य पूंजी में कोई विदेशी सहयोग और न ही विदेशी पार्टियों का अलग तकनीकी सहयोग था। संयंत्रों की स्थापना विदेशी ठेकेदार फर्मों ने की थी। ठेकेदार अमरीका तथा ब्रिटेन के थे। विस्तार योजनाओं के तीसरे और चौथे चरणों को अंशत: निम्न ऋणों से पूरा किया गया था :

	(करोड़ रुपयों में)
(1) ब्रिटेन ऋण	3.12
(2) अमरीकी एक्सिम ऋण	0.57
(3) पश्चिम जर्मनी	0.50
(4) स्विस ऋण	0.08
(5) येन ऋण	2.08

*1650 मीटरी टन अमोनिया प्रतिवर्ष सीधी बिक्री के लिये है।

(घ) कम्पनी द्वारा उत्पादित किये जा रहे मुख्य पदार्थ तथा 1968-69 के दौरान उन पदार्थों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	(मीटरी टनों में)
अमोनियम सल्फेट	111,719
अमोनियम फास्फेट	64,845
अमोनियम क्लोराइड	6,459
सुपर फास्फेट	28,338
सल्फर डाय-आक्साइड	2,953

ये सारे उत्पादन अन्तराष्ट्रीय स्तर के हैं।

(ङ) विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 921/69]** यह अनुमान है कि प्रश्न का अन्तिम भाग एक वर्ष में आयोजित उत्पादन से सम्बन्धित है।

(च) बिजली की बार-बार खराबियों के कारण कम्पनी कठिनाइयों का सामना करती रही है। यह मामला अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष आयोग के अध्ययनाधीन है।

Electrification in States

7798. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of those States in which electrification is below the All-India average ;

(b) the time by which these States will be brought up to the All-India average in this respect ; and

(c) the steps being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) It is presumed the question refers to rural electrification. The progress of Rural Electrification with reference to electrification of villages is below All India average in the State of Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal ;

(b) After the Third Five Year Plan, the emphasis in rural electrification has been shifted to energisation of tube wells and pump sets for increasing agricultural production. It was also decided that as far as possible, along with the increased emphasis on the programme of energisation of pumping sets, 15% of the villages would be covered during the period 1966-67 to 1970 71 depending upon the availability of funds. Up to 31-12-1968, 66,599 villages had been electrified out of a total of 5,66,878 villages. It is difficult to indicate the time

by which these States will be brought up to the All-India average as this would depend upon the overall position of the resources available for the purpose and the development of different States.

(c) A Committee of Members of Parliament on Rural Electrification was formed to review the present progress in the electrification of villages and energisation of pumpsets in the nine States mentioned in (a) above and suggest measures for accelerating the progress of rural electrification in those States with particular reference to energisation of pump-sets/tubewells and electrification of villages with a population range of 2000 and above. The Committee has submitted its interim report. These recommendations are under consideration.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

7799. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1968 को गुजरात राज्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीत तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के के मामले में आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को उक्त नियमों के अनुसार पदोन्नति मिल सकी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी गई योजनाएं

7800. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के स्वीकृति

के लिए कितनी तथा कौन सी योजनाएं भेजीं तथा किन-किन तारीखों को ये योजनाएं आयोग के पास आईं ;

(ख) किन-किन योजनाओं को और किन-किन तारीखों को स्वीकृत दी गई ; और

(ग) शेष योजनाएं स्वीकृत न की जाने तथा इस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात राज्य से प्राप्त सिंचाई स्कीमें और जिन तिथियों को वे प्राप्त हुईं, उनसे सम्बन्धित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(1) साबरमती (धरोई) परियोजना	21-12-1967
(2) कारिकट नहर पुनर्रूपण परियोजना	5-7-1968
(3) कालिन्द्री सिंचाई योजना	17-6-1968

(ख) और (ग). इन स्कीमों की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में तकनीकी जांच हो रही है ।

Hindi in Income-tax Offices

7801. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantum of work being done in Hindi in the Income-tax Offices of Hindi-speaking States ;

(b) the number of officers who have been writing notes in Hindi for the last two years and the number of decisions written in Hindi during the last two years ;

(c) the number of Income-tax Officers provided with Hindi typewriters as also the number of Hindi Typists ; and

(d) the steps being taken by Government to encourage Hindi in these Offices ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) It is not possible to specify the quantum. Broadly speaking, letters received in Hindi are replied to in Hindi. Non-statutory forms are also being translated in Hindi and the question of printing them has been taken up.

(b) One Officer has been writing notes in Hindi. No decision has been written in Hindi so far.

(c) 30 Hindi typewriters and 10 Hindi Typists are available in seven charges of the Commissioners of Income-tax.

(d) The total requirements of the Income-tax Department in regard to Hindi Typewriters and Hindi Typists and other staff are being assessed. Staff and officers are being given

training in Hindi. Income-tax returns in Hindi are given to those who ask for them in some of the charges. Steps are being taken to translate all the forms into Hindi for use in Hindi-speaking areas. Standard Hindi equivalents of technical terms are also being devised.

Foreign Exchange to Former Ministers and Shrimati Vijay Lakshmi Pandit

7802. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri Onkar Singh:**
Shri Shardanand: **Shri J. B. Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange given to Shri V. K. Krishna Menon and Shri C. Subramaniam (former ministers) and Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit during the last two years ; and

(b) the names of the countries for which the foreign exchange was given and the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Honse. **[Placed in Library. See No. LT-922/69].**

Smuggling of Goods

7803. **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Ram Swarup Vidyarthi:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4538 on the 16th December, 1968, and state :

(a) the value of goods smuggled into India from Nepal and detected during the last three months of 1968;

(b) the number of persons against whom action is being taken in connection with the said smuggling ;

(c) the number of employees appointed to check smuggling of foreign goods from Nepal into India ; and

(d) the amount of expenditure incurred by Government on their pay, allowances, etc.?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) About Rs. 9.9 lakhs.

(b) 1,460

(c) 269

(d) About Rs. 2.93 lakhs, during period from October-December, 1968.

Construction of Government Quarters

7804. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri K. Halder : **Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Government quarters of each type constructed for the Central Government employees during 1968-69 ;

(b) the number out of those which have been allotted to Government employees and the number of those which are yet to be allotted ;

(c) whether Government propose to construct more quarters of various types during 1969-70, keeping in view the number of Government employees who have not so far been allotted quarters ; and

(d) if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri S. B. Murthy) : (a) In the general pool accommodation the quarters mentioned below were constructed for the Central Government employees during 1968-69 :

	Types						Total
	I	II	III	IV	V	VI	
Delhi ..	—	428	100	100	—	—	628
Bombay ..	160	768	—	176	—	—	1104
Calcutta ..	—	120	—	—	18	20	158
Madras ..	—	—	126	—	—	—	126

(b) But for 6 quarters at Madras, all the completed quarters at places mentioned in part (a) have been allotted.

(c) Yes, Sir.

(d) Indicated below are the quarters of various types either in progress or being taken up for construction during 1969-70 :

	Types						Total
	I	II	III	IV	V	VI	
Delhi ..	64	1128	384	834	—	—	2410
Bombay ..	—	584	460	72	32	62	1210
Nagpur ..	—	192	12	24	—	—	228
Calcutta .	32	416	—	—	9	39	496
Chandigarh ..	—	100	24	8	—	—	132
Madras ..	84	99	42	152	—	—	377

संयुक्त क्षेत्र में गुजरात उर्वरक परियोजना

7805. क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सामान्य उर्वरक परियोजनाओं की तुलना में संयुक्त क्षेत्र में गुजरात उर्वरक परियोजना अधिक सूक्ष्म तथा लाभप्रद सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त क्षेत्र परियोजना की सफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में संयुक्त क्षेत्र में और परियोजनाएं स्थापित करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) देश के उर्वरक यूनिटों में से गुजरात फर्टिलाइजर्स एक यूनिट है जो भलीभांति चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में दूसरी उर्वरक परियोजनाओं के साथ इसके निष्पादन (कार्य संचालन) की सरल तुलना करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उनको पेश होने वाली परिस्थितियां तथा समस्याएं एक-सी नहीं हैं।

(ख) गुजरात फर्टिलाइजर्स का प्रबन्ध उत्तम है। इसके अतिरिक्त इस यूनिट के लिए कई अनुकूल परिस्थितियां रही हैं जो विशेषतौर पर इससे सम्बन्धित हैं।

(ग) क्या गुजरात फर्टिलाइजर्स का नमूना अन्य स्थान पर भविष्य अपनाया जाए ; यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

आंध्र प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये गांवों का सर्वेक्षण

7806. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के उन गांवों का सर्वेक्षण किया है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों में बिजली लगाये जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 2,349 ग्रामों का सर्वेक्षण किया और 1,475 लाख रुपये की स्कीमें बनाईं तथा मंजूर की थीं। बोर्ड ऐसे

ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य करता है जहां बिजली न लगी हो और धन की उपलब्धता के अनुसार स्कीमें तैयार करता है ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य बिजली बोर्ड 5,000 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखता है ।

तीन से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये सुविधायें बन्द करना

7807. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने कुछ समय पूर्व सुझाव दिया था कि 3 से अधिक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन, भत्ते, ऋण, छुट्टियां, अनुदान, छात्रवृत्तियां तथा मुफ्त शिक्षा बन्द कर दी जानी चाहिए ;

(ख) क्या सुझाव राज्य सरकारों को भेजे जायेंगे ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सिफारिशें लागू कर दी हैं और उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों के बारे में ऐसा सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । 17 और 18 अप्रैल, 1968 को नैनीताल में हुई अपनी पांचवी बैठक में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद द्वारा पारित संकल्प संख्या 7 की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 923/69]**

(ख) जी हां ।

(ग) तीन जीवित बच्चों तक अपने परिवार को सीमित न रखने वाले व्यक्तियों (यदि उनके तीन से कम बच्चे हैं) या परिवार के वर्तमान आकार तक सीमित नहीं रखते हैं (यदि तीन से अधिक बच्चे हैं) से कुछ सुविधाएं वापस लेने के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा किये निर्णयों/जारी किये गये आदेशों का संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 923/69]**

(घ) और (ङ). केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की सिफारिश पर नियुक्त की गई लघु परिवार आदर्श समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास योजना

7808. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की आवास योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई आवास योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना कितने गांवों में क्रियान्वित की जायेगी ;

(ग) क्या उक्त योजना सभी राज्यों में लागू की गई है ;

(घ) यदि हां, तो कितने गांवों में अब तक नये मकान बनाये गये हैं और कितने मकान बनाये जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार मकानों के निर्माण के लिये भी ऋण देती है और क्या निःशुल्क आवास की कोई योजना है ; और

(च) क्या खेतिहर मजदूरों के लिये आवास की कोई योजना है और यदि हां, तो कितने गांवों में ऐसे मकान बनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम आंध्र प्रदेश में चल रही है।

(ख) राज्य को आवंटित किये गये 450 ग्रामों में से इस समय यह योजना राज्य सरकार के द्वारा 214 ग्रामों में चल रही है।

(ग) यह योजना सिवाय नागालैंड के और सभी राज्यों में चल रही है। किन्तु महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम-बंगाल ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस योजना के क्रियान्वितीकरण, को चालू न रखने का निर्णय किया है।

(घ) प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम 2,900 ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही है जिनमें 40,680 मकान बनाए जा चुके हैं।

(ङ) मकानों के निर्माण तथा सुधार के लिए सरकार केवल ऋण देती है। निशुल्क आवास की कोई व्यवस्था नहीं है।

(च) मकानों के निर्माण अथवा सुधार के लिए ऋणों के अतिरिक्त ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों (कर्मचारियों) को निःशुल्क (अथवा नाममात्र के मूल्य पर) मकानों (आवासों) के लिए स्थान के आवंटन की व्यवस्था करती है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान देती है। इस कार्यक्रम को अभी

तक केवल पांच सरकारों ने आरम्भ किया है जो कि निम्नांकित हैं :

आंध्र प्रदेश — 108 आवास स्थान आवंटित किये ।

बिहार — लगभग 10 एकड़ भूमि अर्जित की ।

गुजरात — 379 आवास स्थान आवंटित किये ।

केरल — 60 आवास स्थान आवंटित किये ।

मैसूर — 560 आवास स्थान आवंटित किये ।

Hydro-Electric Projects

7809. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Foreign countries take four years in completing hydro-electric projects whereas India takes ten years to complete them ; and

(b) the difficulties being faced by Government on account of which we have not been able to complete such projects in India in four years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) It is true that hydro projects take more time in India for completion than in some of the well developed countries.

(b) Some of the important reasons for delay are (1) procedural delays in acquisition of land (2) inadequate investigations (3) in procurement of equipment (4) limitation of funds.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश में पेंनिसिलिन का उत्पादन

7810. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश में अब पैनिसिलिन का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) देश में पैनिसिलिन का कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) भारत की पैनिसिलिन की कुल आवश्यकता कितनी है और देश में आवश्यकतानुसार उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पैनिसिलिन का उत्पादन निम्नप्रकार रहा :

1966	134.6 मिलियन मेगा यूनिट
1967	122.2 मिलियन मेगा यूनिट
1968	123.5 मिलियन मेगा यूनिट

(ग) वर्तमान मांग 175 मिलियन मेगा यूनिट है और इस मांग को तब पूरा किया जायगा जब इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता का 40 प्रतिशत प्राप्त कर लेगा। 1973-74 तक की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त क्षमता लाइसेंस कर दी गई है।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल के कार्यालय से पकड़े गये दस्तावेज

7811. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के कार्यालय से पकड़े गये दस्तावेजों से सम्बन्धित मामले पर इस बीच निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन करने के लिये कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल, 1968 में मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल के यहां से जो दस्तावेज पकड़े थे, उनसे सम्बन्धित मामलों में उनके विरुद्ध अभी निर्णय नहीं हुआ है। मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल एवं उनके समूह के अन्य सदस्यों को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के विभिन्न उपबन्धों का प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन करने के विषय में उक्त अधिनियम की धारा 23 डी के अन्तर्गत 14 "कारण बताओ नोटिस" मार्च, 1969 में जारी किये गये हैं।

(ग) मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका दायर करके उक्त न्यायालय से न्यादेश प्राप्त कर लिया था जिसके अनुसार, अप्रैल 1968 में ली गई तलाशियों और अभिग्रहणों के मामलों में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के अन्तिम आदेश जारी करने के सम्बन्ध में रोक लगा दी गई है। यह न्यादेश उक्त न्यायालय ने अब तक अभिशून्य नहीं किया है।

Gold Missing from Parcel sent to Ferozabad Branch of State Bank

7812. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold pieces worth Rs. 78,000 were found missing from parcels

containing gold, sent from the State Bank of India, Bombay, to the State Bank of India, Ferozabad, as reported in the Hindustan of the 1st January, 1969 ;

(b) the quantity of gold sent from Bombay Branch of the Bank and that received by the Ferozabad Branch in December, 1968 ; and

(c) the action taken by Government to recover the quantity of gold reported missing and to give compensation therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir. Out of a parcel containing gold bars valued approximately Rs. 95,000 sent from the State Bank of India, Bombay on the 16th December, 1968 to Ferozabad Branch of that Bank, gold bars of approximately Rs. 78,376 were found missing.

(b) Out of 6,000 gms. of gold despatched, 1050 gms. only was received by the Ferozabad Branch of the State Bank of India.

(c) The theft is being investigated by the Police authorities at Ferozabad. As the transit of gold was covered by an insurance arrangement, a claim has been lodged with the insurance company by the Bank.

Foreign Goods seized from Indian Hockey Players

7813. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the players of the Indian Hockey team returning from Tokyo Olympic were searched by the Customs Officers at the airport ;

(b) whether it is also a fact that foreign made goods were seized from the players in a large quantity ;

(c) if so, the names of players and the goods seized from them which were in excess of the prescribed limit ; and

(d) whether it is further a fact that goods were seized from some Gazetted Officer also ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir. The players of the Indian Hockey team on arrival at Palam Airport from Tokyo Olympic were cleared through Customs after usual checking in October, 1964.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise.

Recovery of Smuggled Silver in Bombay

7814. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first fortnight of November, 1968, the Officers of the Customs Department recovered a big quantity of silver being smuggled in a military truck in Bombay ;

(b) if so, the value of the seized silver ; and

(c) the action taken against the persons involved in this matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). On the night of 5th/6th November, 1968 the officers of the Bombay Central Excise Department recovered 118 silver ingots weighing about 3,690 Kg. valued at about Rupees 21 lakhs from a military truck near Gorai Jetty in Bombay. The silver along with the truck valued at about Rupees 30,000/- has been seized. No arrest has so far been made. Further investigations are in progress.

कर-निर्धारण के मामलों को निपटाना

7815. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के पहले आठ महीनों में आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण के कितने मामले निपटाये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जीदेसाई) : 17,86,505

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता

7816. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 तथा 1968-69 के आय-व्ययक सम्बन्धी भाषणों में उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता का पता वर्ष के अन्त तक ही लगेगा और मितव्ययता करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में पृथक-पृथक कितनी मितव्ययता की गई है और किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत मितव्ययता की गई है ;

(ग) उक्त अवधि में प्रशासनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या ठोस कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1967-68 या 1968-69 के बजट-भाषण में यद्यपि इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता का पता, वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद लगेगा, तथापि सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार, कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुये, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रयास करती रहेगी ।

(ख) मितव्ययिता लाने के लिये सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में उपाय किये गये हैं, जिन्हें विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इन उपायों के फलस्वरूप विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जो मितव्ययिता लाई गई है, उसके बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रशासनिक व्यय में अधिकांश वृद्धि के कारण, पुलिस और लेखा-परीक्षा जैसे अनिवार्य कार्य-कलापों का विस्तार तथा जीवन-निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप महंगाई-भत्ता देने और विभिन्न लाभों के निमित्त महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मान्यता देना आदि जैसी अपरिहार्य बातें हैं।

(घ) प्रशासनिक व्यय को सीमा के भीतर रखने के लिए, पिछले वर्षों में किये गये अनेक उपाय जैसे—यात्रा-भत्ते की दरों में कटौती, वायुयान से यात्रा करने की श्रेणी पर प्रतिबन्ध, विदेशी कारों की खरीद पर अविरोध, वेतनमानों में वृद्धिकारी संशोधन पर रोक, नेवी स्थानान्तरणों पर रोक आदि बदस्तूर जारी है।

हाल ही में कतिपय वर्गों के कर्मचारियों की भरती पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कर्मचारी-निरीक्षण अध्ययनों पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, मितव्ययिता के लिये प्रयास एक सतत् प्रक्रिया है और इन क्षेत्रों की खोज निरन्तर जारी रहेगी, जहां मितव्ययिता ला सकना व्यवहार्य है।

Recovery of Watches in Calcutta

7817. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the customs authorities recovered about 1000 wrist watches during a raid on a shop in Calcutta in January, 1969 ;

(b) if so, the value of the wrist watches so recovered ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Yes, Sir. On 20/21 January, 1969 the Customs authorities seized 1229 wrist watches valued approximately at Rs. one lakh (market value) from a shop in Calcutta. No arrest was made. Further investigations are still in progress.

Workers in Public Sector Undertakings

7818. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of labourers working at present in the public sector undertakings ; and

(b) the present number of public sector undertakings and the number of persons given jobs in these undertakings during the last two years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Presumably the Hon. Member is seeking information on the total number of employees in the Public Enterprises. In March, 1968, the latest year for which information is available, there were 5.54 lakhs employees in the 83 industrial and commercial undertakings of the Central Government. The number of persons employed in these undertakings increased by 82,500 during the two-year period 1966-67 and 1967-68.

बिहार में मोतियाबिन्द के रोगी

7819. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि भारतीय चिकित्सा संस्था के अनुसार राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति मोतियाबिन्द से पीड़ित हैं परन्तु बिहार के कई भागों में 75 प्रतिशत व्यक्ति पीड़ित हैं और पटना(बिहार) में तो इस रोग ने महामारी का रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मोतियाबिन्द से इतने अधिक लोगों के पीड़ित होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों के तथा अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) लोगों को आंखों के इस रोग से इतनी बड़ी संख्या में शिकार होने से बचाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ग) और (घ). भारतीय चिकित्सा संस्था के मुख्य कार्यालय के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है। ट्रैकोमा अध्ययनों के एक अंग के रूप में किये गये राज्य-वार सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये आंकड़ों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 924/69] इस रोग ने पटना में महामारी का रूप धारण नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मोतियाविन्द के कारण पूर्णतया निश्चित नहीं हुए हैं अतः कोई निरोधी उपाय नहीं बरते गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली केन्द्रों की स्थापना

7820. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में दो पनबिजली केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कहां होगी और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) कार्य कब शुरू होगा और कब पूरा होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हिमाचल प्रदेश में बैरा-सियूल पन-बिजली परियोजना नाम की एक स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

(ख) और (ग). इस परियोजना में 67-67 मैगावाट के तीन यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है, जिनकी अनुमानित लागत 20.48 करोड़ रुपये है। बिजलीघर को पुनियर गांव के निकट सियुल नदी के दायें तट पर बनाने का विचार है। इस परियोजना की कार्यान्विति के लिए अभी अनुमोदन दिया जाना है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को घाटा

7821. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को भारी घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). इसके प्रारम्भ से लेकर 1967-68 वर्ष के अंत तक होने वाली संचयी हानि 19.57 करोड़ रुपये थी, जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं :

	(करोड़ रुपयों में)
(1) उत्पादन प्रक्रियाओं पर होने वाली हानि	15.64
(2) सांविधिक विकास छूट आरक्षण के लिये व्यवस्था	2.10
(3) निर्माण अवधि के दौरान होने वाला खर्चा, जिसे हानि रूप में माना गया	1.83
जोड़ ..	19.57

मेसर्स अतुल पेरिख, बम्बई से धन का बरामद किया जाना

7822. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़ी गई फाइलों से बम्बई के मेसर्स अतुल पेरिख से 2,000 रुपये धनराशि बरामद किये जाने सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि पकड़ी गई फाइलों से पता लगा है कि यह 2,000 रु० की राशि उपरोक्त संस्था के कहने पर ली गई थी परन्तु उसे न तो मूल्यवान वस्तुओं की पंजी में पंजीकृत किया गया और न ही उसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में जमा कराया गया ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गोलमाल करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जुलाई, 1964 में बम्बई के श्री अतुल पारेख के पास से 100 पौंड की मुद्रा पकड़ी थी । समुचित पंचनामा लिखने के बाद ही यह रकम कब्जे में ली गई थी और आगे यथोचित कार्यवाही की गई थी । श्री अतुल पारेख के पास से या उसकी फर्म से 2,000 रुपये की कोई रकम नहीं पकड़ी गई थी । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से भी पता चलता है कि बम्बई के मैसर्स अतुल पारेख से 2,000 रुपये की कोई रकम नहीं पकड़ी गई थी । इसलिए, उक्त 2,000 रुपये की इन्दराज मूल्यवान वस्तुओं के रजिस्टर में करने अथवा उसे भारत के रिजर्व बैंक में जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता, क्योंकि इस मामले में कोई गबन नहीं हुआ है ।

(घ) जी, हां । इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस समय तक अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध लगाए उपर्युक्त और अन्य आरोपों पर विचार किया गया है । अब इस रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ।

(ङ) जी, हां ।

गुजरात राज्य में वापी में बड़ी भारी मात्रा में चांदी पकड़ी जाना

7823. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जनवरी, 1969 को गुजरात राज्य में वापी के निकट 20 लाख रुपये के मूल्य की चांदी पकड़ी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने विशेष रिजर्व पुलिस की मदद से 30 जनवरी, 1969 को गुजरात में वापी के निकट इकलेरा

गांव से जमीन के नीचे छिपाई हुई चांदी की 101 सिल्लियां पकड़ीं, जिनका वजन लगभग 3275 किलोग्राम था और मूल्य लगभग 18 लाख रुपये था ।

(ख) और (ग). चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, जिन्हें मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा कर दिया है । आगे जांच पड़ताल जारी है ।

खेतरी तांबा परियोजना

7824. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतरी तांबा परियोजना की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है ;

(ख) उक्त परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ग) परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ;

(घ) उक्त परियोजना द्वारा विद्युत-विश्लेषिक तांबा (इलैक्ट्रोलिटिक कापर) उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां । कार्य सामान्यता समयावलि के अनुसार प्रगति कर रहा है ।

(ख) खेतड़ी तांबा प्रायोजना पर, जिसमें कोलिहान भी सम्मिलित है, जनवरी, 1969 के अन्त तक किया गया खर्चा लगभग 15.03 करोड़ रुपये है ।

(ग) से (ङ). खेतड़ी तांबा प्रायोजना द्वारा प्रतिवर्ष 31,000 मैट्रिक टन इलैक्ट्रोलिटिक तांबा धातु के उत्पादन का आयोजन है । संकेन्द्रक के 1970-71 तक तथा प्रद्रावक और शोधनशाला के क्रमश: 1971 तथा 1972 तक चालू किये जाने की सम्भावना है । इलैक्ट्रोलिटिक तांबे का पूरा उत्पादन 1973 तक प्राप्त किया जाना नियत है ।

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का विद्युत जनन केन्द्र

7825. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951 से 1968 तक वर्ष-वार "कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन" के विद्युत जनन केन्द्र की कुल स्थापित क्षमता क्या थी ;

(ख) क्या भारत सरकार के वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार विद्युत जनन और वितरण का दायित्व केवल राज्य सरकार पर ही है ; और

(ग) यदि हां, तो एक विदेशी गैर-सरकारी कम्पनी को अपनी स्थापित क्षमता को बढ़ाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता नीचे दी जाती है :

वर्ष	क्षमता (मैगावाट में)
1951-52 से 1961-62	449.5
1962-63	434.5
1963-64 से 1967-68	484.5

(ख) और (ग). 'बिजली' का उत्पादन और वितरण औद्योगिक नीति से सम्बद्ध 1956 के संकल्प की 'क' सूची में वर्णित है जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी यूनिटों का विस्तार किया जा सकता है । बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को 1963-64 में अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता बैठाने की इजाजत दी गई थी ।

Memorandum to World Bank Commission

7826. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have presented a Memorandum to the Commission appointed by the World Bank in regard to Development aid to India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of various countries in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

औषधि निर्माता फर्मों को अमरीकी ऋण

7827. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में औषधि-निर्माता फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें या तो अमरीकी ऋण मिला है अथवा जिन्होंने अमरीका के गैर-सरकारी पक्षों के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग कर रखा है ;

(ख) प्रत्येक फर्म को अमरीका से ऋण की कितनी राशि मिली है ;

(ग) प्रत्येक फर्म की अंश पूंजी में अमरीका की गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक फर्म की कितनी पूंजी हैं ; और

(घ) उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिनका भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की औषधि-निर्माता फर्मों पर नियंत्रण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 925/69]**

(घ) निजी क्षेत्र में लगभग 2400 औषधि निर्माण की इकाइयां हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि औषधि निर्माता फर्मों पर व्यापार गृहों के नियंत्रण से क्या तात्पर्य है ।

Demands of Life Insurance Workers Union, Gorakhpur

7828. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a representation from the Life Iusurance Field Workers Union, Gorakhpur, regarding increase in the Dearness Allowance, annual bonus, abolition of two grades in one class and about the gradation of pay scale in accordance with the recommendations of the Gajendragadkar Commission ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Prior to Governments decision on the 16th February, 1969 on the four issues jointly referred to it by the National Federation of Insurance Field Workers and the Life Insurance Corporation representations were received from the unions of Development Officers of the Corporation at various Branches including Gorakhpur, requesting for a just and appropriate decision on these issues. Subsequent to the Government decision no fresh representation has been received.

(b) Does not arise.

Canal in Maharashtra from Tapti River

7829. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra is taking out in that State a canal from the Tapti River near Hatmur village of Burhanpur Tehsil of East Nimad District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether they have consulted the Government of Madhya Pradesh in this regard ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether the Burhanpur Tehsil of Madhya Pradesh will also be benefited by this scheme ; and

(e) whether the Government of Madhya Pradesh have made any enquiries from the Central Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Maharashtra Government propose to construct the upper Tapti project near Hatnur of Jalgaon Distt. of Maharashtra State with a Right Bank canal from this Dam.

(b) and (c). The Government of Madhya Pradesh have agreed to the submergence of about 480 acres of their land by the Upper Tapti Project.

(d) No.

(e) No.

Supply of Kerosene Oil to Madhya Pradesh

7830. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the **per capita** supply of Kerosene oil in Madhya Pradesh during 1966-67 ;

(b) whether it is a fact that whatever supply was made, it was far below the demand ; and

(c) if so, whether Madhya Pradesh was allocated sufficient kerosene oil during the year 1967-68 keeping in view their actual demand for the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The total sales of Kerosene during April 1966 to March, 1967 were 118,783 tonnes. On an estimated population of 3,69,31,000 on 1-7-1966, the **per capita** consumption works out to approximately 3.22 kgs. or 4.13 litres.

(b) No.

(c) Figures of allocation, despatches and actual sales in the State during 1967-68 are as under :

Tonnes

Quota	Despatches	Sales
1,43,400	1,21,638	1,19,957

Dam on Tapti River

7831. **Shri G. C. Dixit** : Will the the Minister **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dam is being constructed on river Tapti near Navatha village of East Nimad district of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the full details thereof and the time likely to be taken for the completion; and

(c) whether the State Government has sought any help from Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Not yet.

(b) and (c). Does not arise.

Employees of Security Paper Mill, Hoshangabad

7832. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total number of employees in the Security Paper Mill, Hoshangabad and the number of those belonging to Hoshangabad District out of them;

(b) whether it is a fact that none of the Class I and Class II employees belongs to Hoshangabad District; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The total number of employees as on 22-4-1969 is 1,105; of them, 735 belong to Hoshangabad District.

(b) and (c). The Class I and Class II officers of the Mill have been taken either from other Government Departments or generally recruited through the Union Public Service Commission on an all India basis. At present, no Class I and Class II Officer of the Mill belongs to Hoshangabad District.

बहरे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

6833. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1969 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में बहरे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सभी बहरे व्यक्ति जन्म से बहरे नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार देश में बहरे व्यक्तियों की संख्या को कम करने के विचार से कोई अनुसन्धान करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) निदान किये गये बहरे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। किसी सर्वेक्षण के अभाव में ऐसा कोई संकेत या स्पष्ट कारण नहीं है जिसके आधार पर यह मान लिया जाय कि देश में बहरे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(ग) यद्यपि बहरे व्यक्तियों में जन्म जात बहरों की संख्या अधिक है तथापि सभी बहरे व्यक्ति जन्म से बहरे नहीं होते, बाद में हुआ बहरापन तानिका-शोथ, (मेनिग्जाइटिस)

कतिपय विषाणु संक्रमणों के कारण होता है और कभी-कभी यह अत्यधिक ज्वर के कारण भी हो जाता है। कुछ औषध भी ऐसी हैं जिनके कारण बहरापन हो जाता है।

(घ) बहरेपन के कारणों तथा उसके प्रकोप के बारे में वाराणसी, लखनऊ और काकीनाड़ा में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के तत्वावधान में समय-समय पर अनुसन्धान किये गये हैं। बहरेपन के विभिन्न पहलुओं तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के बारे में भी वेल्लौर, नई दिल्ली और मैसूर में अनुसन्धान किया जा रहा है।

Deficiency of Drinking Water in Delhi

7834. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that deficiency in the supply of drinking water in Delhi crops up every year ;

(b) if so, the names of areas which are affected as a result thereof ;

(c) the names of areas which are likely to face this deficiency of water this year and the reasons therefor ; and

(d) the steps proposed to be taken to meet their requirements in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Some shortage in the supply of drinking water in Delhi is experienced during summer every year in the following areas as they lie at the tail end of the distribution system or on high elevation :

1. Parts of city like Maliwara, Dariba, Chowk Raiji, Chira Khanna.
2. Parts of Rama Krishna Puram.
3. Areas like Tilak Nagar, Ashok Nagar, Rajauri Garden etc. in West Delhi.

(d) This deficiency will be ultimately overcome by completing the booster station schemes near Netaji Subhash Park and Jhandewalan Areas.

Meeting to Discuss Problems of Unauthorised Colonies

7835. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an all-party meeting was held in Delhi on the 15th March, 1969 to consider the problem of unauthorised colonies and houses ;

(b) if so, the parties whose representatives took part in the said meeting and the names of those representatives ;

(c) whether any decision was taken in the said meeting ; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Deuelopment (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Foreign Loans for Deficit in Fourth Plan

7836. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign loans would be needed to make up the deficit in the Fourth Plan ;

(b) if so, the extent to which the deficit is likely to be made up by foreign loans ;

(c) the names of countries from which loans are likely to be received for the Founth plan and the amount likely to be received from each country ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Foreign loans will be needed to provide the external resources required for planned development, for meeting a part of the import needs as well as to supplement internal resources. The Draft Fourth Five Year Plan has assumed a gross inflow of foreign aid of Rs. 4030 crores.

(c) Since most of the aid is at present being committed on an annual basis, it is difficult to indicate the likely aid to be received from different countries during the Fourth Plan.

Banking and Credit Institutions in Fourth Plan

7837. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that banking and credit institutions are helpful in the economic development of India ;

(b) the steps proposed to be taken by Government to help the banking and credit institutions in the country in their expansion for the industrial, commercial and agricultural development during the Fourth Five Year Plan ; and

(c) the details of banking and credit institutions proposed to be set up during the Fourth Plan with a view to making available more credit and loans to the cultivators in the country ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Steps taken in pursuance of the recent policy of social control over commercial banks are intended to ensure that credit is available to productive sectors within the frame work of the planned economy. The Reserve Bank has been encouraging commercial banks to meet the financial needs of priority sectors, namely exports, agriculture and small scale industries by making available refinance facilities at bank rates or at concessional rates in respect of credit extended by them to these sectors.

(c) Legislation was passed by Parliament in December, 1968 enabling the States of Assam, Bihar, West Bengal, Orissa, Rajasthan and the Union territories of Manipur and Tripura to set up Agricultural Credit Corporations for disbursing short and medium-term credit to agriculturists in areas where cooperative credit structure is not adequately developed.

Businessmen found guilty under Prevention of Food Adulteration and Drugs and Cosmetics Acts

7838. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of businessmen found guilty of malpractices during the years 1966-67,

1967-68 and 1968-69 under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Drugs and Cosmetics Acts, 1940 respectively ; and

(b) the steps being taken to enforce the said Acts more vigorously ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A statement giving the number of persons found guilty of offences under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, during the calendar years 1966 and 1967, is placed on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-926/69]** Similar information for the year 1968 and about the number of persons found guilty under the Drugs and Cosmetics Acts, 1940, during the three years is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) The State Governments, who are the implementing authorities, have been asked from time to time to enforce these Acts more vigorously.

पोतों को किराये पर देने से अर्जित विदेशी मुद्रा का स्वदेश भेजना

7839. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन एजेन्टों तथा दलालों द्वारा पोतों को किराये पर देर से अर्जित विदेशी मुद्रा की पूरी राशि के प्रत्यावर्तन में अपवंचन करने के प्रयत्नों की ओर ध्यान दिलाते हुये किसी संसद सदस्य ने सरकार को एक पत्र भेजा है ;

(ख) क्या नौवहन एजेन्टों तथा दलालों की इस गिरोहखोरी के प्रमाण में उस संसद सदस्य ने कोई दस्तावेज भेजा है ;

(ग) क्या इन नौवहन एजेटों तथा दलालों के इन कदाचारों के बारे में कोई सामान्य अथवा विशेष जांच के आदेश दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). एक संसद् सदस्य से दिनांक 18 मार्च, 1969 का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि भारत में जहाजों के एजेन्टों और दलालों द्वारा जहाजों को किराये पर लेने/देने से अर्जित विदेशी मुद्रा की पूरी आय स्वदेश नहीं लाया जाता। उक्त पत्र के साथ कतिपय दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की गई थीं , जिनकी मन्शा दो पार्टियों के विरुद्ध पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करना था। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां उन कागजों में हैं जो प्रवर्त्तन निदेशालय की बम्बई शाखा ने 14 दिसम्बर, 1968 को, इन पार्टियों के यहां ली गई तलाशियों के फलस्वरूप पकड़े थे। पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन के आधार पर एक पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है कि विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाय ? आगे जांच-पड़ताल जारी है।

सीसे और जस्ते के निक्षेप

7840. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में जावार और दरिबा-राजपुर क्षेत्रों में हाल ही में जस्ते और सीसे के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दरिबा-राजपुरा के सीसा तांबा निक्षेपों का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अभी हाल ही में पता लगाया गया था। जावर के सीसा-जस्ता निक्षेप काफी समय से ज्ञात हो गये हैं ।

(ख) जावर निक्षेपों का विकास हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्तमान जस्ता तथा सीसा प्रद्रावकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है तथा और आगे भी किया जा रहा है। इन स्वदेशी साधनों से धातु के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जावर तथा राजपुरा-दरिबा क्षेत्रों के निक्षेपों का अधिक समन्वेषण तथा सिद्ध करने का कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है ।

Payment of Wealth Tax by Ministers

7841. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4224 on the 24th March, 1969 regarding payment of wealth tax by Ministers and state :

(a) the reasons for which the declared wealth of the Central Ministers had been increased by Wealth-tax Officers ;

(b) the details of the wealth increased in the case of each Minister ;

(c) the reasons for which penalties were not imposed on the Ministers whose declared wealth had been increased when the penalty ought to have been imposed on them according to law ;

(d) whether Government propose to refer this matter to the Attorney General for his opinion about the imposition of penalty on the concerned Ministers ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The details of increase made by the Wealth-tax Officers to the declared wealth of the Central Ministers in the last four completed assessments along with reasons, are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-927/69]**

(c) Penalty under section 18(1)(c) of the Wealth-tax Act could be levied only if an assessee had concealed the particulars of any assets or furnished inaccurate particulars of any assets or debts. The normal position in law is that no penalty can be levied unless the department is able to prove that the assessee has concealed the particulars of any asset or furnished inaccurate particulars thereof. There was, however, a departure from this normal position with the introduction of an Explanation to section 18(1) with effect from 1-4-1965, under which an assessee is deemed to have concealed the particulars of assets, where the net wealth returned by the assessee is less than 80% of the net wealth assessed (with effect from 1-4-1968, the percentage is 75%). Even in such cases where the difference between the assessed wealth and declared wealth exceeds the tolerance margin, the explanation provides that no penalty can be levied, if the assessee proves that the failure to return the correct wealth did not arise from any fraud or gross or wilful neglect on his part. From the details of the additions made and the reasons therefor, as given in the Annexure, it will be seen that the additions to the returned net wealth had mostly resulted from the computation of the value of immovable property, shares and other assets by the Wealth-tax Officers. In the matter of valuation of assets, there is scope for honest defferences of opinion not only between the department and the assessees but also between one authorised valuer and another. In a few cases the correct position regarding the exemptions and deductions available under the Act have not been properly appreciated. It will, therefore, be clear that no penalty could have been levied in the cases mentioned in the Annexure.

(d) No, Sir.

(e) The position under the law is very clear.

सहकारी आधार पर नाइलोन का धागा बनाने के सन्यन्त्र के लिये लाइसेंस

7842. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आधार पर नये उद्योग आरम्भ करने वालों को नये लाइसेंस नहीं दिये जाते और लाइसेंस केवल विद्यमान कारखानों को ही दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नाइलोन का धागा बनाने के उद्योग पर केवल कुछ उद्योगपतियों का ही एकाधिपत्य हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात राज्य में सूरत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला स्थान है ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में सूरत में सहकारी क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर '200' का नाइलोन का धागा बनाने के लिए नए लाइसेंस देने का विचार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वर्तमान यूनिटों के विस्तार के सिवाय नाइलोन धागे को 1965 में प्रतिबन्धित

सूची में रखा गया था। तब से लेकर किसी पार्टी को कोई नया लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया।

(ख) जी हां।

(ग) नाइलोन तागे को प्रतिबन्धित सूची में रखने से पहले सूरत के सहकारी क्षेत्र से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

राजस्थान नहर

7844. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सभा के मुख्य मंत्री ने राज्य में सूखे की वर्तमान स्थिति पैदा होने से पहले घोषणा की थी कि राजस्थान नहर के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए 25,000 मजदूर लगाए जायेंगे ;

(ख) गत छः महीनों में, महीनेवार, कुल कितने मजदूर काम पर लगाए गए ;

(ग) यदि ये आंकड़े उपर्युक्त आंकड़ों से कम हैं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि विहित स्वार्थ वाले ठेकेदार नहर परियोजना की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि यह कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जब राजस्थान में अकाल की स्थितियां स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी, तो राजस्थान नहर पर 25,000 व्यक्तियों तक अकालग्रस्त मजदूरों को काम में लगाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था।

(ख) गत छः महीनों के दौरान राजस्थान नहर पर निम्नलिखित रूप से अकालग्रस्त मजदूर लगाए गए थे :

नवम्बर,	1968	600
दिसम्बर,	1968	2000
जनवरी,	1969	2400
फरवरी,	1969	2900
मार्च,	1969	1500
अप्रैल,	1969	1450

(ग) राजस्थान नहर का निर्माण केवल बीकानेर और गंगा नगर जिलों के भागों में हो रहा है। दूसरी ओर लगभग समस्त राजस्थान अभाव ग्रस्त है—कहीं कम और कहीं अधिक और अन्य सहवर्ती जिलों में से अकाल ग्रस्त मजदूरों को राजस्थान नहर परियोजना पर ले जाने के

लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु यह देखा गया है कि वे राजस्थान नहर पर काम करने के लिये केवल काम के आधार पर सैकड़ों मील दूर स्थानों पर स्थानान्तरित होने के लिए राजी नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने अकाल-ग्रस्त गांवों के निकट किए जा रहे अन्य अकाल सहायता कार्यों में नौकरी मिल जाती है। इन्हीं कारणों से नहर पर लगने वाले अकालग्रस्त मजदूर अधिकतर उन गांवों से आते हैं जो केवल राजस्थान नहर प्रणाली के निकट हैं।

(घ) यह सत्य नहीं है।

ग्राम विद्युतीकरण

7845. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों के विद्युतीकरण, जिसमें सिंचाई के लिए और कृषि पम्पों के लिए बिजली देना शामिल है, पर 372 करोड़ रुपये का थोड़ा परिव्यय होने के क्या कारण हैं जबकि इनके लिये 3200 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किए गए थे ;

(ख) क्या धन की कमी के कारण ऐसा हुआ हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु उद्योगों को दी जाने वाली बिजली पर उपकर लगाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार ग्रामी क्षेत्रों में तेजी से बिजली की व्यवस्था करने के लिए धन की कमी को कैसे पूरा करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 363 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है (राज्यों और केन्द्र की योजनाएं) जब कि बिजली के लिए कुल 2085 करोड़ रुपए की योजना में व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था संसाधनों के सीमित होने के सन्दर्भ में की गई है।

(ग) और (घ). इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त संसाधन ढूंढने के लिए विविध विशिष्ट उपायों पर विचार करना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है।

Loan to States for Rural Electrification and Inter-State Electricity Cable Laying Schemes

7846. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of loans given to various States, State-wise, by his Ministry under the Rural Electrification Scheme and the inter-State Electricity cable-laying Scheme during the years 1967-68 and 1968-69, separately ; and

(b) whether Government have under consideration any proposal to increase the aforesaid amount ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) A statement showing the loans given to States for Rural Electrification in 1967-68 and 1968-69 and loans given for construction of inter-State transmission lines in 1968-69 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-928/69**]. Earmarked Central loan assistance was not given to the States in 1967-68 for construction of inter-State transmission lines.

(b) Outlays in the Fourth Five Year Plan are yet to be finalised.

पश्चिम बंगाल को अपनी अर्थोपाय स्थिति सुधारने के लिये ऋण

7847. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1968-69 में पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुधारने के लिए कोई ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कैंसर उपचार अस्पताल

7848. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका की सहायता से देश के विभिन्न भागों में कैंसर की चिकित्सा के लिये कुछ अस्पताल स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से एक अस्पताल पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह अस्पताल कब स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में चलचित्र उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा देय आय-कर की बकाया राशि

7849. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य के चलचित्र उद्योग के उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम

क्या हैं जिन्होंने इस समय आय-कर की बकाया राशि के रूप में 5 लाख रुपये से अधिक राशि देनी है; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

नाम	वसूली के लिये की गई कार्यवाही
1. मेसर्स मोतीमहल थियेटर्स (प्रा०) लि०	बकाया रकम के वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं। कम्पनी अब मतप्राय है। ऐसी कोई परिसम्पत्तियों का अता-पता नहीं चल रहा है जिनसे वसूली की जा सके।
2. श्री एस० एस० धनुका 3. श्री एच० जे० दवे 4. श्री हीराचन्द विस्तारक 5. श्री डी० पी० अग्रवाल 6. श्री एन० के० बागड़िया 7. श्री के० डी० लइसरिया 8. श्री जे० के० दवे० 9. कैलाश पिक्चर्स	इन सभी मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। उक्त निर्धारितियों से बकाया रकम वसूल करने के लिये विधि-संगत कठोर उपायों के द्वारा सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Housing Problem in India

7850. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have made a study of the housing problem in India ;

(b) the extent of shortage of houses in cities and villages; respectively ; and

(c) the details of the scheme proposed to be implemented to meet this shortage and the amount of expenditure involved thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A general study of the problem of Housing in India has been made.

(b) The current shortage of housing has been estimated to be about 12 million dwelling units in urban areas and about 72 million dwelling units in rural areas (i.e. a total shortage of about 84 million units), including those which have to be substantially improved or totally rebuilt.

(c) It is proposed to continue all the existing housing schemes, which are directed towards the amelioration of housing conditions of persons in the low and middle income brackets. The schemes are enumerated below :—

(i) The Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of the Community.

(ii) The Low Income Group Housing Scheme.
(iii) The Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers.
(iv) The Slum Clearance and Improvement Scheme.
(v) The Village Housing Projects Scheme.
(vi) The Middle Income Group Housing Scheme.
(vii) The Land Acquisition and Development Scheme.
(viii) The Rental Housing Scheme for State Government Employees.
(ix) The Jhuggi and Jhopri Removal Scheme.

The salient features of these schemes are indicated in the Annual Report of the Department of Works, Housing and Urban Development, for the year 1968-69. According to the indications given in the Draft Fourth Five Year Plan, a provision of Rs. 170.70 crores is likely to be available under the head 'Housing and Urban Development'. This amount includes Rs. 40 crores for development of Calcutta Metropolitan Region, Rs. 30 crores for construction of general pool accommodation (both office and residential) by the C.P.W.D. and Rs. 100.70 crores for all other housing and allied programmes. The funds thus available would be far too meagre to meet the overall need. The answer to the problem only lies in activising the private sector and mobilising private resources for Housing, in a progressive manner. In the Fourth Plan, concerted efforts may, therefore, have to be made in this direction.

If the existing deficit of 84 million dwelling units is to be wiped off, it would call for an investment of the order of Rs. 33,000 crore. Without reckoning the cost of planning, laying of streets, severage, and other facilities and amenities.

Legislators on Boards of Government Undertakings

7851. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the Government or Semi-Government undertakings whose Directors, Chairmen of the Board of Directors or other office-bearers are Members of Parliament or Members of any State Legislative Assembly or Legislative Council ; and

(b) the names of these Members together with the offices they are holding ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House, as soon as it is available.

घटिया किस्म की औषधियां बनाना

7852. **श्री राम चरण** :
श्री स० कुन्दू :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेची जा रही ए० पी० सी०, वी० काम्पलेक्स, बेन्जील बेन्जोट, क्लोरोडीन, वीनम आइपेकाक और मल्टीविटामिन आदि कुछ औषधियां इनके लिये निर्धारित फार्मोकोपिया नुस्खे के मानक के अनुसार नहीं बनायी जा रहीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये औषधियां घटिया किस्म की हैं और जनता के स्वास्थ्य पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या इस प्रकार की औषधियों की बिक्री को रोकने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि निर्माता आई० पी० 66 में इस प्रकार की औषधियों के लिये निर्धारित मानक के अनुसार इन औषधियों को बनायें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) औषध एवं अंगराग अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत ए० पी० सी० गोलियां एवं बेन्जील बेन्जोट जैसे भेषजकीय सम्पाक फार्मोकोपिया में निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए और वी० कम्पलेक्स, क्लोरोडीन, वीनम आइपेकाक और मल्टी-विटामिन आदि पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषधियां लेबल या डिब्बे पर निर्धारित रूप से दिखाये गये फार्मूला या संघटकों की सूची के अनुसार होनी चाहिये। सूचना मिली है कि कुछ फर्में ए० पी० सी० की गोलियां बेच रही हैं जो कि यू० एस० ए० की नेशनल फार्मूलरी के अनुसार हैं और भारतीय भेषज संहिता, 1966 में निर्धारित मानक से भिन्न हैं।

(ख) भारतीय भेषज संहिता 1966 के अनुसार न बनाई गई ए० पी० सी० की गोलियां मानक कोटि की नहीं समझी जाती हैं। किन्तु कोई ऐसी सूचनायें नहीं मिलीं कि इन गोलियों के सेवन से जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ग) निर्धारित मानकों के अनुसार न बनाई गई औषधियों को बेचने वाले निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये औषध एवं अंगराग अधिनियम में पहले ही पर्याप्त अनुबन्धों की व्यवस्था है। राज्यों के औषध नियन्त्रक अधिकारियों को लिखा गया है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि देश में बनाई जाने वाली ए० पी० सी० गोलियां भारतीय भेषज संहिता 1966 में निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही हैं।

निर्यात वित्त पोषण योजनाओं के सम्बन्ध में जापानी बैंक के विशेषज्ञ का प्रतिवेदन

7853. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में इस समय चल रही विभिन्न निर्यात वित्त पोषण योजनाओं का अध्ययन करने तथा उनके बारे में सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये एक जापानी बैंक विशेषज्ञ को भारत बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस जापानी विशेषज्ञ ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं और क्या सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ जापान के एक जापानी विशेषज्ञ श्री योशिआकी टोडा को निर्यात ऋण-सम्बन्धी-समस्याओं का अध्ययन करने और उसमें सुधार के सुझाव देने के लिए निमंत्रित किया था।

(ख) श्री टोडा ने नवम्बर 1968 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त रिपोर्ट फरवरी 1969 में अपने मासिक बुलेटिन में प्रकाशित कर दी है।

(ग) श्री टोडा ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दी थी सरकार को नहीं और इसलिए उक्त रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर प्रारम्भ में विचार करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सम्बद्ध अभिकरणों ने पहले ही कार्रवाई कर ली है। श्री टोडा द्वारा की गयी मुख्य-मुख्य सिफारिशों और उनके सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 929/69]

जापान द्वारा खाद्यान्न की सहायता

7854. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और भारत के बीच एक समझौता हुआ है और जिसके अन्तर्गत भारत को खाद्यान्न की सहायता धीरे-धीरे बढ़ाई जायगी;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जापान ने, भारत को, अन्तर्राष्ट्रीय अन्न व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य सहायता सम्बन्धी समझौते के अनुसार सहायता देने की पेशकश की है। चूंकि आवश्यक ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है, इसलिए किसी करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

नागपुर (कोनहादी) ताप बिजली परियोजना

7855. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर (कोनहादी) बिजलीघर के शिलान्यास का पत्थर, जो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा लगाया गया था, चोरी हो गया है और वहां से कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी नहीं । परियोजना पर कार्य प्रगति पर है परन्तु धन की कमी के कारण प्रगति धीमी है ।

Setting up of Rural Electrification Corporation

7856. **Shri Deorao Patil :**
Shri Mangalathumadam :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up Rural Electrification Corporation to accelerate the pace of progress of rural electrification work during the Fourth Plan period ; and

(b) if so, when this Corporation is likely to be set up and the functions thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Yes, Sir. It is proposed to set up a Rural Electrification Corporation shortly and details in this connection are under consideration. The Corporation will provide finance for Rural Electrification Schemes including Rural Electric Co-operatives which are proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan.

आरामबाग, नई दिल्ली में शरणार्थियों द्वारा बनाये गये मकान

7857. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1948 में आरामबाग प्लेस, पहाड़गंज, नई दिल्ली के पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने भूमि तथा विकास प्राधिकार की भूमि पर पांच मकान बना लिये थे;

(ख) यदि हां, तो उन शरणार्थियों को वहां से हटाने तथा उनसे हर्जाना लेने के लिये उन पर क्यों मुकदमा चलाया जा रहा है, और 'गाडगिल आश्वासन' के अन्तर्गत उन निवास-स्थानों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं, यद्यपि सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (दूसरा प्रतिवेदन) ने भी इसी आशय की सिफारिशें की हैं, जो 26 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था;

(ग) उनको नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और उन्हें नियमित करने में अभी कितना समय और लगेगा; और

(घ) दिल्ली में ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें गाडगिल आश्वासनों के अनुसार वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) गाडगिल आश्वासन के अनुसार इन पांचों व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान पेश किए

गए, परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। वृहत योजना (मास्टर प्लान) के उपबन्धों के अन्तर्गत, इन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से दखल में ली गई भूमि का उपयोग, पाठशालाओं के लिए, और सड़कों को चौड़ा करने के लिए होना है। क्योंकि निर्माण अनधिकृत हैं और उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता, अतएव पब्लिक परिमिसेज इविक्शन एक्ट, के अधीन उनकी बेदखली के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में, सरकारी आश्वासन पर समिति (दूसरी रिपोर्ट) (चौथी लोक-सभा) के नवीनतम सुझावों को कार्यान्वित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). गाडगिल आश्वासन को अधीन पुनर्वास के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या मालूम करने के लिए उपाय किये गये हैं। इस अवस्था में अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने या नियमित करने के लिए उपाय किये गये हैं। इस अवस्था में अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने या नियमित करने के बारे में कोई अन्तिम तिथि निश्चित करना संभव नहीं है।

मुख्य मंत्रियों द्वारा धन-कर का भुगतान

7858. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के उन मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जो धनकर देते हैं;

(ख) प्रत्येक मुख्य मंत्री के पास कितने मूल्य की सम्पत्ति है;

(ग) उन मुख्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके घोषित धन को धन-कर अधिकारियों ने अधिक आंका है और प्रत्येक मामले में कितना अधिक धन आंका गया है; और

(घ) क्या सरकार ने इन मुख्य मंत्रियों के धन का मूल्यांकन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह एकत्रित की जा रही है। उसे यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

7859. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य केवल केन्द्रीय सरकार की सहायता पर ही निर्भर करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ये राज्य अपने विकास के लिए अपने साधन स्वयं जुटा सकें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). वर्तमान लक्षणों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड दो राज्य अपनी चौथी पंचवर्षीय

आयोजनाओं के लिए अपने साधन नहीं जुटा सकेंगे। इसलिए उनकी आयोजनाओं का पूरा वित्त-प्रबन्ध केन्द्रीय सहायता से किया जायगा।

(ग) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विकास-कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन जुटायें। इस दिशा में राज्य सरकारों को कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इस बात का विचार करना उन्हीं का काम है।

Farrashes and Sweepers Working in the Central Excise Department, Patna

7860. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Farrashes and Sweepers working in the Office of the Central Excise Department at Patna;

(b) whether it is a fact that the said employees are not considered as Class IV employees even after many years of service rendered by them;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to declare the said employees as Class IV employees; and

(e) if so, the time by which the said employees will be declared as Class IV employees and, if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) There are three farrashes and seven sweepers working in the Patna Central Excise Collectorate. Of these, three farrashes and six sweepers are employed as casual labour paid from contingencies.

(b) and (c). As the staff who are paid from contingencies are not borne on the regular establishment, they cannot be considered as Class IV staff under the existing orders of the Government.

(d) and (e). The question of bringing the existing contingency paid farrashes/sweepers to regular establishment has to be considered in the light of certain standing instructions issued by the Ministry of Home Affairs in this regard. These standing instructions impose certain restrictions and conditions which are not at present fulfilled by these farrashes and sweepers. The question whether any or all the conditions and restrictions can be relax is under consideration.

बाढ़ कार्यों के लिये गुजरात को सहायता

7861. **श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल तथा बाढ़ कार्यों के लिये गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ; और

(ग) यह राशि गुजरात सरकार को कब भेजी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस विषय पर गुजरात सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में कारेरी तथा राकशी में सिंचाई की सुविधाएं

7862. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री प्रताप सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये हिमाचल प्रदेश में तहसील रामपुर में कारेरी और राकशी नामक गांवों का गत वर्ष सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राकशी गांव में तो सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है परन्तु कारेरी गांव में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कारेरी गांव में अभी तक इन सुविधाओं की व्यवस्था न की जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस गांव में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय

7863. **श्री राम चरण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय जांच विभाग ने कितने अधिकारियों तथा निकासी (क्लियरिंग) एजेंटों के विरुद्ध रिपोर्टें कीं और कितने मामलों को इसलिये समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनका कोई समुचित प्रमाण नहीं मिला था तथा वे कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा दी गई गलत जानकारी पर आधारित थे ;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों के कारण किसी अधिकारी की पदोन्नति/स्थायीकरण रोक ली गई है तथा/अथवा रोक ली गई थी ;

(ग) गलत तथ्यों तथा तारीखों पर आधारित केन्द्रीय जांच विभाग के आरोपों से अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा झूठे आरोपों के ऐसे तथ्य के बारे में सम्बन्धित

अधिकारी के विरुद्ध जांच तथा उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय जांच विभाग को सूचित किया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1966, 1967 और 1968 के तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता सीमा-शुल्क-गृह के अधिकारियों तथा निकास एजेंटों के विरुद्ध, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट किये गये मामलों की संख्या की सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 930/69] जिन मामलों में अधिकारियों की पदोन्नति/स्थायीकरण रोक दिया गया है अथवा रोक दिया गया था, उनकी संख्या की सूचना भी इसी विवरण-पत्र में दे दी गई है।

इनमें से किसी भी मामले को सबूत के अभाव में या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के आधार पर खत्म नहीं किया गया। इन मामलों में से निपटाये गये और विचाराधीन मामलों के ब्योरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट मात्र एक प्रारम्भिक रिपोर्ट होती है। अनुशासनिक प्राधिकारी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में दी गई सामग्री का अध्ययन करना होता है लेकिन मामले में उपयुक्त कार्यवाही केवल तभी की जाती है जबकि उस प्राधिकारी की राय में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता हो। इससे कर्मचारियों के हित पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहते हैं।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय

7864. **श्री राम चरण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सावधिक तबादलों के बारे में आदेशों, परम्पराओं तथा बनी हुई प्रथाओं का उल्लंघन कर के तथा इस बात के बावजूद कि उनको कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय में कई पदोन्नति दी जा चुकी हैं कुछ अधिकारियों को तलाशी अधिकारी (आसूचना) तलाशी अधिकारी (अनुशासन) तथा निवारक सेवा और सिब्बन्दी विभाग की सतर्कता शाखा में अधीक्षक के गोपनीय सहायक स्थानों में कई वर्षों से उन्हीं पदों पर बने रहने दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य उपर्युक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और उनका तबादला कब करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सामान्यतया अधिकारी एक कार्यालय संगठन से दूसरे कार्यालय संगठन को करीब-करीब नियमित अन्तरालों पर स्थानांतरित किये जाते हैं। तथापि कुछ अधिकारियों को संस्थापन विभाग के तलाशी निरीक्षक, गुप्तचर्या तलाशी निरीक्षक अनुशासन, सतर्कता एकक कार्यालय संगठन आदि में किये

जाने वाले विशिष्ट कार्य को करने में उनकी अर्हताओं, अभिरुचि और कुशलता को ध्यान में रखते हुए लम्बे समय तक उसी कार्यालय संगठन में रखा गया है।

अधिकारियों के एक एकक से दूसरे एकक में बारी-बारी से भेजने के आदेश जारी करते समय दो उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। विशिष्ट कार्य को करने में तारतम्यता और दूसरे इन एककों में नयी प्रतिभा के निरन्तर प्रवेश की आवश्यकता। यह अनिवार्यता एक ऐसा विषय है जिसे स्थानीय विभागाध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो अधिकारियों को इस प्रकार बारी-बारी से बदलते रहते समय संगत बातों को ध्यान में रखता है।

आसाम में गन्दी बस्तियों की सफाई तथा उनमें सुधार

7865. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 के लिये गन्दी बस्तियों की सफाई तथा उनमें सुधार करने के सम्बन्ध में केन्द्र की ओर से कोई योजना बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उस योजना को क्रियान्वित करने हेतु उपरोक्त अवधि के लिए कोई धन-राशि नियत की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें आसाम का हिस्सा कितना था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय द्वारा प्रवर्तित गंदी बस्ती सफाई/सुधार योजना, मई, 1956 में आरम्भ हुई थी। योजना की संक्षिप्त रूपरेखा का विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 931/69]

(ग) और (घ). 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान राज्य सरकारों को किया गया नियतन तथा दी गई राशि का विवरण अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 931/69]

योजना राज्य सरकारों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा रिपोर्ट किये गये प्रथम तीन तिमाहियों के वास्तविक खर्चे तथा चौथी तिमाही के अनुमानित खर्चे के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। योजना के अन्तर्गत निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के द्वारा दी गयी प्राथमिकता तथा उनकी आयोजना सीमाओं के भीतर जिस सीमा तक इनके अनुरूप व्यवस्थायें समायोजित की जा सकती हैं, उस पर निर्भर करता है। 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान योजना के अन्तर्गत आसाम सरकार ने कोई निधियां नहीं मांगी।

औषधि निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा

7866. **श्री राम चरण :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि निर्माता नये स्थापित हुए कारखानों को विदेशी मुद्रा कम दी जा रही है जबकि कुछ अन्य निर्माता मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं तथा लौंग आदि का आयात करके बड़ी विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं और इन वस्तुओं का उपयोग औषधि-निर्माण के लिये न करके इन्हें चोर-बाजारी में बेच कर बहुत अधिक धन कमा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं । राज्य औषध नियन्त्रकों की सिफारिशों पर नये स्थापित कारखानों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में आगामी 6 महीनों के लिए विदेशी मुद्रा देने की पद्धति अपनाई गई है । उत्तरोत्तर अवधियों के लिए यह नियतन निष्पादन के साथ-साथ लाइसेंसकृत क्षमता पर निर्भर है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्मों द्वारा घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण

7867. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक फर्में प्रामाणिक औषधियों के नाम पर घटिया किस्म की औषधियां बना रही हैं, जिनमें भारतीय भेषज निर्माण विज्ञान में बताये गये तत्वों से बहुत कम तत्व होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी औषधियों की उत्पादन लागत मानक औषधियों से बहुत कम है परन्तु जनसाधारण को बाजार से वह उतने ही मूल्य पर मिलती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मानव शक्ति के लिये आवश्यक पर्याप्त औषधि तत्व इस प्रकार की घटिया औषधियों से प्राप्त नहीं होते ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) औषध एवं अंगराग अधिनियम, 1940 के अधीन पेटण्ट अथवा प्रोप्राइटरी औषधों को लेबल अथवा डिब्बे पर प्रदर्शित निर्धारित फार्मूला या औषध संघटकों की सूची के अनुरूप होना चाहिए और जहां तक ये औषधियां लेबल पर उल्लिखित

फार्मूले के अनुरूप होती हैं उन्हें मानक गुण युक्त समझा जाता है। पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषध निर्माता फर्मों के बारे में इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि उनके द्वारा तैयार किये जाने वाली औषधियों में औषध संघटकों की मात्रा भेषज संहिता में निर्धारित चिकित्सीय या रोग निरोधी मात्रा की अपेक्षा कम होती है किन्तु ऐसे सम्पाक लेबल पर उल्लिखित फार्मूले के अनुरूप अवश्य होते हैं।

(ख) पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषधियों की कीमत औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश के अधीन संघटकों, पैकिंग तथा अन्य औषध योगों के बनाने आदि की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ग) पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषधियों को मानक गुण वाला समझा जायेगा, यदि वे लेबल पर वर्णित फार्मूले के अनुरूप हों। चिकित्सीय प्रभवोत्पादकता को मानकों से पृथक रूप में समझना होगा। मानक गुण अनुरूप होते हुए भी पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषधियां कुछ मामलों में चिकित्सीय रूप से प्रभावकारी नहीं हो सकती है।

(घ) राज्य औषध नियंत्रक अधिकारियों को यह सलाह दे दी गई है कि वे निर्माण लाइसेंस की मंजूरी तथा नवीकरण के समय पेटण्ट या प्रोप्राइटरी औषधियों की चिकित्सीय प्रभावकारिता, स्थायित्व आदि दृष्टिकोण से फार्मूले की जांच कर लें।

मनीपुर के लिये मेडिकल कालेज

7868. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और मनीपुर में अपना कोई मेडिकल कालेज नहीं है, सरकार का विचार मनीपुर के लिये 1969-70 में एम० वी० वी० एस० के स्थानों का कोटा बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में मनीपुर के लिये कितने स्थानों का आरक्षण किये जाने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार मनीपुर में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिए मनीपुर के लोगों की मांग पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 1969-70 में मणिपुर को कितनी सीटें नियत की जाती है यह केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध कुल सीटों और संघ राज्य क्षेत्रों की मांग एवं अन्य वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ). मणिपुर के लोगों की मांग पर अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता के संदर्भ में विचार करना होगा। मानदण्ड 50 लाख की आबादी के लिये एक चिकित्सा कालेज होने का है।

उत्तर प्रदेश में गांवों में बिजली लगाना तथा नलकूपों के लिये बिजली की सप्लाई

7869. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में उत्तर प्रदेश में कितने नलकूपों के लिए बिजली सप्लाई की गयी ; और

(ख) 1967-68 में गांवों में बिजली लगाने तथा नलकूपों के लिये बिजली सप्लाई करने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश में 22,670 नलकूपों तथा पम्पों को ऊर्जित किया गया था।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1967-68 में ग्राम विद्युतीकरण तथा नलकूपों/पम्पों को विद्युत सप्लाई करने के लिये 14,74,44,440 रुपये व्यय हुए हैं।

आयातित अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य

7870. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये जाने वाले अशोधित तेल तथा विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य (विदेशी मुद्रा में) क्या हैं ; और

(ख) इन्हीं वस्तुओं के लिये पाकिस्तान और जापान द्वारा दिये जाने वाले जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) देश को आयातित कच्चे तेल के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य निम्न प्रकार है :

कच्चे तेल की किस्म	जहाज पर्यन्त निशुल्क कुल मूल्य (प्रति बैरल अमरीकी डालरों में)
(I) लाइट इरानियन	1.38
(II) कुवैत	1.31
(III) खुरासानिया (अरेबियन मिडयम)	1.35

पेट्रोलियम उत्पाद

मिट्टी के तेल तथा फरनेस तेल के सिवाये, प्रचुर शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात लगभग बन्द हो गया है। भारतीय तेल निगम ठेके सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत इन दो उत्पादों का आयात कर रहा है परन्तु इनके ब्यूरों को बताना जन-हित में नहीं है।

(ख) प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी से जून, 1968 की अवधि के दौरान जापान में आयातित कच्चे तेल के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्यों की औसत निम्न प्रकार थी :

कच्चे तेल की किस्म	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य
(I) लाइट इरानियन	1.464
(II) कुवैत	1.395
(III) अरेबियन मिडियम	1.369

पाकिस्तान में आयातित कच्चे तेल या जापान अथवा पाकिस्तान में आयातित प्रचुर शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्यों के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। ऐसी सूचना सामान्यता नहीं बताई जाती है।

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर खर्च की गई राशि

7871. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) किन प्रमुख मदों के अन्तर्गत यह राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Drinking Water Supply in Bihar

7872. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planing and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a provision under the head "Public Health and Engineering Department" for giving special financial assistance to the States for supply of drinking water ;

(b) if so, the amount of assistance provided to the Government of Bihar for this purpose during the last three years ;

(c) the number of wells and tube-wells constructed by the Government of Bihar with the above assistance ;

(d) whether it is also a fact that the tube-wells, which were constructed under the above assistance in the Maner, Phulwari Sharif, Hathitola of Patna District of Bihar, have been ready for many years but no arrangements have so far been made for supply of water;

(e) if so, the reasons therefor; and

(f) the action proposed to be taken by Government to run those tube-wells?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) There was provision in the Central Budget till 1968-69 under the National Water Supply and Sanitation Programme and under the Well Construction Programme for providing assistance to States for Schemes of supply of drinking water. During the period of the Fourth Five-Year Plan, however, Central assistance to State Governments for eligible State Plan Schemes, including the National Water Supply and Sanitation Programme, is the State Governments will themselves determine the priorities of the Schemes.

(b) The amounts of Central assistance released to the Government of Bihar during the last three years are given below :—

Year	Under the National Water Supply and Sanitation Programme (Rs. in lakhs)	Under the Well Construction Programme (Rs. in lakhs)
1966-67	122.57	11.43
1967-68	140.73	14.00
1968-69	191.34	8.91

(c) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा गुजरात में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

7873. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह द्वारा एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए अमरीका से सहायता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोहतास नगर शाहदरा दिल्ली में सड़कें चौड़ी करना

7874. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बाबरपुर मार्ग, रोहतास नगर, दिल्ली शाहदरा को जाने वाली सड़क को चौड़ी करने का है ;

(ख) इस सड़क को, जो 45 फुट चौड़ी है, कितनी चौड़ी करने का विचार है ;

(ग) क्या सड़क दोनों ओर से चौड़ी की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस प्रकार सड़क में आने वाले भूखण्डों के बदले में कोई अन्य भूमि के रूप में मुआवजा दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Underground Insurance Company by Pak Pathans

7875. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani Pathans have set up an underground insurance company in Bombay ;

(b) whether it is also a fact that the said company's business is to insure the goods of smugglers for carrying them safe to their destinations ; and

(c) if so, the details in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). Government are not aware of any underground insurance company.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

7876. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों ने कोयला खानों के लिए अपनी भूमि दी थी और क्या इन व्यक्तियों को खानों में काम दिया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) उमरेर कोयला खान में कर्मचारियों की संख्या 457 है। उन कर्मचारियों में से जो स्थायी हैं, उनकी संख्या का पता लगाया जा रहा है।

(ख) उमरेर में भूमि के अर्जन से विस्थापित लोगों की संख्या लगभग 175 है। उनमें से जिन्हें नौकरी दी गई, उनकी संख्या का पता लगाया जा रहा है।

डाक्टरों/नर्सों की हड़ताल के दौरान चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु

7877. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अप्रैल, 1969 के प्रथम सप्ताह में अस्पतालों के डाक्टरों की हड़ताल के समय चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या डाक्टरों और नर्सों को अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली के अस्पतालों के दोषी डाक्टरों को कोई दण्ड दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में उपचार के अभाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। आपात कालीन सेवाएं हर समय उपलब्ध थीं और अन्तरंग रोगियों को भी ठीक ढंग से देखा जाता रहा है।

(ख) से (घ). 10 अप्रैल, 1969 को मंत्री जी द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार कार्यवाही की जा रही।

Payment of Wealth Tax by Theatre Owners in Tamil Nadu

7878. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of theatre owners in Tamil Nadu who are paying Wealth-tax on wealth ranging between one lakh and five lakhs of rupees ; and

(b) the names of theatre owners in Tamil Nadu who are paying Wealth-tax on wealth of five lakhs to ten lakhs of rupees?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The requisite information is not readily available and is being collected, The same will be laid on the Table of the House as early as possible,

Foreign Investment in Industries in India

7879. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign capital invested in Indian industrial sector before Independence and the amount by which it increased after independence ; and

(b) the details of the industries in which the aforesaid capital has been invested ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The data on foreign investments are derived from the surveys of foreign investments undertaken periodically by the Reserve Bank of India. As the earliest survey on foreign investment was taken as at the end of June, 1948, figures of foreign investments prior to Independence are not available. The latest figures of outstanding foreign business investments are available as at the end of March, 1965. A statement showing the industry-wise break up of outstanding foreign business investments as on the 30th June, 1948 and as at the end of March, 1965 is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-932/69]** The increase in foreign investment over this period amounted to Rs. 671.2 crores. Figures of actual outstanding foreign business investments subsequent to March, 1965 are expected to be published shortly by the Reserve Bank of India.

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, आगरा की केन्द्रीय वर्कशाप में चोरी

7880. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा स्थित राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की केन्द्रीय वर्कशाप में चोरियों की बहुत अधिक घटनाएं होने के समाचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है ; और

(ग) उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की आगरा स्थित वर्कशाप के स्टोरों में कुछ चोरी की रिपोर्टें अभी हाल में प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के प्रबन्धकों द्वारा की गई थी और उन्होंने इन आरोपों को निराधार पाया।

वित्त मंत्री की सिंगापुर यात्रा

7881. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की सिंगापुर यात्रा के दौरान उस क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सिंगापुर के साथ व्यापार सम्बन्धों को बढ़ाने के प्रश्न के बारे में सिंगापुर के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जब मैं एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की दूसरी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए सिडनी जा रहा था तब मैंने, सिंगापुर में दो दिन अर्थात् 7 और 8 अप्रैल 1969 को ठहरने का, सिंगापुर की सरकार का निमन्त्रण स्वीकार किया। मैं, सिंगापुर में, वहां के राष्ट्रपति से मिला और मैंने वहां के प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री से बात-चीत की। यह बातचीत पारस्परिक हित के विषयों पर हुई जिनमें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और व्यापार सम्बन्ध भी शामिल थे। यह बातचीत इन विषयों के ब्योरा के बारे में नहीं हुई।

टाटा उर्वरक परियोजना

7882. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में टाटा द्वारा एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में अब अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पोटाश आधारित उर्वरक

7883. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पोटाश आधारित उर्वरक कारखानों की पूर्ण आवश्यकता इस आधार पर आयात की जाती है कि देश में इस उर्वरक के लिये कच्चा माल उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) क्या पोटाश और आयातित कच्चे माल पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना के लाभ-हानि पर विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारत में पोटाश के कोई ज्ञात खनिज संसाधन नहीं है। इसलिये तमाम

आवश्यकताएं मुख्यत: पोटाशियम क्लोराइड तथा पोटाशियम सल्फेट के रूप में और मामूली मात्रा सम्मिश्र उर्वरकों के रूप में आयात की जाती है ।

(ख) संतुलित मिश्रण तथा सम्मिश्र उर्वरक तैयार करने के लिये आयातित पोटाशियम क्लोराइड तथा पोटाशियम सल्फेट को भारत में निर्मित उर्वरकों के साथ मिलाया जाता है । पोटाश पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मदुरै में हैजे का फैलना

7884. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै में हैजा महामारी के रूप में फैल गया है और बड़ी संख्या में रोगियों के सरकारी अस्पतालों में दाखिल किये जाने के समाचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस महामारी का सामना करने में सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । मदुरै में हैजा महामारी के रूप में नहीं फैला जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है :—

जनवरी से अप्रैल तक

	घटनाएं	मृत्यु
1967	361	53
1968	297	30
1969 (12-4-1969 तक)	92 (अनन्तिम)	8

(ख) हैजा निरोधी टीके लगाने के अभियान को तथा पानी के क्लोरिनीकरण के काम को तेज करने के लिये राज्य सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर लिया है ।

राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये अतिरिक्त अनुदान

7885. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की आवश्यकताओं और उसके आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ेपन को देखते हुये केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने

के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सामान्य अनुदान के अतिरिक्त और अनुदान देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही इस बात का पता लगेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स पर्मानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस

7886. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स पर्मानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड को दिये गये आयात लाइसेंस के बारे में 31 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके निजी सहायक श्री वी० वाई० तोपे के कम्पनियों में शेयरों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्री तोपे ने बम्बई इंडस्ट्रियल एण्ड कैमिकल कम्पनी को हजारों रुपये का ऋण दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है तथा उन्होंने कितनी अन्य कम्पनियों को पूंजी, ऋण आदि के रूप में धन दिया है और उन्हें इस प्रकार कुल कितना धन दिया है ; और

(घ) उनके द्वारा परमानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड के शेयर खरीदे जाने के बाद से अब तक दिये गये आयकर का ब्योरा क्या है और क्या संसद् के दोनों सदनों में प्रश्नों तथा चर्चा के जरिये उनके द्वारा शेयरों की खरीद के पता लगने के बाद आयकर विभाग ने उनके द्वारा आयकर विवरण देने के प्रयोजनों के लिये आय की घोषणा में कोई अनियमितता पाई है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री वी० वाई० तोपे के शेयरों के ब्योरे अनुबन्ध 'क' में दिये गये है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 933/69]

(ख) और (ग). निर्धारिती ने बाम्बे इंडस्ट्रियल एण्ड केमिकल कम्पनी के पास धन जमा करवाया था और 31 मार्च, 1969 को जमा-रकम 35,000 रुपये थी। अन्य दो कम्पनियों में, (बैंक खातों को छोड़ कर) लगायी गई रकम 31 मार्च, 1969 को 30,000 रुपये थी।

(घ) मेसर्स परमानेंट मैगनेट्स लिमिटेड के 25 इक्विटी शेयरों की खरीद के लिये आवेदन रकम जनवरी 1961 में अदा की गई थी। कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 से 1968-69

तक उसके द्वारा अदा की गई आयकर की रकम के ब्योरे अनुबन्ध 'ख' में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 933/69] आयकर विभाग ने श्री टोपे की आयकर विवरणियों में कोई अनियमितता नहीं पायी है।

M. Ps. Represented of Delhi Development Authority

7887. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the functions of the two representatives of Lok Sabha on the Advisory Council of the Delhi Development Authority ;

(b) whether Government are aware that these Members have never been invited to any meeting nor has the Delhi Development Authority so far sent any paper to them in this regard, since the time they became members of that body ;

(c) the reasons for neglecting the Members of Parliament after their being including in the Advisory Council ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Advisory Council of the Delhi Development Authority, including the Members of Parliament who have been elected as member of that Council, advises the Delhi Development Authority on matters relating to the Master Plan and on such other matters relating to the planning of development or arising out of, or in connection with, the administration of the Delhi Development Act, 1957, as may be referred to the Advisory Council by the Authority.

(b) No meeting has so far been held since these Members of Parliament became members of the Advisory Council. Hence the occasion to invite them did not arise.

(c) and (d). Do not arise.

पलाई बैंक

7888. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलाई बैंक के परिसमापन को 9 वर्ष हो जाने पर भी लाखों जमाकर्ताओं को उनकी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जमाकर्ताओं को, जो मध्यम आय वर्ग तथा निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, देय राशि का शीघ्र भुगतान कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 43 क (2) के अनुसार 250-00 रुपये की तरजीही अदायगी

करने के अलावा प्रत्येक जमाकर्ता को निम्नलिखित चार विभाज्य राशियों की अदायगी की गयी है :—

(1) दिसम्बर 1961 में घोषित की गई प्रति रुपया 40 पैसे की पहली विभाज्य राशि;

(2) अप्रैल 1963 में घोषित की गई प्रति रुपया 13 पैसे की दूसरी विभाज्य राशि ;

(3) जुलाई 1964 में घोषित की गई प्रति रुपया 6 पैसे की तीसरी विभाज्य राशि ;

(4) जून 1967 में घोषित की गई प्रति रुपया 3 पैसे की चौथी विभाज्य राशि ।

(ग) बैंक के परिसमापन की कार्रवाई का भार सरकारी परिसमापक पर है, जो केरल उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार कार्य करता है । बैंक की देनदारियां उसकी परिसम्पत्तियों से होने वाली वसूलियों से चुकानी पड़ती हैं, इसलिये जमाकर्ताओं में बांटी जाने वाली और राशि की घोषणा बैंक की परिसम्पत्तियों की वसूलियों की गति पर निर्भर होगी। उपर्युक्त परिस्थिति में जमाकर्ताओं को अदायगी करने के काम में जल्दी करने के लिये सरकार की ओर से कोई कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नया पी० एल० 480 करार

7889. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और भारत के बीच एक नया पी० एल० 480 करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) करार में 300,000 मैट्रिक टन माइलो, 100,000 मैट्रिक टन चावल 100,000 अमरीकी गांठ कपास और सोयाबीन का 40,000 मैट्रिक टन तेल दिये जाने की व्यवस्था है । लगभग 43 करोड़ रुपये के मूल्य के माल के लिये करार किया गया है जिसमें से 40 प्रतिशत रकम रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋणों के रूप में और 60 प्रतिशत रकम परिवर्तनीय मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण के रूप में होगी ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड द्वारा निरोध का उत्पादन

7890. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीरूरकाडा स्थित हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के निरोध कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) इस कारखाने का अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना पर कुल कितनी लागत आई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) 14 करोड़ 40 लाख निरोध ।

(ग) लगभग 125 लाख रुपये (मार्च, 1969 के अन्त तक)

मैसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा सहकारी उपक्रमों के लेखे की जांच-पड़ताल

7891. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर एंड कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा सरकारी उपक्रमों के लेखा-परीक्षण के बारे में जानकारी अब तक एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी के सहयोगी अय्यर एण्ड कम्पनी और मेहता एण्ड कम्पनी ने तो किसी भी सरकारी उपक्रम की लेखा-परीक्षा नहीं की, पर मैसर्स एस० वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी ने 1967-68 में निम्नलिखित उपक्रमों की लेखा-परीक्षा की है :—

1. अशोक होटल्स लिमिटेड
2. भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड

3. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया
(मेसर्स बाटलीबाय एण्ड पुरोहित और मेसर्स रे एण्ड रे के साथ मिलकर)

4. पुनर्वास आवास निगम

5. भारतीय जीवन बीमा निगम (11 अन्य फर्मों के साथ मिलकर)

इसी वर्ष भारतीय खाद्य निगम की लेखा-परीक्षा, मैसर्स आर० ठाकुर एण्ड कम्पनी ने तीन अन्य फर्मों के साथ मिलकर की ।

मैसर्स एस० वैद्यनाथ एण्ड कम्पनी और मैसर्स आर० ठाकुर एण्ड कम्पनी को लेखा-परीक्षा फीस, परामर्श फीस और अन्य फीस के रूप में 1966-67 और 1967-68 में क्रमश: 1.05 लाख रुपया और 1.62 लाख रुपया अदा किया गया ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा 1967-68 में उपर्युक्त फर्मों को जो रकम अदा की गई है वह इसी वर्ष अन्य लेखा-परीक्षक फर्मों को दी गई रकम का लगभग 6 प्रतिशत है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Arbitration on Narmada Dispute

7892. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Prime Minister has given an assurance to the Chief Minister of Maharashtra that he will have to face no difficulty in the arbitration on Narmada dispute ;

(b) if so, whether his Ministry has held any talks with the new Chief Minister of Madhya Pradesh in this regard ;

(c) whether the latter is also agreeable to entrust this matter to arbitration ; and

(d) in case the matter is entrusted to arbitration, whether his Ministry will ensure that the decision in the matter is not deferred for year but is finalised in a short period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The question of giving any assurance in a matter of adjudication does not arise.

(b) and (c). The views of the new Chief Minister of Madhya Pradesh are still awaited.

(d) A decision about referring the dispute to arbitration is yet to be taken.

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा सफदरजंग ऐनक्लेव में निर्मित फ्लैट

7893. **श्री प० मु० सईद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार को सफदरजंग ऐनक्लेव, नई दिल्ली के बी-1,

बी-4, सी-4 और सी-6 ब्लाकों में उसके द्वारा निर्मित फ्लैटों में घटिया सामान प्रयोग किये जाने और निर्माण सम्बन्धी दोष होने की शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या ये फ्लैट अपूर्ण अवस्था में दिये गये थे, अर्थात् उस समय बिजली के ब्रैकेट शेड आदि नहीं लगाये गये थे और इन कमियों को काफी समय के बाद पूरा किया गया ;

(ग) क्या प्रभारी अनुभाग अधिकारी ने अलाटियों को सूची-पत्र में स्नान-गृह में दर्पण के गायब होने का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी थी और फरवरी, 1969 में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर ही दर्पण लगाये गये थे ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार के सदस्य (इंजीनियरिंग) ने 25 मार्च, 1969 को इन फ्लैटों का दौरा किया था और यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) जी हां, परन्तु कोई घटिया सामान प्रयोग नहीं किया गया ।

(ख) ब्लाक सी-4 और सी-6 के कुछ मकानों में शेड कुछ देर बाद उपलब्ध किये गये, क्योंकि मूल ठेकेदार ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया, और कार्य को विभागीय तौर पर पूरा किया गया ।

(ग) इन फ्लैटों के मामले में, दर्पण की व्यवस्था इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि स्नान-गृह की खिड़की का दरवाजा दर्पण के स्थान से टकराता था । बाद में स्थान की उपयुक्तता के अनुकूल एक छोटा दर्पण उपलब्ध किया गया, ताकि वह खिड़की के दरवाजे से न टकराये ।

(घ) निम्नांकित दोष पाये गये :—

1. कमजोर पलस्तर के टुकड़े (पैच)
2. कुछ उपस्कार जैसे कि पैलमेट, बिजली की फिटिंग उचित रूप से नहीं लगाए गए थे ।
3. स्नान-गृह एवं डब्ल्यू सी के फर्श पर लीकेज जो दीवारों पर सील के रूप में प्रकट हुई और जिसका पुन: पलस्तर आवश्यक हो गया ।
4. जल-वितरण एवं सैनिटरी फिटिंग्स में रिसाव (लीक)
5. दरवाजों और खिड़कियों की दोषपूर्ण फिटिंग ।
6. अनुचित ढलान वाले फर्श का ठीक करवाना ।
7. कुछ मामलों में बाऊंडरी की दीवार के खम्भे गिर रहे थे । दीवार पर पलस्तर भी उखड़ रहा था ।

इन दोषों को दूर करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है और प्रगति हो रही है । इन स्थानों के निर्माण कार्यों के सहायक इंजीनियर और ओवरसियर-इन्चार्ज से उनकी निगरानी में हुए खराब काम के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

दिल्ली विकास अधिकरण (डी० डी० ए०) द्वारा बनाये गये सफदरजंग ऐनक्लेव फ्लैट

7894. **श्री प० मु० सईद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली के ब्लाक ब-1, बी-4, सी-6, सी-4 के दिल्ली विकास अधिकरण के फ्लैट एलाटियों को बिना लाभ तथा हानि के आधार पर बेचे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के फ्लैटों का मूल्य कितना-कितना है और उसमें प्रत्येक प्रकार के फ्लैट के भूखण्ड, निर्माण सामग्री की लागत, ठेकेदार को दिया गया मुनाफा, निर्माण लागत और अन्य खर्चा कितना-कितना है ;

(ग) क्या इन फ्लैटों के लिये ठेके डी० डी० ए० द्वारा दिये गये थे या यह कार्य किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया गया था ;

(घ) क्या दिल्ली विकास अधिकरण ने इन फ्लैटों का कब्जा लिया था अथवा इन फ्लैटों को एलाटियों को देने के लिये ठेकेदारों को सहायता करने के लिये कहा गया था;

(ङ) क्या सम्बन्धित एलाटियों ने निर्माण और निर्माण में प्रयोग लाई गई सामग्री को त्रुटिपूर्ण और घटिया होने की शिकायतें की हैं और यदि शिकायतें ठीक हैं तो मरम्मत का खर्चा कौन उठायेगा ; और

(च) यह फ्लैट किन विशिष्ट विवरणों और कार्यक्रमों के अनुसार बनाये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सफदरगंज एन्क्लेव के ब्लाक बी-I, बी-IV, सी-IV तथा सी-VI में 125 वर्ग गज तथा 150 वर्ग गज के प्लाटों पर बने दो मंजिले फ्लैट क्रमश: 22,500 रुपये तथा 26,500 रुपये में बेचे गये हैं । प्रति फ्लैट लागत का संघटन निम्नांकित है :—

	125 वर्ग गज के फ्लैट रुपये	150 वर्ग गज के फ्लैट रुपये
1. भूमि का मूल्य	2,437.50	2,925.00
2. निर्माण की लागत जिसमें विभागीय प्रभार शामिल हैं	17,575.00	20,590.00
3. उपर्युक्त (2) पर 1 वर्ष के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभार	1,318.00	1,544.50
4. किराया खरीद की अवधि के दौरान, निर्माण के लिये प्रशासकीय तथा प्रबन्धात्मक प्रभार	1,169.50	1,440.50
जोड़ ..	22,500.00	26,500.00

इन फ्लैटों के लिए संपूर्ण मदों का ठेका है अतएव कच्चे माल का मूल्य अलग से अंकित नहीं किया गया है। क्योंकि ठेके टेंडरों के द्वारा दिये गये, अतएव कोई लाभ अनुमानित नहीं किया गया।

(ग) इन फ्लैटों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ठेके दिये गये।

(घ) सम्बन्धित आवंटियों को हस्तान्तरित किये जाने से पूर्व इन क्वाटरों का दखल दिल्ली विकास प्राधिकरण के ठेकेदारों से ले लिया था।

(ङ) जी हां, किन्तु इन फ्लैटों का निर्माण तथा इनमें उपयोग में लाया गया सामान मानक से कम (सब-स्टैन्डर्ड) अथवा त्रुटिपूर्ण नहीं है। कुछ मामूली त्रुटियां हैं जैसे पाइप लाइन में लीकेज, तथा कुछ स्थानों पर प्लास्टर का कमजोर होना जिनकी मरम्मत ठेकेदार की लागत और उत्तरदायित्व पर की जा रही है।

(च) निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की 1962 की विशिष्टियों (स्पैसी-फिकेशन) के अनुसार तथा दिल्ली शीड्यूल आफ रेट्स, 1962 के आधार पर की रेट पर किया गया था।

उत्तर प्रदेश को डीजल तेल का नियतन

7895. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1968 तक की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश के लिये डीजल तेल का कितना कोटा नियत किया गया था और उक्त अवधि के लिये उसे वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त राज्य में डीजल तेल की कमी थी और उक्त अवधि में नगरों में यह तेल उपलब्ध नहीं था ;और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश को डीजल तेल के नियतन का कोटा बढ़ा दिया है और यदि हां, तो कितना ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) उत्तर प्रदेश के लिये हाई स्पीड या लाइट डीजल तेल का कोई कोटा नहीं है। किन्तु तमाम आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी की जाती हैं। राज्य को की गई सप्लाई के आंकड़ों का भी संकलन नहीं किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पनबिजली परियोजनायें

7896. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में छोटी तथा बड़ी नदियों के विद्युत उत्पादन क्षमता का पता लगाने के लिये कोई जांच-पड़ताल की गयी थी ;

(ख) प्रत्येक नदी के सम्बन्ध में जांच के परिणाम क्या हैं और किन-किन नदियों के मामले में पन-बिजली परियोजनाएं व्यवहार्य पाई गई ;

(ग) किन-किन पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और व्यवहार्यता प्रतिवेदन पूरे हो गये कितनी परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं और प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) कौन-कौन सी परियोजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेंगी, प्रत्येक परियोजना किस अंश तक पूरी होगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में उक्त परियोजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) इन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप :

(1) 386.5 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं और अब वे चल रही हैं ।

(2) 802 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं ।

(3) 464 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य पूर्ण हो गया है ।

जिन नदियों पर पन-बिजली परियोजनाओं को बनाना सम्भव पाया गया है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. रिहंद
2. बेतवा
3. यमुना और इसकी सहायक नदियां
4. रामगंगा
5. भागीरथी
6. अलकनन्दा

(ग) नीचे की तालिका में उन परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं जिनके सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टें/सम्भाव्यता रिपोर्ट पूर्ण हो गई हैं । इसमें हर एक की वर्तमान स्थिति भी बताई गई है ।

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	नदी जिस पर परियोजना बनी है	वर्तमान स्थिति
1. रिहंद परियोजना	300 मैगावाट	रिहंद	पूर्ण हो गई है।
2. ओब्रा पन-बिजली परियोजना	99 मैगावाट	रिहंद	निर्माणाधीन है। आशा है कि 1969-70 के दौरान पूर्ण हो जाएगी।
3. मातातिला पन-बिजली परियोजना	33 मैगावाट	बेतवा	पूर्ण हो गई है।
4. यमुना पन-बिजली परियोजना चरण-1	3 × 11.25 मैगावाट 3 × 17.8 मैगावाट 84.75 मैगावाट	यमुना	11.25 मैगावाट के दो यूनिट और 17-17 मैगावाट के दो यूनिट पूर्ण हो चुके हैं। शेष दो के 1969-70 के दौरान पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।
5. यमुना पन-बिजली परियोजना चरण-2	40 × 60 मैगावाट 4 × 30 मैगावाट 360 मैगावाट	यमुना	1971-72 में पूर्ण होने की सम्भावना है।
6. यमुना पनबिजली परियोजना चरण-4 भाग-1	130 मैगावाट	यमुना	परियोजना को अभी कार्यान्वयनार्थ हाथ में नहीं लिया गया है।
7. रामगंगा पनबिजली परियोजना	180 मैगावाट	रामगंगा	निर्माणाधीन है। 1973-74 में पूर्ण होने की सम्भावना है।
8. मनेरी भाली पन-बिजली परियोजना चरण-1	105 मैगावाट	भागीरथी	निर्माणाधीन है। पांचवी योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।
9. लखवर पनबिजली परियोजना	150 मैगावाट	यमुना	परियोजना को अभी कार्यान्वयनार्थ हाथ में नहीं लिया गया है।
10. व्यासी पन-बिजली परियोजना	75 मैगावाट	यमुना	परियोजना को अभी कार्यान्वयनार्थ हाथ में नहीं लिया गया है।

(घ) निम्नलिखित स्कीमों के चौथी योजना के दौरान पूर्ण होने की संभावना है :

स्कीम का नाम	कार्यकारी दल द्वारा सुझाया गया चतुर्थ योजना का प्रबन्ध (करोड़ रुपयों में)
1. ओब्रापन बिजली परियोजना	5.5
2. यमुना पन-बिजली परियोजना, चरण-1	0.05
3. यमुना पन-बिजली परियोजना चरण-2	44.18
4. यमुना चरण-4, भाग-1	3.9

उत्तर प्रदेश में फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि

7897. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला बलिया और देवरिया की कुल कितनी फर्मों की ओर आयकर की बकाया राशि है ;

(ख) इन जिलों में आयकर की कितनी राशि वसूल करनी शेष है ; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है, जो यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

7898. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा 1968-69 में कितना लाभ अर्जित किया या अर्जित करने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्यत: माल डिब्बों के उपलब्ध न होने से निगम के कार्य में बाधा आयी है और इसके परिणामस्वरूप निगम को कम लाभ हुआ है और यदि हां, तो कहां तक ;

(ग) 1969-70 के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन के लिये योजनाओं का ब्योरा क्या है, डिब्बे उपलब्ध करने के बारे में कार्यक्रम को निर्बाध रूप से चलाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) 1969-70 में इस कार्यक्रम की कार्यान्विति से कितने शुद्ध लाभ के होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 1968-69 वर्ष से सम्बन्धित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) 1968-69 वर्ष के पहले छः महीनों में वैगनों की सप्लाई में कमियां थीं । बाद की छमाही में वैगनों की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ, हालांकि कुछ क्षेत्रों में कमियां भी हुई थीं । इसका निगम के लाभों पर किस सीमा तक दुष्प्रभाव पड़ा इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) बिक्रियों की सम्भावनाओं तथा उत्पादन क्षमता को विचार में लेकर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 150 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त करने का आयोजन कर रहा है, जिसे कि मांग में वृद्धि होने और परिवहन सुविधाओं में सुधार होने पर और भी अधिक किया जा सके । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों की रेल परिवहन की सम्भावित आवश्यकताओं के विषय में रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत कर ली गई है और रेल विभाग को इसके ब्योरे भिजवाये जा रहे हैं ।

(घ) 1969-70 के दौरान होने वाले संभावित लाभ या हानि के विषय में इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

ब्रिटेन से सहायता

7899. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ब्रिटेन से गेहूं खरीदे जाने के लिये ब्रिटेन की सरकार ने 27 लाख पौण्ड का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में अब तक ब्रिटेन सरकार ने कुल कितनी राशि का ऋण दिया है तथा इसमें बिना शर्त वाली कितनी राशि थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ब्रिटेन की सरकार ने 119,500 मैट्रिक टन गेहूं, 113,800 मैट्रिक टन अर्जेनटाइना से और 5,700 मैट्रिक टन आस्ट्रेलिया से खरीदने के लिए 27 लाख पौंड का **अनुदान (ऋण नहीं)** दिया है । यह सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय अन्न व्यवस्था के खाद्य सहायता समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन के 1968-69 के अंशदान का एक भाग है ।

(ग) ब्रिटेन की सरकार ने इसके अलावा 1968-69 में कुल 360 लाख पौंड के ऋणों की मंजूरी दी । इस रकम में से 75 लाख पौंड की रकम को छोड़कर (जो ऋण चुकाने के लिये दिया गया ऋण है), बाकी रकम केवल ब्रिटेन से वस्तुओं आदि की खरीद के लिये है ।

महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा

7900. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में कार्य करने वाले किन-किन व्यक्तियों पर आयकर कानून का उल्लंघन करने के अपराध में मुकदमा चलाया गया है अथवा सजा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा मुकदमा चलाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान श्री किशोर कुमार, श्री दिलीप कुमार और कुमारी आशा पारेख के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं ।

(ख) इन व्यक्तियों ने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गयी विवरणियों में अपनी सही व्यावसायिक आय नहीं दिखायी थी । आय की झूठी विवरणियां पेश करने के सिलसिले में आय-कर अधिनियम की धारा 277 के अन्तर्गत उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं । तीनों मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं ।

लौह अयस्क परियोजना उच्चतर मध्यमिक विद्यालय, किरूबुर-सिंहभूमि, बिहार

7901. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरूबुर, सिंहभूमि, बिहार में एक लौह-अयस्क परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ;

(ख) क्या बिहार के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, जिसने इस विद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति का भी अनुमोदन किया था, इस विद्यालय को अस्थायी रूप से मान्यता दे दी थी ;

(ग) क्या बिहार के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बाद में प्रधानाचार्य की सेवा-समाप्ति को अवैध घोषित किया था तथा उसने अपने दिनांक 9 अगस्त, 1968 के ज्ञापन संख्या 21800-3 के अनुसार उसको बहाल करने के आदेश दिये थे ;

(घ) उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति बिहार के माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन करके केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है और बिहार शिक्षा मंडल के आदेशों का पालन नहीं कर रही है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रधानाचार्य को बहाल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी ।

(ख) बिहार के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल को नवीं श्रेणी तक अस्थायी मान्यता दी तथा स्कूल के प्रधानाचार्य की नियुक्ति का भी अनुमोदन किया था ।

(ग) इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार का आदेश दिया गया था, परन्तु प्रबन्ध समिति के लिये वह बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रधानाचार्य उस समय परिवीक्षाधीन था तथा अनुपयुक्तता के कारण उसे स्थायी नहीं किया गया था और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं ।

(घ) से (ङ). प्रबन्ध समिति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त कर रही है, जिस मान्यता द्वारा खान के उन कर्मचारियों को, जो देश के विभिन्न भागों से आते हैं तथा जिनका सारे देश में कहीं भी स्थानान्तरण हो सकता है और उस हालत में देश के अन्य भागों के केन्द्रीय स्कूलों में दाखिला लेने की सुविधा पा सकते हैं । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बिहार, के प्रधानाचार्य को बहाल करने संबंधी आदेश स्कूल की प्रबन्ध समिति को स्कूल के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने का निषेध नहीं करते और इस प्रकार आदेश की कोई अवहेलना तथा अवज्ञा नहीं हो रही है । प्रधानाचार्य स्कूल की प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किया गया था और एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा गया था, जो अवधि बाद में छह महीने के लिये बढ़ा दी गई थी । समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा विमुक्त कर दे, यदि वह अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा में स्थायी नहीं किया जा सकता । अतः बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जन्म दर

7902. **श्री न० र० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर क्या थी ;

(ख) गत तीन वर्षों में परिवार नियोजन अभियान से जन्म दर पर कितना प्रभाव पड़ा ; और

(ग) परिवार नियोजन अभियान का जन्म दर पर क्या प्रभाव पड़ने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) इन वर्षों से सम्बन्धित समस्त भारत के जन्म तथा मृत्यु दर के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). राष्ट्र स्तर पर जन्म दर की वास्तविक स्थिति का ज्ञान केवल 1971 की जनगणना के बाद ही लग सकता है । फिर भी देश के विभिन्न भागों में कुछ सर्वेक्षण किए गये

हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होने के बाद जन्म दर में निश्चित रूप से कमी आई है। नगरीय और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में परिवार नियोजन की आवश्यकता के प्रति जनता की जागरूगता बढ़ रही है और वे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध सलाह और सेवाओं को अधिक संख्या में अपना रहे हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि 1965 के बाद 57 लाख 70 हजार से भी अधिक व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई, 28 लाख 20 हजार स्त्रियों ने लूप पहने और दस लाख से भी अधिक लोगों ने प्रचलित गर्भनिरोधकों का प्रयोग किया।

Shortage of Diesel, Crude and Kerosene Oil

7903. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that difficulty is being faced by the people in various parts of the country in getting diesel oil, crude oil and kreosene oil ; and

(b) if so, the action taken by Government to make diesel and kerosene oil easily available to the people ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) No. On the contrary, the sale of Diesel and Kerosene during this year has been substantially higher than in the corresponding months of the previous year. Crude oil is not sold to the consumers.

(b) Does not arise.

नामरूप उर्वरक कारखाने में इंजीनियरों की बर्खास्तगी

7904. **श्री हेम बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नामरूप उर्वरक कारखाने में हाल में 21 आसामी इंजीनियरों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उन्हें पुनः रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ; निर्माण काल के दौरान, सहायक निर्माण इन्जीनियरों के रूप में बिल्कुल अस्थाई और तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये 21 आसामी इन्जीनियरों को, जो कार्यकारी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अपनी नियुक्ति को बनाये रखने में सफल नहीं हो सके, शिफ्ट और निर्माण इन्चार्जों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चुंगी वापसी जांच समिति का प्रतिवेदन

7905. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चुंगी वापसी जांच समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर अब विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय अनुबन्ध में दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 934/69]**

(ग) सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली में एक प्रतिअदायगी निदेशक नियुक्त किया गया है।

रायपुर में उद्योगपतियों और मोटरगाड़ी मालिकों के स्थानों पर छापे

7906. **श्री तु० म० सेट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1965 के प्रथम सप्ताह में आयकर तथा केन्द्रीय जांच विभाग के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में रायपुर में कुछ उद्योगपतियों और मोटरगाड़ी मालिकों के कार्यालयों और निवास स्थानों पर छापे मारे थे और उनकी तलाशी ली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके कार्यालयों और निवास स्थानों से उन्होंने कुछ दस्तावेज और बहीखाते बरामद किये हैं, जिनमें झूठी प्रविष्टियां की हुई हैं और ऐसी रकम को अपने निजी खातों में दिखाया है जिसका हिसाब-किताब कहीं नहीं है ;

(ग) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा उन कम्पनियों का कर-निर्धारण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितना कर-निर्धारण किया गया है और अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ङ) यदि उन कम्पनियों का अब तक कर-निर्धारण नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) कुल 1,85,000 रुपये पर कर-निर्धारण किया गया। 79,000 रु० का अतिरिक्त कर लगाया गया। लगाये गये कर की पूरी रकम वसूल की जा चुकी है तथा कोई मांग बकाया नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहदरा में बस्तियों का अधिग्रहण

7907. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चन्दू पार्क, अनारकली साऊथ, गोविन्दपुरी, न्यू लायलपुर तथा लक्ष्मी नगर (शाहदरा खण्ड) नामक बस्तियों का अर्जन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे बस्तियां किस अभिप्राय से अर्जित की गई हैं ;

(ग) इस अर्जन के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेघर हो जायेंगे ;

(घ) क्या यह सच है कि इन बस्तियों में बहुत से लोग पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं जबकि ये बस्तियां वर्तमान दिल्ली नगर निगम तथा अन्य भूतपूर्व नगर-पालिका समितियों के क्षेत्राधिकार में भी नहीं थीं तथा दिल्ली विकास अधिकरण का भी उस समय तक जन्म नहीं हुआ था ;और

(ङ) सरकार का इन बेघर हुए व्यक्तियों को बने-बनाये घर देकर, विकसित भूमि-खंड अथवा नकद मुआवजा देकर, किस प्रकार पुनः बसाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ये अर्जनाधीन हैं।

(ख) दिल्ली के आयोजित विकास के लिए।

(ग) और (घ). प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, समस्या आकार में बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अन्त में केवल वही क्षेत्र अर्जित किए जायेंगे, जो उन कालोनियों के नियमित प्लान में सामुदायिक सुविधाओं/आवश्यक सेवाओं के लिये आवश्यक होंगे, और वे क्षेत्र जो उक्त कालोनियों के नियमित रिहायशी भाग के अन्दर आयेंगे,उन्हें इस बात की जांच करने के बाद कि उन्होंने नगर निगम को पूरे विकास-प्रभार दे दिए हैं और इस बारे में अन्य शर्तों को पूरा कर दिया है, उन्हें अनधिसूचित कर दिया जायेगा।

(ङ) भूमि/मकान मालिक, जिनकी भूमि/ढांचे, आवश्यक सेवाओं/सामुदायिक सुविधाओं या अन्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित किए जायेंगे उन्हें भूमि तथा ढांचों के लिए देय मुआविजा दिया जायगा, बशर्ते कि वह प्रत्येक हालत में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन की गई अधिसूचना की तारीख से पहले बनाए गए हों। मुआविजा की अदायगी के

अतिरिक्त ऐसे भूमि मालिकों को वैकल्पिक विकसित रिहायसी प्लाट, दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी कालोनी में पट्टे के आधार पर, एक निर्धारित दर के प्रीमियम पर पेश किए जायेंगे यदि वे आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों अर्थात् उन्होंने 2 मई 1961 से पहले भूमि खरीदी हो, और उनके पास दिल्ली, नई दिल्ली या दिल्ली छावनी में अपने नाम, अथवा अपनी पत्नी या किसी आश्रित सम्बन्धी के नाम कोई रिहायशी प्लाट या अन्य मकान न हो ।

किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने पिता की सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी मकान अपने पास रखा जाना

7908. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत एक सरकारी कर्मचारी, जिसके पिता को सरकारी मकान मिला हो, अपने पिता के सेवा-निवृत्त हो जाने पर वह मकान अपने पास रख सकता है ;

(ख) यदि हां ,तो उपर्युक्त मामलों में मकान देने के लिये केन्द्रीय पूंजी से कितना कोटा अथवा प्रतिशतता निर्धारित है ;

(ग) उपर्युक्त कर्मचारियों को मकान दिये जाने के कारण प्रतीक्षा सूची वाले लोगों को मकान दिये जाने में कितना विलम्ब होता है ; और

(घ) विलम्ब रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, जबकि पुत्र पात्र कार्यालय में कार्य कर रहा हो, सेवा निवृत्ति की तारीख से छः माह पूर्व से अपने पिता के साथ वास में रह रहा हो तथा उस टाईप का वह अधिकारी हो । यदि नहीं, तो जिस टाईप का वह अधिकारी है, वह आवंटित किया जाता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मामलों में वास के आवंटन के लिए कोई कोटा अथवा प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह सामान्य पूल वास में रह रहे सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे निकट सम्बन्धियों की संख्या पर निर्भर करता है ।

(ग) सरकारी कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों को सेवानिवृति आदि के कारण आवंटन की संख्या प्रायः अधिक नहीं होती ।

(घ) इस प्रयोजन के लिय उपलब्ध राशियों के भीतर सामान्य पूल में रिहायशी एककों की आयोजना का निर्माण किया ज़ा रहा है । सरकारी कर्मचारियों के लिए, इस सीमा के भीतर, जितने रिहायशी एकक बनाना सम्भव हो, उतने बनाने के लिए सरकार यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है ।

जनसंख्या में वृद्धि की दर तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम

7909. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी जनगणना तक भारत की जनसंख्या के 56 करोड़ हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दशक में जनसंख्या में वृद्धि की दर 2.2 प्रति हजार से बढ़कर 2.5 प्रति हजार हो गई है ; और

(ग) क्या जन्म दर और जनसंख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार वर्तमान परिवार नियोजन कार्यक्रम को, जो व्यर्थ सिद्ध हुआ है, त्याग देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जनसंख्या मूल्यांकन की विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 1971 में देश की जनसंख्या लगभग 56 करोड़ हो जाने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं। जनसंख्या मूल्यांकन की विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये अनुमानों के आधार पर उत्पादकता और मृत्यु की आगामी रुखों की सम्भावनाओं के अनुरूप वार्षिक दर में 1961 में 2.2 प्रतिशत तक और 1971 में 2.5 प्रतिशत तक वृद्धि होने का हिसाब लगाया गया है। यह अनुमानित वृद्धि दर, मृत्यु दर में अधिक कमी के कारण होगी, यद्यपि जन्म दर में कमी हो रही है।

(ग) जी नहीं। राष्ट्र स्तर पर जन्म दर नियंत्रण सम्बन्धी वास्तविक स्थिति का ज्ञान केवल 1971 की जनगणना के बाद ही लग सकता है। फिर भी देश के विभिन्न भागों में कुछ सर्वेक्षण किए गये हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होने के बाद जन्म दर में निश्चित रूप से कमी आई है। नगरीय और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में परिवार नियोजन की आवश्यकता के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ रही है और वे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध सलाह और सेवाओं को अधिक संख्या में अपना रहे हैं। यह इस बात से स्पष्ट है कि 1965 के बाद 57 लाख 70 हजार से भी अधिक व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई, 28 लाख 20 हजार स्त्रियों ने लूप पहने और दस लाख से भी अधिक लोगों ने प्रचलित गर्भनिरोधकों का प्रयोग किया।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को और भी सशक्त किया जा रहा है और देश के सभी भागों में इसका तेजी से विस्तार किया जा रहा है जिससे यह अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रसव शक्ति और तदनुसार जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण कर सके।

गुजरात में दूसरा तेल शोधक कारखाना

7910. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने राज्य के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन की वृद्धि होने के आधार पर राज्य में दूसरा तेलशोधक कारखाना स्थापित किये जाने की मांग की है ;

(ख) गुजरात के तेल क्षेत्रों से कुल कितनी मात्रा में कच्चा तेल उत्पन्न होता है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इसके कितने उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ग) गुजरात के वर्तमान कोयाली तेल-शोधक कारखाने की वर्तमान और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या दूसरे तेलशोधक कारखाने के बारे में अब तक कोई निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में एक और तेलशोधक कारखाने का सुझाव दिया है। जब चौथी पंचवर्षीय योजना या इसके बाद नई शोधनशालाओं की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तब इसकी जांच की जायेगी।

(ख) 1968-69 में गुजरात के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन 2.98 मिलियन मीटरी टन था। 1973-74 में उत्पादन के प्रतिवर्ष लगभग 5.5 मिलियन मीटरी टन तक उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है ।

(ग) गुजरात शोधनशाला की कच्चे तेल को साफ करने की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है। इस समय यह अपनी आन्तरिक निर्मित क्षमता का प्रयोग करते हुए प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन से अधिक क्षमता पर कार्य कर रही है।

(घ) जी नहीं। कोयाली शोधनशाला की आवश्यकताओं से अधिक कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्राओं की उपलब्धि, स्थानीय मांगों तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुये इसका उचित समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

फिल्म निर्माताओं की ओर आय-कर की बकाया धनराशि

7911. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित फिल्म निर्माताओं की ओर दिनांक 31 मार्च, 1968 तक आय-कर की कितनी धनराशि बकाया थी ;

(1) श्री प्रमोद चक्रवर्ती, बम्बई ; (2) श्री जी० पी० सिप्पी ; (3) श्री बी० आर० चौपड़ा ; (4) श्री शक्ति सामंत ; (5) श्री देवेन्द्र गोयल ; (6) श्री हृषिकेश मुखर्जी ;

(7) श्री राम मुकर्जी; (8) श्री एस० एस० वासन ; (9) श्री एन० एन० सिप्पी ; (10) श्री ओ० पी० रल्हन और (11) श्री नाजिर हुसैन ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन व्यक्तियों द्वारा कितना आय-कर अदा किया गया है ; और

(ग) इनमें से उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चलाये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

कंसावाटी परियोजना

7912. **श्री देवेन सेन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंसावाटी परियोजना का काम कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इसे पूरा करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवी योजना के आरम्भ में ।

(ख) 20.61 करोड़ रुपये ।

(ग) राज्य की चौथी योजना के सिंचाई कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

जारी किये जाने वाले ऋण

7913. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार चालू वर्ष के दौरान नये ऋण जारी करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 250 करोड़ रुपये का 30-वर्षीय ऋण, अर्थात् 5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 1969 सम-मूल्य पर जारी किये जाने की घोषणा 10 अप्रैल, 1969 को की गई थी । ऋण के लिये अभिदान 30 अप्रैल, 1969 से 2 मई, 1969 तक नगद / चेक या 4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 1969 (जिसकी मियाद वर्ष में पूरी होगी) की प्रतिभूतियों के रूप में लिये जायंगे, लेकिन ज्योंही अभिदानों की रकम 250 करोड़ रुपया हो जायगी, त्योंही यह ऋण, कोई सूचना दिये बिना, बन्द कर दिया जा सकता

है। सरकार, सदा की भांति, अधिसूचित रकम से 10 प्रतिशत अधिक रकम रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस ऋण पर, 30 अप्रैल, 1969 से 5½ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा जो छः छः महीने बाद अर्थात् 30 अप्रैल और 30 अक्टूबर को चुकाया जायगा और उसपर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

टेव-सी टीकों की कमी

7914. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेव-सी (टाइफाइड-पैरा टाइफाइड और हैजा के संयुक्त) टीकों की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता तथा सप्लायर के कारखाने में हड़ताल होने के कारण इस वैक्सीन की हाल ही में अस्थायी तौर पर कमी हो गई थी। अब इस कारखाने ने पुनः पूरा उत्पादन आरम्भ कर दिया है और देश में इस वैक्सीन की उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति सुधर गई है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा सरल शर्तों पर ऋण देने के लिये विशेष निधि की व्यवस्था करना

7915. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक सरल शर्तों पर ऋण देने के लिये एक विशेष निधि की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) ऐसे प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस प्रस्ताव की निधि को एशियाई बैंक का कैसे प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री वित्त तथा मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). एशियाई विकास बैंक के करारनामे में बैंक की "विशेष निधि" से रियायती शर्तों पर कर्ज देने की व्यवस्था है। हाल में सिडनी में गवर्नरों के बोर्ड की जो दूसरी वार्षिक बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव

पास किया गया कि बैंक की अक्षुण चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत भाग, जो 144.7 लाख डालर होता है, विशेष निधि के रूप में इस्तेमाल करने के लिये, अर्थात् लम्बी अवधि के लिये रियायती दरों पर कर्ज देने के लिये, अलग रखा जाय। इसके अतिरिक्त, बैंक को, सहायता देने वाले देशों से प्राप्त होने वाले विशेष निधि संबंधी अंशदान स्वीकार करने तथा उनके संबंध में प्रबन्ध करने का अधिकार भी दिया गया है दिसम्बर, 1968 तक जापान और कनाडा ने क्रमशः 200 और 250 लाख डालर का अंशदान दिया है। और भी बहुत से देशों ने विशेष निधि में अंशदान की इच्छा व्यक्त की है। ये रकमें सहायता देने वाले देशों द्वारा स्वीकार की गई शर्तों पर इस्तेमाल की जा सकती है और उनसे उदार शर्तों पर ऋण दिये जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि बहुत से देशों ने निवेश-पूर्व और व्यवहार्यता-सम्बन्धी अध्ययनों आदि के ये विशेषज्ञ, सलाहकार आदि देने के लिये तकनीकी सहायता विशेष निधि में अंशदान दिये हैं।

(घ) सरकार ने विशेष निधि की स्थापना का स्वागत किया है और यह अनुरोध किया है कि सहायता देने वाले देश, निधि की रकमों के इस्तेमाल पर अनुचित रूप से कड़ी शर्तें न लगायें। आशा है कि बैंक इस विशेष निधि से विकासशील सदस्य-देशों के कृषि आदि क्षेत्रों के विकास के लिये ऋण देगा।

संघ राज्य क्षेत्र के लिये पृथक वित्त आयोग

7916. **श्री कृ० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से संघ राज्य क्षेत्रों के लिये एक अलग वित्त आयोग स्थापित करने के लिये कहा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1969 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुये उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली महानगर परिषद् के मुख्य कार्यकारी परिषद् के वक्तव्य का वृतांत दिया हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन संघीय राज्य-क्षेत्रों पर संघीय राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 लागू नहीं होता उनके वित्तीय लेन-देन, भारत की समेकित निधि और केन्द्रीय सरकार के बजट से सम्बन्धित लेन-देनों का ही भाग होते हैं। जिन संघीय राज्य-क्षेत्रों पर संघीय राज्य-क्षेत्र अधिनियम, 1963 लागू होता है, उनका सारा घाटा उन्हें भारत की समेकित निधि से यथास्थिति अनुदान या ऋण देकर, पूरा किया जाता है। संघीय राज्य-क्षेत्रों के लिये वित्त आयोग स्थापित करने की व्यवस्था न तो संविधान में की गई है और न संघीय राज्य-क्षेत्र अधिनियम में। फिर भी, सभी संघीय

राज्य-क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिये रकमों का निर्धारण, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुये, योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनायें

7917. **श्री रानेन सेन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंग्सावाटी परियोजना के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी सिंचाई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है तथा इस परियोजना के निर्माण का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार महानन्दा तीस्ता बांध योजना जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का व्यय उठाने से इंकार कर रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर बंगाल की नदियों के बांधों को पुनः बनाने तथा मजबूत करने का पूरा व्यय देने से इन्कार कर दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य योजना में तीन वृहत् सिंचाई परियोजनायें शामिल हैं जिनके नाम ये हैं—दामोदर घाटी निगम के सिंचाई कार्य, मयूराक्षी परियोजना और कंग्सवती परियोजना । इनमें से मयूराक्षी और दामोदर घाटी निगम की स्कीमें लगभग पूर्ण हो गई हैं और कंग्सवती परियोजना पर काम पूरे जोरों पर चल रहा है । इस परियोजना को 1967-68, 1968-69 के लिये 100% पृथक् रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई थी । इसके पूर्व फुटकर विकास ऋण की शक्ल में भी इसे सहायता दी गई थी । इस वर्ष से केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया को संशोधित कर दिया गया है और अब राज्यों को एक मुश्त अनुदान और ऋण दिये जायेंगे ।

(ख) तीस्ता बराज परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में उसकी जांच हो रही है।

(ग) जी नहीं । तटबन्धों की बहाली की ताकत को पूरा करने के लिये 1968-69 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के लिये 87 लाख रुपये की ऋण सहायता स्वीकार की गई थी । 1968-69 में तटबन्धों को ऊंचा और पक्का करने के लिये 50 लाख रुपये की एक विशेष ऋण सहायता भी स्वीकार की गई थी ।

तटबन्धों की बहाली के लिये इस वर्ष की आवश्यकतायें केन्द्रीय दल द्वारा आंकी जा रही हैं, जिसने हाल ही में राज्य का दौरा किया है । यह भी मान लिया गया है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 65 लाख रुपये की विशेष सहायता दी जाये जिससे तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत किया जाये जोकि बाढ़ ऋतु से पूर्व होना अपेक्षित है ।

भाखड़ा बिजली क्षेत्र से दिल्ली को हटाना

7918. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री न० रा० देवधरे :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार चाहती है कि दिल्ली को भाखड़ा बिजली क्षेत्र से अलग कर दिया जाये ।

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उसने क्या कारण दिये हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम से सलाह की है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि भाखड़ा काम्पलेक्स से दिल्ली बिजली प्रदाय उपक्रम को बिजली की सप्लाई धीरे-धीरे कम कर दी जाय और बदरपुर ताप संयंत्र की प्रथम यूनिट चालू हो जाने पर सप्लाई बिलकुल बन्द कर दी जाये ।

पंजाब सरकार ने, भाखड़ा नांगल प्रणाली से बिजली दिये जाने वाले पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में बिजली की वर्तमान कमी को ध्यान में रखते हुए ही यह उपर्युक्त सुझाव दिया है । बिजली की यह स्थिति निकट भविष्य में चालू किये जाने वाले नए उत्पादन यूनिटों के पर्याप्त न होने के कारण और बिजली की बढ़ती हुई मांग के कारण आगामी वर्षों में और भी खराब हो जाएगी । यह सुझाव विशेषकर इसलिए भी दिया गया है कि अपनी मांग को पूरा करने के लिये दिल्ली बिजली प्रदाय उपक्रम के पास पर्याप्त तापीय क्षमता है ।

दिल्ली बिजली प्रदाय उपक्रम के साथ अभी तक सलाह नहीं की गई है विषय पर अभी ध्यानपूर्वक विचार करना है ।

हिमाचल प्रदेश में करों की वसूली

7919. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में कितना आयकर, धनकर, उपहार-कर तथा व्यय-कर निर्धारित किया गया ; और

(ख) इन वर्षों में कितनी धनराशि वसूल की गई और कितनी धनराशि वसूल करनी शेष है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में उत्पादन शुल्क की वसूली

7920. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में हिमाचल प्रदेश में कितनी राशि के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाये गये तथा कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) इन वर्षों की, यदि कोई राशि बकाया है, तो वह कितनी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

उत्पादन शुल्क लगाने के मामले में रचनात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

7921. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने क्राउन कारकों पर उत्पादन शुल्क लगाने की संभावनाओं पर सर्व-प्रथम कब विचार किया था ;

(ख) क्या 1963-64 के आय-व्ययक के समय जनता के व्यक्ति द्वारा सुझाव दिये जाने से पूर्व सरकार ने न रसने वाले ढक्कनों पर उत्पादन शुल्क लगाने की सम्भावनाओं पर विचार किया था ; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में रचनात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का पुरस्कार अथवा प्रशंसा-पत्र जारी करने पर विचार करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) क्राउन कार्कों पर शुल्क लगाने की संभावना की जांच पहले पहल 1962 में की गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जनता से प्राप्त होने वाले सुझावों की प्राप्ति यथासमय स्वीकार की जाती है । सुझाव भेजने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की पुरस्कार या पारितोषिक देने अथवा उन्हें प्रशंसा-पत्र देने की कोई प्रणालो नहीं है और न सरकार ऐसा करना आवश्यक ही समझती है ।

दिल्ली में वजीरपुर रिहायशी योजना में भू-खण्ड

7922. **श्री प० मु० सईद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली में वजीरपुर रिहायसी योजना में

अलाट किये गये भूखण्डों के बारे में पट्टा विलेखों की रजिस्ट्री करने का काम इस बीच आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) कितने मामालों में पट्टा विलेख की रजिस्ट्री की जा चुकी है और ऐसे अन्य सभी भूखण्डों की रजिस्ट्री कब तक करा दी जायेगी जिन पर अलाटियों ने पहले से ही कब्जा कर लिया है ;

(घ) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के सम्बन्ध में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां। अभी तक 1198 मामलों में दखल दे दिया गया है। 620 आवंटियों को अडहेसिव स्टाम्प लगवाने के लिये स्थाई पट्टा विलेख प्रपत्रों (परपीच्युल लीज डीड फार्म्स) को दे दिया गया है। शेष मामलों में. यह संभावना है कि आवंटियों को जून, 1969 के अन्त तक स्थाई पट्टा विलेख प्रपत्र भेज दिये जायेंगे। स्टेम्पिग के बाद प्राप्त हुए 225 मामलों में से अभी तक 160 मामलों का एक्जीक्यूशन तथा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। तथापि, सभी प्लाटों के एक्जीक्यूशन तथा रजिस्ट्रेशन के लिये कोई विशिष्ट समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि आवंटियों से स्टाम्प लगे हुए स्थाई पट्टा विलेख प्रपत्रों पर केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्यवाई की जा सकती है।

(घ) और (ङ). जी हां। स्थिति यह है कि :—

(i) सामान्यतः आवास निर्माण ऋण केवल पट्टा-विलेख के कार्यान्वयन होने के बाद दिया जाता है।

(ii) पट्टा विलेख के कार्यान्वयन की प्रत्याशा में प्रीमियम का 75 प्रतिशत अदा करने के बाद प्लाटों के दखल लेने का विकल्प आवंटियों के द्वारा मकान बनाने की सुविधा के लिये दिया गया था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों की कमी

7923. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि हो सकता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में देश को उर्वरकों की भारी कमी का सामना करना पड़े ;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिप्सम का उत्पादन तथा निर्यात

7924. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के दौरान देश में कितनी मात्रा में जिप्सम का उत्पादन हुआ ;

(ख) इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) कौन-कौन से देश भारत से जिप्सम मंगाते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 12,73,929 मीट्रिक टन

(फरवरी, 1969 तक)

(ख) और (ग). 1968-69 वष के दौरान (जनवरी, 1969 तक) भारत ने 63,965 रुपये के मूल्य का 950 मैट्रिक टन जिप्सम तथा प्लास्टर श्रीलंका को निर्यात किया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों (ओवरसियरों) के मकानों का नियतन

7925. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक समिति ने यह सिफारिश की है कि पूछताछ कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनल अफसरों (ओवरसियरों) को उनके कार्य करने के स्थान से कम दूरी पर सरकारी मकान दिये जायें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि थोड़े से मामलों को छोड़कर उन्हें अभी मकान नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सिफारिश क्रियान्वित न की जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गोविन्दा रेड्डी अध्ययन टीम ने सुझाव दिया है कि स्थाई अनुरक्षण मण्डलों के सैक्शन आफीसरों को सरकारी वास दिया जाना चाहिये । इसका

आशय उन स्थानों से था, जहां सामान्य पूलवास मौजूद नहीं है। सरकार द्वारा यह सुझाव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों को उपलब्ध मकान दे दिये गये हैं निधियों के उपलब्ध होने पर और क्वार्टरों की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों द्वारा रजिस्टर तथा फाइलें रखी जाना

7926. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूछताछ कार्यालयों में कार्य करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों को अनेक रिकार्ड, रजिस्टर, फाइलें आदि रखनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि थोड़े से स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में कोई क्लर्क उनकी सहायता के लिये नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का निम्नतम कार्यात्मक एकक उप-मण्डल (सब-डिवीजन) है, न कि एक अनुभाग / अनुभाग के लेखा को अन्ततः सम्बन्धित उप-मण्डल के खाते में समाविष्ट किया जाता है। सैक्शनल आफीसर अराजपत्रित अधीनस्थ (कर्मचारी) हैं, जिन्हें उप-मण्डल के अधीन निर्माण कार्य या स्टोर का कार्यात्मक उत्तरदायित्व दिया जाता है। सेक्शनल अधिकारी उप-मण्डल से सम्बद्ध बहुत से कर्मचारियों में से एक होता है। अतएव प्रत्येक सेक्शनल अधिकारी के साथ क्लर्कों को लगाना न तो आवश्यक है और न ही संभव है। ऐसे रिकार्ड, जिनका उसके कार्य का सीधा सम्बन्ध है, को रखने के लिये सेक्शनल आफीसर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

दिल्ली नगर निगम का गन्दी बस्ती तथा आवास विभाग

7927. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती

सफाई तथा आवास विभाग के कार्यकरण में गबन, रिकार्ड में हेरफेर तथा वास्तविक राशि से अधिक राशि के भुगतान के अनेक मामलों का पता लगा है ;

(ख) सरकार ने इस मामले में दिल्ली नगर निगम से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चलचित्र उद्योग के लोगों द्वारा धन-कर का भुगतान

7928. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** :

श्री जुगल मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चलचित्र उद्योग के धनकर देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने मूल्य की सम्पत्ति है;

(ग) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितना धनकर दिया गया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में चलचित्र उद्योग के किन व्यक्तियों के घोषित धन में धनकर अधिकारियों द्वारा वृद्धि की गई थी और प्रत्येक मामले में कितनी वृद्धि की गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

सर्वाधिक आय-कर देने वाले प्रथम दस फिल्म निर्माता

7929. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक आयकर देने वाले प्रथम दस फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों में उनकी कितनी आय पर कर लगाया गया तथा उनमें से प्रत्येक ने कितना कर अदा किया;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है वह कर-निर्धारण सम्बन्धी काफी बड़े रिकार्ड की छान-बीन करने के बाद ही एकत्रित की जा सकती है जिसमें बड़ा समय और श्रम लगेगा ।

फिल्म उद्योग में आयकर अपवंचक

7930. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग में उन आयकर अपवंचकों के नाम क्या हैं जिन पर पिछले तीन वर्षों में आयकर-विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया है;

(ख) उनमें से कितने मामलों में सजायें दी गईं, किन-किन व्यक्तियों के मामलों में समझौता हुआ तथा कितने मामलों में लोग बरी हो गये; और

(ग) इन मामलों में कितना आयकर बकाया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) श्री टी० एस० बलियाह
श्री किशोर कुमार
श्री दिलीप कुमार
कुमारी आशा पारेख

(ख) अब तक केवल श्री टी० एस० बलियाह के विरुद्ध मामले में ही निर्णय दिया गया है । उन्हें दोषी ठहराया गया है और उन पर कुल 3,250 रुपये के जुर्माने लगाये गये हैं । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिये गये, बताए गए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामले अभी भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं । इन चारों मामलों में से किसी में भी अपराध के बारे में राजीनामा नहीं किया गया ।

(ग) उपर्युक्त मामलों में आयकर की मौजूदा बकाया के ब्योरे इस प्रकार हैं :

व्यक्ति का नाम	**बकाया**
श्री टी० एस० बलियाह	1,27,148 रुपये
श्री किशोर कुमार	3,63,418 रुपये
श्री दिलीप कुमार	6,00,555 रुपये
कुमारी आशा पारेख	16,030 रुपये
योग··	11,07,151 रुपये

बाढ़ों का एटलस

7931. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बाढ़ें आने के बारे में कोई एटलस तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विशेषतः बिहार में बाढ़ के बारे में, ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने भारत की एक बाढ़ एटलस प्रकाशित की है। इसमें समवर्षा रेखाओं, महत्वपूर्ण नदियों के अधिकतम निस्सार के नक्शे, बाढ़ क्षेत्रों के तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों के राज्य वार नक्शे (बिहार समेत) और अन्य आंकड़े दिखाये गये हैं। एटलस से पता लगता है कि बिहार में बाढ़ से वार्षिक हानि की औसत 12.84 करोड़ रुपये है जिसमें 10.34 करोड़ रुपये की हानि फसलों की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में शारीरिक स्वास्थ्य का सामान्य स्तर

7932. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का औसत स्तर दस वर्ष पहले सामान्य स्तर की तुलना में घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय लोगों के शरीर के गठन के मामले में दस वर्ष पहले की अपेक्षा अब शारीरिक स्वास्थ्य का सामान्य स्तर क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी सहायता के लिये विदेशों से अनुरोध

7933. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी तथा अप्रैल 1969 में सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये नये सिरे से विदेशों से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से तथा उसका अग्रेतर ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार सहायता देने वाले देशों के साथ, विदेशी सहायता सम्बन्धी मामलों में, घनिष्ठ सम्पर्क रखती है। यह प्रक्रिया बराबर जारी रहती है। जहां तक भारत सहायता संघ के देशों का सम्बन्ध है, आशा है कि वे, मई 1969 के दूसरे पखवाड़े में होने वाली बैठक में, भारत की 1969-70 की विदेशी सहायता सम्बन्धी जरूरतों पर विचार करेंगे।

कानपुर के श्री राम रतन गुप्त से जीवन बीमा निगम के ऋणों की वसूली

7934. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 में खर्चे और ब्याज सहित प्राप्त की गई डिग्री के अनुसार कानपुर के श्री राम रतन गुप्त से जीवन बीमा निगम को ऋणों की अभी कितनी राशि वसूल करना शेष है;

(ख) राशि वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बात के बावजूद कि श्री राम रतन गुप्त करोड़ों रुपये की आस्तियों के मालिक हैं, उनसे जीवन बीमा निगम के पूरे ऋण वसूल करने के मार्ग में क्या बाधा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री राम रतन गुप्ता द्वारा 6.63 लाख रुपये की अदायगी के बाद, उसकी तरफ 31-3-1969 को कुल मिलाकर 17.71 लाख रुपये की रकम बकाया थी। बकाया के ब्योरे इस प्रकार हैं :—

मूलधन	14.17 लाख रुपये
लागत	0.42 लाख रुपये
31-3-69 को ब्याज की शेष रकम	3.12 लाख रुपये

(ख) और (ग). निगम ने श्री राम रतन गुप्ता के विरुद्ध जो डिक्री प्राप्त की थी उसके निष्पादन के लिए निगम ने कई कदम उठाये हैं और इस सम्बन्ध में न्यायालयों में कई मुकदमें चल रहे हैं।

भारत के उर्वरक निगम के बरौनी कारखाने में उम्मीदवारों का साक्षात्कार

7935. **श्री सूरज भान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उर्वरक निगम के बरौनी कारखाने में ओवरसियर के

पद पर नियुक्ति के लिये बिहार से बाहर के उम्मीदवारों—एक पश्चिम बंगाल से और एक केरल से—को साक्षात्कार में उपस्थित होने को रोकने के लिये उनसे हाथापाई की गई और उन्हें रोका गया और क्या बरौनी कारखाने में भारत के उर्वरक निगम के अन्य कारखानों से स्टोरकीपर के पद पर नियुक्ति के लिये साक्षात्कार के लिये आये विभागीय उम्मीदवारों से हाथापाई की गई और उन्हें रोका गया;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का उर्वरक निगम यह बात सुनिश्चित करेगी कि निगम में साक्षात्कार के लिये बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता में न्यायोचित अवसर मिले; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कारखाने में गैर-बिहारी कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आवंटन

7936. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री क्रमश: 15 अप्रैल और 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7227 तथा 2964 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक समिति द्वारा शाहदरा क्षेत्र में भूमि की कीमत किस-किस तारीख को जमा की गई थी;

(ख) प्रत्येक समिति को कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ग) प्रत्येक समिति के पंजीकरण की तारीख क्या है;

(घ) कागजी आवंटन अथवा वास्तविक कब्जा कब तक देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आवंटन किस प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय से सीसे की चोरी

7937. **श्री सूरज भान :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिन्टो रोड, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय से 31 अक्तूबर, 1968 को 25,000 रुपये के मूल्य का सीसा जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों के बजटों के 1189 पृष्ठ कम्पोज हुए थे, चोरी हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त मुद्रणालय में इस मामले के अलावा गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी बार चोरी हुई है और उनमें कितने मूल्य का माल चोरी हुआ; और

(घ) सरकार ने ऐसी चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लगभग 3,500 किलोग्राम वजन तथा 24,325 रुपये के मूल्य का पिछले वर्ष के बजट के 1189 पृष्ठों का स्टेंडिंग टाइप मैटर 30 अक्तूबर 1968 को भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टों रोड, नई दिल्ली से गायब पाया गया।

(ख) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रान्च के पास तफतीश के लिए पड़ा हुआ है।

(ग) वांछित सूचना की विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-935/69**]।

(घ) टाइप स्टोर में स्टैंडिंग टाईप मैटर का समुचित हिसाब रखने के लिए प्रयत्न किये गये हैं। सामान्य सुरक्षा के उपायों में सुधार किया जा रहा है। मुद्रणालय में एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की शीघ्र संभावना है।

Family Planning Programme in Bihar Districts

7938. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the extent of progress achieved in various Districts of Bihar under the Family Planning Programme ;

(b) whether it is a fact that the Family Planning programme is lagging for behind its target in Tirhut Division of Bihar ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the steps proposed to be taken by Government during this year to maintain the progress and to make it more successful ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri S. Chandrasekhar): (a) to (d). The required information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Mining of Metals

7939. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the names of the metals which are mined in India ;

(b) the details of the mines, metal-wise ; and

(c) the quantity of metallic ore production and the metals produced from such ores annually ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

7940. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(घ) क्या आयोग ने 1969-70 में तीन लाख मीटर क्षेत्र की खुदाई करने का कार्यक्रम तैयार किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). जी हां । यह आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लगभग 7 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल उत्पादन करेगा । उत्पादक क्षेत्रों तथा गुजरात और आसाम में विकास किये जा रहे क्षेत्रों से होगा ।

(घ) आयोग ने 1969-70 के लिए 2.85 लाख मीटर का व्यधन कार्यक्रम तैयार किया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अफसरों (ओवरसियरों) के कार्य

7941. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूछताछ कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में कार्य करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अफसरों (ओवरसियरों) के कार्यों की कोई सीमा तथा समय निर्धारित नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें निर्धारित सामान्य तकनीकी कार्य के अतिरिक्त अनेक किस्म के अन्य काम करने पड़ते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई विशेष भत्ता, प्रोत्साहन आदि दिया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त ओवरसियरों के क्षेत्रवार कार्य क्या-क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी, नहीं। साधारणतया सेक्शनल आफीसरों को कार्य के निर्धारित घंटों में अपनी ड्यूटी को देखना होता है, परन्तु यदि सार्वजनिक सेवा के हित में ऐसी आवश्यकता हो, तो अधिकारी को निर्धारित घन्टों के बाद अपनी ड्यूटी को देखना पड़ सकता है।

(ख) जी, नहीं। सेक्शनल आफीसर से केवल उन कार्यों को करने की आशा की जाती है, जिसके लिए अपने पद के कारण वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, अथवा ऐसे कार्यों के करने में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सहायता देना है जो उच्चतर पदों में अपनी उन्नति होने के समय आने पर उन्हें स्वयं करने पड़ेंगे।

(ग) जी, नहीं। तथापि, सुपरेन्टेन्डिंग सर्वेयर आफ वर्क्स/सर्वेयर आफ वर्क्स आर्गेनाइजेशन में आयोजना कार्य पर लगाए गए सेक्शनल आफीसरों को 40 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाता है यदि वे इन्जीनियरिंग के स्नातक हैं, और 25 रुपये प्रतिमास, यदि वे डिप्लोमा होल्डर हैं।

(घ) ऊपर (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 936/69]**

कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय में पदोन्नति वाले पद

7942. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कितने पदोन्नति योग्य पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक अधिकारी उन रिक्त पदों पर पदोन्नति के योग्य हैं ;

(ग) क्या उनकी पदोन्नति न किये जाने से कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है ; और

(घ) उन पदों को अब तक पदोन्नति द्वारा न भरे जाने के (संवर्गवार) क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से निरोधक निरीक्षक का एक पद तथा मूल्यांककों के 10 पद खाली पड़े हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) निरोधक निरीक्षक का पद इसलिये नहीं भरा जा सका क्योंकि झूठी गवाही देने के आरोप में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चल रहा है । यह मामला न्यायाधीन है ।

मूल्यांककों के दस पद इसलिये नहीं भरे जा सके क्योंकि जिस योजना के लिये इन पदों की मंजूरी दी गयी थी, वह योजना अभी तक आरम्भ नहीं हुई है । यह आशा की जाती है कि योजना जल्दी ही कार्यान्वित की जायगी और ये पद भर लिये जायेगें ।

कुष्ठ रोग निवारण

7943. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग निवारण के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) देश में कुष्ठ रोग का उपचार करने वाली कितनी संस्थाएं कार्य कर रही हैं तथा इस कार्य पर इस वर्ष कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). देश में राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम 1965 से चल रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय 182 कुष्ठ नियन्त्रण एकक और 1130 सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकारों एवं स्वैक्षिक संगठनों द्वारा कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिये 231 अन्तरंग रोगी उपचार संस्थायें एवं 593 बहिरंग रोगी उपचार क्लीनिक चलाये जा रहे हैं ।

वर्ष 1969-70 में 20 कुष्ठ नियन्त्रण एककों एवं 150 सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्रों की स्थापना और पहले स्थापित किये गये 8 कुष्ठ सहायक केन्द्रों के उन्नयन के लिये 36.25 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है ।

Income-tax Arrears due from Studio Owners in Maharashtra

7945. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of studio owners in Maharashtra against whom income-tax arrears exceed Rupees one lakh at present ;

(b) the steps being taken to realise the arreas and the time by which the amount of arrears would be recovered in full ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The required information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में दोष

7946. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका के टी० वी० ए० दल के विशेषज्ञों द्वारा ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की विभिन्न योजनाओं में डिजाइन, इंजीनियरी तथा सामग्री संबंधी दोष बताने वाली टिप्पणियों की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दल द्वारा मुख्यतः क्या दोष बताये गये हैं ;

(ग) इन सभी दोषों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा इस कार्य पर कितना धन खर्च होने की संभावना है ; और

(घ) इन दोषों के कारण ट्राम्बे उर्वरक कारखाने की किस सीमा तक हानि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) बताई गई मुख्य त्रुटियां ये हैं :

(1) अमोनिया संयंत्र में रूपांकन त्रुटियां हैं और घटिया कच्चे माल के फलस्वरूप संयंत्र की क्षमता निर्धारित क्षमता की 75 प्रतिशत है ।

(2) वायु संयंत्र में रूपांकन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ड्राइर्स से हवा के छनने में रुकावटें हैं ।

(3) मैथेनौल संयंत्र में विशेष रूप से रिफार्मर में रूपांकन त्रुटियों के कारण और नेफ्था फीड की विभिन्नता के परिणामस्वरूप निर्धारित क्षमता के उत्पादन का केवल 60 प्रतिशत की उपलब्धि है ।

(4) क्षमताओं और/या पम्पों, पाइपों, शीतलन कुंडलियों, कम्प्रैशरों आदि जैसे कुछ मदों के निर्माण की सामग्री में सामान्य रूपांकन की त्रुटि के परिणामस्वरूप तकनीकी, यांत्रिक और परिचालन समस्याओं का होना।

(ग) जहां आवश्यक हो अतिरिक्त उपकरणों की स्थापना तथा वर्तमान त्रुटिपूर्ण उपकरणों का बदलना एक ऐसा अनुमान है कि इन परिवर्तनों पर लगभग 259 लाख रुपया खर्च होगा।

(घ) कम उत्पादन के फलस्वरूप आय में लगभग 3 करोड़ रुपये वार्षिक की कमी होगी।

गोआ में पेलटाईजिंग प्लांट की स्थापना

7947. **श्री शिंकरे :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मांझियों की वर्तमान हड़ताल के कारण गोआ की कुछ खानों में लोह अयस्क की खुदाई का कार्य आंशिकरूप से अथवा पूर्णतया बन्द हो गया है ;

(ख) क्या सरकार समझती है कि परिवहन श्रमिकों की हड़ताल के खनन उद्योग को पेश आने वाली कठिनाइयों को कम करने का सबसे अच्छा उपाय उस क्षेत्र में पेलटाइजिंग प्लांटों की स्थापना करना है ताकि निर्यात सामग्री की मात्रा को काफी हद तक कम किया जा सके ;

(ग) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई पेलटाइजिंग प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ; और

(घ) क्या सरकार ने वहां सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक पेलटाइजिंग प्लांट स्थापित करने की योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) गोआ सरकार ने सूचित किया है कि अयस्क निकाले जाने का कार्य हड़ताल के कारण से आंशिक रूप से दुष्प्रभावित हुआ है।

(ख) यह महसूस किया जाता है कि परिवहन श्रमिकों की हड़ताल के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों का पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(ग) जी। मैसर्स चोगुल एण्ड कम्पनी का 5,50,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक पैलेटाइजेशन संयंत्र पहिले ही स्थापित हो चुका है, जिस संयंत्र ने 1967 से ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। उनका 13 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक और संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित फर्मों को इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिये अभिप्राय पत्र जारी किये गये हैं :—

1. मैसर्स वी० एस० डम्पो एण्ड कम्पनी

2. मैसर्स वी० एम० सालगांवकर एण्ड ब्रादर्स लिमिटेड ।

3. मैसर्स सोसाइडेड डे फोमेन्टो आफ गोआ ।

(घ) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

गोआ, दमन तथा दीव की सिंचाई योजनायें

7948. **श्री शिंकरे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के बारे में सरकार को गोआ, दमन तथा दीव सरकार से कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) वे योजनायें कौन-कौन सी हैं, तथा उनके पूर्ण होने पर कितने तथा किस क्षेत्र में सिंचाई होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या स्थानीय सरकार द्वारा सेलौली सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है ; और

(घ) क्या सरकार इसे प्राथमिकता तथा अपेक्षित मंजूरी देगी ताकि इसे पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किया जा सके तथा पूरा किया जा सके ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जी हां । गोवा प्रशासन ने चौथी योजना के दौरान निम्नलिखित दो बृहत परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा है :—

स्कीम का नाम	**स्कीम के पूर्ण होने के पश्चात् सिंचित किया जाने वाला सम्भावित क्षेत्र**
1. सलौली परियोजना	36,000 एकड़
2. तिल्लारी परियोजना	गोवा में 45,000 एकड़ और महाराष्ट्र में 5,000 एकड़

(घ) सलौली परियोजना की रिपोर्ट की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किये जाने से पहले, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में पहले से ही तकनीकी जांच हो रही है ।

गोवा में डूड सागर पन-बिजली परियोजना

7949. **श्री शिंकरे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिजली पैदा करने के बारे में गोवा के डूड सागर झरने की क्षमता की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पुर्तगाली उपनिवेशवादी सत्ता के दौरान भी इस झरने की क्षमता के बारे में श्री विश्वेसरैया द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बिजली की सप्लाई के मामले में गोआ पूर्णतया मैसूर और महाराष्ट्र पर निर्भर है तथा उसके पास अपनी बिजली नहीं है और सहयादारी के पहाड़ी क्षेत्र में से गुजरने वाली बिजली की लाइनों की क्षति हो जाने के कारण बार-बार बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है ; और

(घ) क्या सरकार डूड सागर पन-बिजली योजना को प्राथमिकता देने के लिये किसी योजना को अन्तिम रूप दे रही है, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से विकासशील गोआ के पास अपनी और बिजली होनी चाहिए ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। परन्तु दुध सागर पर जितनी बिजली पैदा की जा सकती है, वह गोआ की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी नहीं होगी।

(ग) संघीय प्रदेश गोआ, दमन और द्यु को बिजली की सप्लाई अधिकतम महाराष्ट्र और मैसूर से होती है। सूचना मिली है कि सहयाद्री पर्वतमाला से गुजरने वाली पारेषण लाइनों को क्षति पहुंचने से बिजली बन्द हो जाने की घटनाएं कम होती हैं।

(घ) अब जो विस्तृत अनुसंधान चल रहे हैं, उनके पूरा हो जाने के बाद दुध सागर पन-बिजली परियोजना की आर्थिक सम्भाव्यता और उसकी कार्य स्थिति पर विचार किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका से दान में प्राप्त गेहूं की काले बाजार में बेचे जाने के समाचार

श्री एस० जेवियर (तिरूनेलवेल्लि) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"तामिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण के लिये अमरीका से दान के रूप में प्राप्त गेहूं के 13,000 बोरों की काले बाजार में बिक्री के समाचार।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारत सरकार ने अमरीका सरकार से एक करार किया है जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संगठनों द्वारा निःशुल्क वितरण के लिए अनाज तथा दुग्ध-चूर्ण, परिष्कृत खाद्य पदार्थ तथा बहु-प्रयोजनीय अनाज, औषधियां, अस्पतालों के लिए उपकरण, कृषि औजार आदि समेत अन्य खाद्य पदार्थ स्वीकार किये जाते हैं। भारत सरकार पत्तनों से इन पदार्थों को ऐच्छिक अभिकरणों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को भेजने के लिए जिम्मेदार है।

1968 के अन्तिम छः महीनों में चर्च वर्ल्ड सर्विस, जो कि इन उपहारों के निःशुल्क वितरण के लिये एक अनुमोदित अभिकरण है, ने पी० सुन्दरम् को तामिलनाडु राज्य के तिरुनेवेल्लि जिला के कोयलापाट्टी और कादमबुर में निःशुल्क वितरण के लिए गेहूं के 9641 बोरे दिये थे। प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) ने चर्च वर्ल्ड सर्विस द्वारा भेजने सम्बन्धी अनुदेशों के अनुसार इन बोरों को भेज दिया था। केन्द्रीय जांच विभाग, मद्रास द्वारा गेहूं की तथाकथित बिक्री की जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री एस० जेवियर : मैं इस बारे में कुछ अन्य तथ्य बताना चाहता हूं।

यह कहना ठीक नहीं है कि लगभग 9,000 बोरे भेजे बल्कि मद्रास पत्तन के भण्डार चालकों (स्टाक आपरेशन) के उप-निदेशक की सांठ-गांठ से मद्रास पत्तन से 13,000 बोरे निकाले गये थे। यह सौदा जून, 1968 से अक्तूबर, 1968 के चार महीनों तक चलता रहा और 13,000 बोरों का पूरा भण्डार तामिलनाडु में तिरुनेवेल्लि जिला में कादमबुर और कोयलापाट्टी को बिना भाड़े के जो कि लगभग 20,000 अथवा 30,000 रुपये बनता है, भेजा गया। पी० सुन्दरम् का इन सभी मामलों में हाथ था। उसने मद्रास में अंग्रेजी में पी० सुन्दरम् के नाम से हस्ताक्षर किये थे और रेलवे प्राप्ति को पुलिया थेवर और शंकरराज नामक दो व्यक्तियों के नाम पृष्ठांकन कर दी। श्री पी० सुन्दरम् इस माल को प्राप्त करने के लिये स्वयं कोयलापाट्टी और कादमबुर नहीं गये बल्कि उन्होंने उक्त दो व्यक्तियों के नाम रेलवे प्राप्ति का पृष्ठांकन कर दिया था और इस बार पी० सुन्दरम् के हस्ताक्षर अंग्रेजी में नहीं बल्कि तमिल में किये।

मैं जानना चाहता हूं कि पी० सुन्दरम् नामक यह व्यक्ति कौन है। उसका धर्मार्थ संगठन से क्या सम्बन्ध है और पी० सुन्दरम् का पता क्या है ? क्या कारण है कि उन्होंने एक स्थान पर अंग्रेजी में तथा दूसरे स्थान पर तमिल में हस्ताक्षर किये हों क्या यह माल धर्मार्थ संगठन को आज तक पहुंचा है और इस भण्डार का क्या बना ?

इन बोरों को सुन्दरम् के एजेन्टों द्वारा कोयलापाट्टी और कादमबुर में काले बाजार में 50 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से बेचा गया और इस प्रकार श्री सुन्दरम् तथा उनके दल के व्यक्तियों ने 8 लाख रुपये बनाये। ऐसा नहीं हो सकता था यदि सरकार (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्रीय जांच विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। फिर भी आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : इससे जांच में सहायता मिलेगी।

श्री एस० जेवियर : मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे विभाग तथा खाद्य विभाग ने चार महीने तक इस मामले में किस प्रकार सांठ-गांठ से काम लिया। सुन्दरम् कौन है और क्या इसका पता मालूम कर लिया गया है। यदि ये बातें प्रकाश में आ जायें तो अमरीका से भेजे जाने वाली

निःशुल्क सप्लाई के बारे में हमारे देश की जो अपमानजनक प्रतिष्ठा उत्पन्न हो गई है, वह दूर हो जायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जिन पार्टियों को माल भेजा जाता है, हम उनको नामनिर्दिष्ट नहीं करते । ऐच्छिक संगठन स्वयं ऐसी पार्टियों को नामनिर्दिष्ट करते हैं । रिकार्ड से ऐसा पता लगता है कि उपहार में मिले इन खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिये ऐच्छिक संगठन द्वारा पी० सुन्दरम् नामक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया गया था । केन्द्रीय जांच विभाग इस मामले की जांच कर रहा है ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : जब मैं इस सरकार विशेष खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की आलोचना करता हूं तो इसका कारण देश में चल रही इस प्रकार की जालसाजी है । भारत के खाद्य निगम के खाद्यान्नों में भी कालाबाजार हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन से व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं । मुझे बताया गया है कि भारत के खाद्य निगम का भी इसमें हाथ है ।

विदेशों से प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों के वितरण के बारे में सरकार की क्या नीति है ? समूचे भारत में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं । उपहार में मिलने वाले गेहूं को कालाबाजार में बेचा गया है । इस प्रकार के अनेक अन्य उदाहरण हैं । अतः भारत सरकार ने चोरी, कालाबाजार और लूटमार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह गलत है कि भारत के खाद्य निगम का इसमें कोई हाथ है । जहां तक इन खाद्यान्नों का सम्बन्ध है मैंने बताया कि 1951 से अमरीका से हमारा करार है । यह कोई नई बात नहीं है । भारत में कुछ एच्छिक संगठन काम कर रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : इन सन्देहजनक सौदों के बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कठोर कार्यवाही की जायेगी और क्या कोई समिति नियुक्त की जा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हम उनकी जांच करेंगे । सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अनेक एच्छिक संगठनों ने अच्छा काम किया है हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : डा० त्रिगुण सेन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा, 10 के अधीन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 792 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 909-69]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड—सरकारी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स, लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 910/69]

कोचीन रिफाइनरीज—सरकारी समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 911/69]

नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, सरकारी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना का संशोधन

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अधीन एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 912/69]

(2) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 901 की एक प्रति, जो दिनांक 5 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 1 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 436 में एक संशोधन किया गया ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-913/69]

सीमा-शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 962 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 963 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 914/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 987 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 915/69]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

47वां, 48वां, 50वां, 52वां, 62वां, 63वां, 65वां, 66वां, और 70वां, प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन

उपस्थापित करता हूं :

(1) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1964 के पैरा 12, 13, 14 और 28 के बारे में लोक लेखा समिति के 37वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 47वां प्रतिवेदन ।

(2) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) 1964-65 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1966-के बारे में लोक लेखा समिति के 71वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 48वां प्रतिवेदन ।

(3) 'न्यू सर्विस' 'न्यू इन्स्ट्रूमेन्ट आफ सर्विस' के विषय में लोक लेखा समिति के 11वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 50वां प्रतिवेदन ।

(4) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1967—प्रतिरक्षा उत्पादन—के बारे में लोक लेखा समिति के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 52वां प्रतिवेदन ।

(5) विनियोग लेखे (रेलवे) 1965-66 तथा लेखे परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) 1967 के बारे में लोक लेखा समिति के 23वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 62वां प्रतिवेदन ।

(6) अणु शक्ति विभाग, वित्त आदि मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1965-66 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1967 के बारे में लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 63वां प्रतिवेदन ।

(7) परिवहन तथा नौवहन आदि मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1964-65 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1966 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1966 के बारे में लोक लेखा समिति के 63वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 65वां प्रतिवेदन ।

(8) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) के 1964-65 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1966 के बारे में लोक लेखा समिति के 62वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 66वां प्रतिवेदन ।

(9) गृह-कार्य आदि मंत्रालयों के विषय में लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 70वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

33वां, 43वां तथा 50वां प्रतिवेदन

श्री गु० सि० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 29वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 33वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के उर्वरक निगम लिमिटेड के सिंदरी यूनिट [लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1968 के सेक्शन II में पैराग्राफों] के बारे में 43वां प्रतिवेदन ।

(3) सरकारी उपक्रमों की कर्मचारियों सम्बन्धी नीतियों के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 52वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 50वां प्रतिवेदन ।

अनुदानों की मांगें–जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए अभी दो घन्टे का समय है । माननीय मंत्री तीन बजे के लगभग चर्चा का उत्तर देंगे ।

श्री अ० सिं० सहगल (विलासपुर) : आज हम मध्याह्न भोजन के लिये छुट्टी न करें और मांगों के लिये अधिक समय दें ।

अध्यक्ष महोदय : इससे समस्या हल नहीं होगी ।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : I want to draw the attention of the Railway Minister towards the accident which occurred yesterday near Burdwan.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज 6.30 बजे के लगभग शेष मंत्रालयों की सभी मांगों को एक साथ पास किया जायेगा । उसके पश्चात विनियोजन विधेयक आयेगा । क्या उस समय हम इन मंत्रालयों की मांगों के बारे में कुछ कह सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप वित्त विधेयक के समय बोल सकेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : कार्यसूची में इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग विधि तथा स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालयों का उल्लेख किया गया है। अत: 6-30 बजे तक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों को निपटाना होगा। अत: हमें विनियोजन विधेयक को अत: मंत्रालयों की मांगों को पास किये बिना ही पास कर देंगे। अत: हमें विनियोजन विधेयक पर मत देने से पूर्व अन्य मंत्रालयों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभी मांगों पर मतदान हो जाने के बाद ही विनियोजन विधेयक लाया जायेगा। वित्त विधेयक पर चर्चा के समय आपको इन सभी विषयों पर जिन पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकी, बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री अ० सिं० सहगल (विलासपुर): हम शेष सभी मंत्रालयों की मांगों को एक साथ पास करने जा रहे हैं। अत: इन मंत्रालयों ने सम्बन्धित विषयों पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता।

Shri Rabi Ray (Puri) : It is clear from the report of the Ministry that we have suffered a loss of 122.4 crores of rupees in the Hindustan Steel since its inception. We have invested about Rs. 1072.5 crores.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The Bureaucrats capitalists have conspired to defame the Public Sector. Today it has appeared in the newspapers that the Congress President is of the opinion that more money should not be invested in the public sector because the public sector undertakings are running into loss.

Mismanagement and dishonesty is rampant in both the public and private sector industries in India.

Shri K. C. Pant, the Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Industries has intervened in this debate and said that one has to depend on the public sector for the promotion of socialism. But the way the public sector is functioning in the country it will give rise to extravagance and false pride. We are astonished to see the expenditure which is being incurred on the bureaucrats and the administration as a whole. So we have to stop the extravagance and these public sector undertakings have to be run on proper lines.

I visited Rourkela on 29th and 30th alongwith Shri George Fernandes. Expansion has taken place in this Plant.

The higher officers of all the the three steel plants have turned aristocrats. Each of the three Steel Plants has its own aircraft. The Manager Shri Sinha of Rourkela Steel Plant and other high officers of these steel plants travel by these aircrafts. This accounts for the wastage and extravagant expenditure in these public undertakings. The resources of these steel plants are not being utilised properly. Mismanagement and malpractices in these steel

plants are prevalent; moreover there is no coordination between these public sector undertakings. The management do not procure raw materials like iron ore, manganese etc. according to the laid down procedure. This has been mentioned in the report of the Committee on Public Undertakings for the year 1967-68. Moreover the Sirkar Committee has stated in its report that these public sector undertakings do not implement their recommendations. These public undertakings do not cooperate with each other in the matter of purchasing their goods. They do not even cooperate with the investigating authorities.

It is said that Bokaro Steel Plant will go into production in 1970 but Government has since announced that production has been delayed by one more year. If the production does not start by the target date in these public undertakings the Hon. Minister concerned should resign immediately. The Study Group of the National Commission on Labour and Labour Problems in the Public Sector has rightly called for motivation through association of workers in the running of public undertakings. Such association should concern not merely questions like wages and welfare, but also matters which concern the management of the undertakings, namely, the financial position, production, sales, cost, higher productivity etc. This will increase efficiency amongst labours and production will also be increased the deteriorating labour—management relations in the public undertakings will return to normal.

There is Corruption in Indian Iron and Steel Company. Our Attorney General and Advocate General have recommended that a Commission of Enquiry should be appointed to look into the matter. They have also stated that this organisation has violated section 77(2) of Company Act, 1956 and the agreements which have been arrived at are in contravention of section 361 of the Act. The Company Law Board should decide the matter after getting explanations from the firm in consultation with the Advocate General and Ministry of Law.

The owners of private sector undertakings should not be allowed to tarnish the image of public sector undertakings.

I, therefore, oppose the grants.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : The Hon. Minister has taken over the charge of this Ministry recently, but even then whatever he has done is praiseworthy. There is considerable improvement in the export of bars, structurals, sheets, pig iron etc.

The employees working in these plants should be associated with the management, they should be given a part of the profits earned in these plants so that our production may increase.

All the steel plants in the country are important and essential for industrialisation and self-sufficiency of the country depends upon them. Steel is the only and primary essential and important thing for agricultural development of the country. If we are able to manufacture the tractors which we have to import from abroad, and supply them to our farmers, we shall do yeoman's task for the country. We should take this task in our hands. I, therefore, support these demands.

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : इस्पात मंत्रालय से सम्बन्धित इन आलोचनाओं, कि इस मंत्रालय का कार्य सुचारुरूप से नहीं चल रहा है तथा इसमें प्रशासनिक कुशलता का अभाव है, का जिस कुशलता से मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, प्रशंसनीय है। मंत्री महोदय का कर्तव्य है

कि वे अब इन अभावों को दूर करने का प्रयत्न करें तथा इन धारणाओं का भी खण्डन करें कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकुशलता का अभाव है तथा उनसे लाभ नहीं होता इसलिए सरकारी उत्पादन सेवाओं तथा सरकारी उपक्रमों का कार्य कुशलता से चले तथा औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकारवाद समाप्त हो। सरकारी उपक्रमों को सरकारी उपयोगिता सेवाओं के समानान्तर नहीं समझना चाहिए क्योंकि सरकारी उपयोगिता सेवाएं जन सामान्य को सुविधाएं प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया है और इनसे कुछ हानि भी हो सकती है। परन्तु सरकारी उपक्रमों में हानि केवल कुछ समय तक ही होती है तथा यह हानि अधिक समय तक नहीं रहनी चाहिए, और यदि यह हानि होती रहती है तो लोगों के दिलों में सरकार के समाजवादी उद्देश्य के विरुद्ध धारणा पैदा हो जाएगी और सामान्यतया सरकार के प्रशासन इन लोगों का विश्वास उठ जायेगा। इससे परोक्षरूप में उद्योगपतियों के एकाधिकारवाद को सहायता मिलेगी, और जन सामान्य के हितों के विरुद्ध हो जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1972-73 के दौरान कच्चे लोहे अथवा इस्पात के उत्पादन में सम्भावित व्यवधान को पूरा करने के लिए नई परियोजनाएं, नए इस्पात संयंत्र आदि स्थापित करने का विचार है। मद्रास सालम इस्पात संयंत्र की स्थापना की मंजूरी के लिये वर्ष 1957-58 से प्रयत्नशील है। आरम्भ में तो धातु लोहे की केवल पैंतीस प्रतिशत मात्रा का अनुमान होने के कारण इससे लाभ होने में शंका हुई थी परन्तु बाद में पश्चिमी जर्मनी, नार्वे तथा दस्तूर एण्ड कम्पनी तथा जापानी विशेषज्ञों के द्वारा जांच करने पर पता चला कि अन्य रसायनों के अतिरिक्त लोहे की मात्रा 60 प्रतिशत तक हो सकती है जिससे बहुत लाभ हो सकता है। इस जांच के प्रतिवेदन के पश्चात् राज्य सरकार ने इस संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। तमिलनाडू के मुख्य मंत्री ने भी विधान सभा में विश्वास दिलाया है कि चौथी योजना के प्रथम वर्ष में इस संयंत्र की स्थापना हो जायेगी। इसके बावजूद भी चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इस संयंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। वर्ष 1972-73 में लोहे इस्पात की आवश्यकता तथा उत्पादन क्षमता के व्यवधान की पूर्ति के लिये सालेम इस्पात संयंत्र उपयुक्त रहेगा। सालेम इस्पात संयंत्र की आरम्भिक क्षमता ढ़ाई लाख टन आंकी थी और इसके पश्चात् 5 लाख टन तक। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें 36 से 40 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होंगे। इस संयंत्र के लिये जापानी तथा अन्य विशेषज्ञों ने तकनीकी जानकारी तथा विदेशी मुद्रा भी देने के लिये अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। तथा वे इस संयंत्र द्वारा निर्मित सामान को भी खरीदने के लिये तैयार हो गए हैं। जब वे विदेशी मुद्रा को खर्च करने तथा इस संयंत्र में उत्पन्न सामान को खरीदने को तैयार हैं तो इस संयंत्र को स्थापित करने में कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना आवश्यक है। इसलिए सालेम इस्पात संयंत्र की तमिलनाडू में स्थापना आवश्यक है तथा यह तमिलनाडू की समस्त जनता की मांग है। प्रान्तीय सन्तुलन तथा पिछड़ेपन को दूर करने, देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिये

यह इस्पात संयंत्र देश के पश्चिमी भाग में होना बहुत आवश्यक है। हमारे पास इस इस्पात संयंत्र के लिये संसाधनों की कमी नहीं हैं। अत: तमिलनाडू के निवासियों की इस युक्तियुक्त मांग को जो बहुत समय से पूरी नहीं की गई थी अब पूरी की जाए।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छ: मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, a meeting is going to be held in Bombay today at 4.00 P.M. concerning the agency issue of M/s Synthetics and Chemicals. M/s Tulsidas Kilachand are their sole selling agents. They have earned lakhs of rupees without any labour as agency commission. D.G T.D. have placed 30 per cent orders on them. It is not understood as to why they get commission when Government procures these goods and the agents do not take any pain in disposing of the goods. The Life Insurance Corporation is also a shareholder in this concern, and it is a serious state of affairs in so far as the business of Life Insurance Corporation in this connection is concerned. The Hon. Minister should make a statement in this regard.

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय 3 बजे के लगभग पीठासीन होंगे। आप तभी इस प्रश्न को उठाएं।

Shri Madhu Limaye : I want to inform Shri Raghu Ramaiah about this issue, so that he may arrive at some decision by 3.00 O'clock, and information will have to be sent by telex message as the meeting is going to be held at 4 O'clock.

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि समिति की बैठक 4 बजे होगी इस बात का पता नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय 3 बजे तक आ जायेंगे इसलिए मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये क्योंकि इस दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है कि उन्होंने आपको क्या विश्वास दिलाया है। मैं किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता तथा अनुमति भी नहीं दे सकता।

Shri Randbir Singh : There was a press report that Law Secretary has misbehaved with Deputy Law Minister Shri Mohammed Yunus Saleem ....(**interruption**). Guillotine will be applied shortly and we shall not be getting time to discuss this matter.

सभापति महोदय : जब विधि मंत्रालय की मांगों पर विचार किया जाये तब आप अपने विचार प्रकट करें।

Shri Randhir Singh: How a Secretary dared to insult a Deputy Law Minister in the presence of Law Minister. The Secretary of Law Ministry should be suspended.

सभापति महोदय : मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूं । परन्तु आप उचित समय पर ही अपने विचार प्रकट करें ।

Shri Randhir Singh: It is an insult of all of us when an employee misbehaves with a Deputy Law Minister.

श्री अ० सिं० सहगल : व्यवस्था के प्रश्न पर ।

Shri Shashi Bhushan: The Minister of Parliamentary Affairs is here and you may tell him that it is the insult of House.

श्री एस० कण्डप्पन : इस सदन की यह प्रथा नहीं है कि जब सभा-पटल पर गम्भीर विचार प्रकट किये जाते हैं तो संसदीय कार्य के माननीय मंत्री का कर्तव्य हो जाता है कि वे सदस्यों की उत्कण्ठा को सम्बद्ध मंत्री महोदय तक पहुंचा दे और उपलब्ध समय में अपना वक्तव्य देने के लिये उनसे कहें । यह मामला हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा प्रशासन से सम्बन्धित है····

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता । मैं पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुका हूं ।

श्री अ० सिं० सहगल : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ····

सभापति महोदय : जी नहीं, कुछ भी आलेखबद्ध नहीं होगा ।

श्री अ० सिं० सहगल : *

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati): Steel and Heavy Engineering Department should give increasing attention to the Public Sector Undertakings to meet requirement of steel in the country. We have accepted a cooperative and socialisted pattern of society and according to this pattern all the big industries should be taken over by the Government.

It has been observed generally that the industries owned by the private entrepreneurs run economically yield more return in comparison to Public Sector Undertakings.It is true that Public Sector industries have proved to be rather uneconomical, all the same, if proper remedial measures are taken these can yield good return.

Actually the owner of the private industry is guided solely by the profit motive and, therefore, in that Sector there are more incentives. In the Public Sector the interests of the workers are also looked after and naturally the expenditure incurred on the housing and other facilities provided to workers can not yield any return. Even then it can not be said that there would be no incentive in Public Undertaking at any time. If all of us cultivate a sense of belonging towards the Public Sector Undertakings, the wastage and losses in these undertakings could be minimised. We are the trustees of the taxpayers and, therefore, it is incumbent upon us to invest the public money in paying enterprise.

*सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है ।

*Not recorded.

By saying so I do not mean to suggest that the private industries suffer from morbid intentions. I only want to mention that emphasis should be laid on healthy competetion in the country. The production should be increased and the output should also be made superior in quality. At the same time the prices of the goods should be fair and there should be no exploitation of any kind in the country.

In the Public Sector Undertakings Government should not appoint the I.C.S. Officers on managerial posts, because they have no aptitude for these posts and can boast of little experienced in technical know-how. Therefore, Government should appoint technically experienced person in these undertakings. Such persons should be taken, if necessary, from the private sector at comparatively higher salaries. To maintain economy, the required number of employees should be given employment in these undertakings and over-staffing should as far as possible be eschewed. In short every kind of wasteful expenditure should be avoided.

The services of the jobless engineers of our country should be utilised in a profitable manner. Besides this, the procedural delays pertaining to the issuing of licences and permits for setting up industries should be avoided.

The Government should fully utilise the idle capacities of those industries. Unnecessary expansion should not be taken up. Secondly, the plants should be established only where they are needed and the Government should be firm against any agitation launched for shifting the plant. To dispel all sorts of misgivings from the minds of the public in regard to public sector undertakings the Government should make efforts to increase the output and return of these undertakings.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, the report placed on the Table by the Hon. Minister does not give a peep into the working of that Department.

We are not against the Public Sector Undertakings. We are interested in the prosperity of both the sectors and in the free competition between them. But if the experience of last 20 years is any indicator of the working of our public sector undertakings one is bound to draw an inference that they have not been remunerative. The need of re-thinking has eventually been expressed uneconomical working of these undertakings by the President of the Congress Party as well.

More than 1100 crores of rupees have been invested in the Steel Plant. Mismanagement, corruption and favouritism have eroded the profits of these plants, and which ultimately puts extra burden on the public of the country. Several Commission have been appointed but no fruitful result has been followed till now.

I want to suggest that tinkering with the problem will not do. We require a major operation in this Ministry. Unless you are able to do it, you will prove a miserable failure. If you want to maintain the Public Sector you will have to prove the practicability and viability of this ideology. Infructuous investments in these industries can not be tolerated by the taxpayers of the country. You can bring forward a legislation to withheld the facilities given to any private industry which suffers from mal-practices but because you are privileged class you have been misusing the public money through these industries and no kind of control is exercised on

them. The Government is also guilty of incurring wasteful expenditure of the foreign exchange. The Government have sacrificed the interests of the country by way of devaluation of Indian rupee under pressure from the World Bank. I demand that the expansion activities should not be undertaken in these undertakings unless they become remunerative, well oraganised and consolidated.

May I know whether any of the Steel Plants so far set up, has been commissioned by the targetted date? It is not a good practice. Government should render quarterly progress report pertaining to a Plant and any expansion in these plants should only be undertaken when the targets fixed for a particular phase or stage of the plants have been achieved. Besides, the officers assigned with the work of the plant should be held responsible if the production targets are not achieved. Awards should also be given to those officers who accelerate the pace of production.

I also want to submit that defeated politicians should not be given managerial appointments in the public sector undertakings. Because they do not have any experience in this line, they only prove themselves burdensome on these industries and on the country. The Government should prove to be a good and ideal employer. Labour participation in the industries should also be gradually encouraged and the bonus given to the workers should be converted into the shares.

The report says that the goods worth Rs. 53 crores were exported while the imports amounted to Rs. 93 crores. In this context it is suggested that the Government should strengthen their commercial relations with the developing countries not very far from our country and where there would be much demand for our products. If this is done we might get an opportunity to utilise our idle capacity to the full.

As compared to the other countries of the world our cost of production is much more and it is need be reduced. The report submitted by the Russian Delegation should be placed at the Table of the House in order to scrutinise the malpractices rampant in these industries.

As I have said earlier there is a need for taking major and drastic operations to make these undertakings remunerative and economical.

Shri G. S. Misra (Chhindwara): Sir, I want to make certain suggestions in connection with the demands of Steel and Heavy Engineering Ministry.

The emphasis should be laid on the production of such steel goods as can be consumed within the country and can be exported abroad. Production should be restrained and the commodities should adhere to the specification given by the foreign countries.

Instead of pig iron, the finished and processed goods should be exported in order to earn extra foreign exchange.

The managerial staff of these undertakings should be directly governed by the Ministry and the recalcitrant officers, like Shri Chandi, should immediately be bought to books by the Government. The wasteful expenditure incurred on the useless tours of big officers should be avoided in order to earn profits.

The luxuriously decorated guesthouses meant for these big officers should be banned and the expenditure on the division officers should also be brought down. The Hon. Minister should go there for surprise checking.

The distribution system is defective and the Joint Plant committees are also corrupt.

The production of defective goods is gradually increasing. Malpractices are indulged in weighing and sale of goods. The Government should keep a watch over the activities of these undertakings.

Our exports should be boosted and the import should be minimised. To have a increased out put we should have good relations with the workers.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in he Chair]

Rs. 1100 crores are proposed to be invested in Bokaro Steel Plant and the estimated production by this plant would be 3 to 4 million tonnes of steel. The existing prices of our steel products are much higher. It has shot up from Rs. 640 per tonne to Rs. 1200 per tonne. Now we will have to raise this price to Rs. 1500 to 1600 per tonne. And if that is done we will not be able to export our steel goods. Therefore there is a great need to reconsider the investment programme.

मैसर्स सिंथैटिक्स एण्ड केमिकल्स के बारे में
RE: MESSRS SYNTHETICS AND CHEMICALS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था। किलाचन्द कम्पनी को मैसर्स सिंथैटिक्स एण्ड केमिकल्स की विक्रय एजेन्सी दिये जाने के बारे में विवाद चल रहा है। मेरा सम्बन्धित मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, श्री सोमानी तथा अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि जीवन बीमा निगम ने इसमें बहुत धन लगाया है। अतः इस पर चिन्ता होना स्वाभाविक है। मैंने संसद कार्य मंत्री से कहा था कि इस बारे में सभा में एक वक्तव्य दिलायें। मैं मालूम करूंगा कि क्या किया जा रहा है।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय—जारी

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मंत्रालय का प्रतिवेदन बहुत भ्रामक है। यह जानबूझ कर किया गया है। इसमें उन देशों के नाम दिये गये हैं जिनको हम निर्यात कर रहे हैं। परन्तु निर्यात देश की अपनी मांगों की उपेक्षा करके किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आंकड़ों के अध्ययन से यही पता चलता है। आगामी वर्षों के लिये जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे भी यही आभास होता है। ऐसी बात नहीं कि लोहे का सामान देश में फालतू है। मेरे विचार में तो अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये सरकार देश की अपनी मांगों को पूरा न करके इसका निर्यात

कर रही है। फिर हम दावा करते हैं कि हमारे देश में लगभग 90 प्रतिशत माल उपयोग में लाया जाता है। यह विश्व के आंकड़ों से अधिक बैठता है। मैं इसे मानने को तैयार नहीं। क्योंकि हमें छोटी-छोटी वस्तुओं तक के लिये अन्य देशों पर निर्भर करना पड़ता है।

रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर एक कार्यक्रम का ब्योरा है। उसके अनुसार कुछ समय बाद देश आत्मनिर्भर हो जायेगा और कुछ मात्रा में निर्यात भी किया जाने लगेगा। बोकारो के कारखाने में उत्पादन के काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाकर कार्यक्रम तय किया गया है।

बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु वास्तव में वहां पर अभी कुछ भी नहीं है। कारखाने के लिये लाई गई सभी मशीनें अभी वहां पर बेकार पड़ी हैं। वहां कारखाने के चालू होने में अभी बहुत समय लगेगा। मंत्री महोदय से अनेक बार कहा गया है कि हमें उत्पादन आरम्भ होने की एक निश्चित तिथि बतायें। शायद उन्हें स्वयं भी इसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। मुझे सन्देह है कि इसमें दस वर्षों में भी उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। मेरे विचार में सरकार ने इस प्रतिवेदन द्वारा सदन को गुमराह किया है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत अधिक धनराशि लगाई हैं। इसमें हमें बड़े पैमाने पर हानि हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्रों में कम लागत पर अधिक लाभ और उत्पादन हो रहा है। क्या यह बात ध्यान देने योग्य नहीं कि हमारे सरकारी क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब क्यों है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि उन्होंने आंकड़े कहां से लिये हैं ? उन्हें गुमराह करने वाली बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : हिसाब के मामलों में गुमराह नहीं किया जा सकता। आप अनुबन्ध 3 में पृष्ठ 50 पर देखें तो टिस्को आदि गैर-सरकारी क्षेत्र में तैयार इस्पात के आंकड़े दिये गये हैं। उसके बाद सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन का ब्योरा है। दोनों की तुलना से यही निष्कर्ष निकलता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में 55 प्रतिशत उत्पादन हुआ है। आप स्वयं अथवा आपके सचिव हिसाब लगा सकते हैं।

हिन्दुस्तान स्टील में त्रुटियों के लिये सरकार मजदूरों को दोष देना चाहती है। यह ठीक नहीं है। सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिये। सरकारी उपक्रमों को एक नमूना प्रस्तुत करना चाहिये। दुर्गापुर के बारे में एक अत्यन्त गलत वक्तव्य दिया गया है। यह ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान स्टील का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। इसका भविष्य क्या होगा हम अनुमान लगा सकते हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव दिये हैं मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। अपनी-अपनी विचार-धाराओं के अनुसार विचार व्यक्त किये गये और आलोचना भी की गई है। मैं माननीय सदस्यों की शंकाओं को दूर

करने का प्रयत्न करूंगा । हमें सरकारी क्षेत्र के संयन्त्रों के उत्पादन का हिसाब लगाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विभिन्न प्रकार का इस्पात तैयार हो रहा है । उनके उत्पादन में विविधता है । हमें कच्चा माल भी उपलब्ध कराना होता है । देश में सैकड़ों अन्य कारखानों की आवश्यकता पूरा करने की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है । देश के आर्थिक विकास की बड़ी आवश्यकताओं को हिन्दुस्तान स्टील पूरा कर रहा है ।

मेरे सहयोगी श्री पन्त इस्पात कारखानों के लाभ की बात स्पष्ट कर चुके हैं । मैं समझता हूं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । मूल्यों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । हिन्दुस्तान स्टील की ह्रास दर 7 प्रतिशत है । यह 15 वर्षों के कार्य के बाद है । मुझे आशा है कि कुछ समय के बाद ये कारखाने भी गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों की भांति लाभप्रद हो जायेंगे ।

वर्तमान स्थिति से हमें प्रसन्नता नहीं है । गत वर्ष हिन्दुस्तान स्टील को 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है । इस वर्ष 15 अथवा 16 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

यहां कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में देश की इतनी अधिक पूंजी लगा दी गई है और उससे इतना लाभ न होकर हानि हो रही है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं । यह ठीक है कि देश की बड़ी राशि इसमें लगी है और हानि हो रही है । उदाहरण के लिये बोकारो को ही लीजिये । कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हमें 17 लाख टन से अधिक लक्ष्य नहीं रखना चाहिये । इसके 64 प्रतिशत उपकरण देश में ही बनेंगे । हमारे ही तकनीशियन बनायेंगे । 93 प्रतिशत ढांचे अपने ही देश में तैयार किये जायेंगे । यह कोई छोटी सफलता नहीं है । अब हम दावा कर सकते हैं कि हमारा देश ऐसा करने की स्थिति में है। अन्य प्रकार के सामान के बारे में भी हम 90 प्रतिशत माल अपने देश में ही तैयार कर रहे हैं । इस प्रकार हम आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं । हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम शीघ्र ही स्वयं संयन्त्र स्थापित कर सकेंगे । इस प्रकार के बड़े कार्यों में आरंभ में हानि होना स्वाभाविक ही है । अब हमें विश्वास और भरोसा है कि हम बड़े-बड़े औद्योगिक कार्यों को कर सकते हैं । इनके लिये आधार तैयार किया जा चुका है ।

योजना आयोग के विचार में 12-15 वर्षों के बाद देश की इस्पात सम्बन्धी मांग लगभग 2 करोड़ टन होगी ।

अब हम 90 लाख टन के लगभग तैयार कर रहे हैं । अतः हमें 5 या 6 और संयन्त्र स्थापित करने होंगे । इनके बनाने की क्षमता तथा जानकारी देश में उपलब्ध है । तकनीकी ज्ञान हमारे पास है । हमें गर्व है कि अब आगे हम अपने ही संसाधनों द्वारा कारखाने स्थापित कर सकेंगे । चौथी योजना में भविष्य की कार्यवाही का संकेत मिलता है । कुछ विशेष प्रकार की जानकारी तथा लाइसेंसों के लिये हमारी भिन्न देशों से बातचीत चल रही है । 1973-74 तक हमारे वर्तमान यूनिटों की उत्पादन क्षमता 9 लाख 40 हजार टन होगी । 1978-79 में पांचवीं योजना

में हमारी क्षमता 13.74 मिलियन टन होगी। उस समय लगभग 30 लाख टन का अन्तर होगा। उसे नये संयन्त्र स्थापित करके पूरा किया जायेगा।

चौथी योजना काल में हमें नये कारखाने की स्थापना के बारे में अन्य कार्यवाही के लिये तैयारी करनी होगी। स्टीयरिंग कमेटी ने अपना प्रतिवेदन योजना आयोग को दे दिया है। उसका अध्ययन करने के बाद हम कारखाने के स्थापित किये जाने के स्थान के बारे में निर्णय कर सकेंगे। इसके लिये सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। अन्तिम निर्णय एक तकनीकी समिति करेगी।

कुछ प्रकार के इस्पात के उपलब्ध न होने की बात भी कही गई है। 1967 से इस पर से नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया है। परन्तु इसकी वितरण व्यवस्था पर एक संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा नियन्त्रण रखा जा रहा है। एक इस्पात प्राथमिकता समिति प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। विशेष किस्मों के इस्पात के बारे में भी वही निर्णय करेगी। रेलवे, प्रतिरक्षा आदि की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। प्राथमिकताओं के अनुसार आवश्यकताएं पूरी करने के बाद शेष इस्पात को खुले बाजार में भेजा जाता है। आशा है रूड़केला संयन्त्र के विस्तार के बाद कमी नहीं रहेगी।

मुझे आशा है कि इस वर्ष देश की कच्चे लोहे की मांग को हम पूरा कर सकेंगे। लोहे की पत्तियों की मांग की अपेक्षा हमारी मांग कुछ कम है। इनका निर्यात भी हमें करना है। फिर भी हम अपने देश की आन्तरिक मांग को काफी मात्रा तक पूरा कर लेंगे। पहले स्थापित किये गये इस्पात कारखानों में लगभग 45 प्रतिशत विदेशी मुद्रा व्यय हुई थी परन्तु बोकारो कारखाने में यह 25 प्रतिशत होगी। रूस ने लगभग 160 करोड़ रुपये के ऋण देने की पेशकश की है।

यहां सुझाव दिया गया था कि सरकार को एक आदर्श नियोजक होना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने कैसे एक आदर्श नियोजक के रूप में कार्य किया है। हमने अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश की है। उत्पादन आरंभ होने से पहले सभी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाती हैं। इस्पात कारखानों के मजदूरों को अन्य उपक्रमों के मजदूरों से कहीं अधिक सुविधाएं मिली हुई हैं।

दुर्गापुर के कारखाने में एक साधारण श्रमिक को लगभग 250/- रुपये मिलते हैं। इसमें बोनस आदि शामिल है। दुर्गापुर में गत दो वर्षों में उत्पादन में कमी हुई है। अतः हमें उत्पादन को ध्यान में रखते हुये वेतन में वृद्धि का प्रश्न उठाना चाहिये। यह कैसे हो सकता है कि वेतन में हम वृद्धि की मांग करें परन्तु उत्पादन में कमी होने की ओर ध्यान न दें। 1967-68 में दुर्गापुर में 18 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस वर्ष 15 से 16 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों और प्रबन्धकों को बैठकर सोचना होगा कि सुधार कैसे किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands of the Ministry of Steel and Heavy Engineering were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
83.	इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	19,00,000
84.	इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	1,33,68,000
130.	इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,42,83,75,000

मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: MESSRS SYNTHETICS AND CHEMICALS

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ करने से पहले औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री महोदय मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स के बारे में उठाये गये प्रश्न पर एक वक्तव्य देंगे ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मुझे बताया गया है कि कुछ माननीय सदस्यों ने फायरस्टोन कम्पनी और किलाचन्द के बीच विवाद के प्रश्न को उठाया है । मुझे इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन मिले हैं । हमें सूचना मिली है कि आज एक बैठक होने जा रही है । इस बारे में स्थिति यह है कि जब तक यह मामला शेयर होल्डरों के समक्ष है तब तक हम कानून के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकते । सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी । मुझे तो यही पता चला है कि दोनों ओर के अंशधारी अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं । हमें भी उन्हीं पर निर्णय छोड़ देना चाहिये । उनके द्वारा समझौते का अनुमोदन हो जाने के बाद यह समवाय विधि बोर्ड के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिये आयेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे । क्योंकि इसमें जीवन बीमा की बड़ी राशि लगी हुई है । सरकार को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS —Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधि मंत्रालय की मांगों को लेंगे । इस मंत्रालय की मांग संख्या 73 तथा 74 हैं । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं ।

वर्ष 1969-70 के लिये विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं ।

The following Demands for Grants in respect of the Ministry of Law were moved.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
73.	विधि मंत्रालय	72,11,000
74.	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,68,54,000

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह नियम संख्या 376 (2) के अन्तर्गत है । इस समय सभा के समक्ष विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगें हैं । मंत्रालय में एक गंभीर घटना घटी है । बड़े खेद की बात है विधि मंत्रालय के सचिव ने उप-मंत्री श्री यूनुस सलीम का अपमान किया है ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है । हमने जब यह प्रश्न उठाया था तो श्री गौड पीठासीन थे । उस समय उन्होंने कहा था कि विधि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय इस प्रश्न को उठाया जाये । मैं इस विषय पर चर्चा चाहता हूं । हम सचिव के रवैये की निन्दा करना चाहते हैं । इस अधिकारी को मंत्री के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिये । मंत्रियों और संसद् का दर्जा अधिकारियों से कहीं ऊंचा है ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जो बात समाचार-पत्रों में छपी है वह ठीक नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री यूनुस सलीम को एक वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

श्री स० कुन्दू : सभा को वास्तविकता से अवगत कराया जाये । यह बड़ी गम्भीर बात है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि मंत्री महोदय बात स्पष्ट करें तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी । जो कुछ समाचार-पत्रों में छपा है बहुत गम्भीर मामला है । इसमें अधिकारियों और मंत्रियों के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न आता है । यह अच्छा होगा कि माननीय मंत्री हुई घटना का ब्योरा देकर स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि वास्तविकता क्या है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I want you to give ruling on the question whether this matter should be discussed now ? Only one hour has been given for discussion on Demands of this Ministry. One thing is clear that if the Law Secretary has actually misbehaved with the Deputy Minister, and the Deputy Minister should have resigned.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The words, alleged to be used by Law Secretary were very objectionable. The Ministers are elected by the people. It is not proper for officials to use undignified language towards Ministers. I want that action should be taken against the Law Secretary.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मामले को उठाया है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि स्थिति स्पष्ट करें।

श्री गोविन्द मेनन : सचिव और उपमंत्री में कुछ मतभेद था।

श्री स० कुन्डू : श्री यूनुस सलीम से कहा जाये कि यहां पर वक्तव्य दें। यह अब कोई निजी मामला नहीं रहा। हम उस अधिकारी के विरुद्ध भी नहीं बोलना चाहते जो यहां आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पहले विधि मंत्री की बात सुननी चाहिये। हां यदि उपमंत्री भी बतायें तो ठीक ही होगा।

श्री गोविन्द मेनन : वह राज्य सभा में व्यस्त हैं। ऐसी बात नहीं कि उपमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वास्तव में 16 तारीख को मैंने एक फाइल पर विचार के लिये उपमंत्री को बुलाया था। सचिव भी उपस्थित थे। मैंने उस फाइल से निपटने पर अपनी राय दी थी। इसे उपमंत्री ने ठीक नहीं समझा। सचिव ने मेरे विचारों की पुष्टि की। इसे उपमंत्री ने ठीक नहीं समझा। मैंने सचिव से कहा कि उसके लिये यह ठीक नहीं है। इस पर सचिव ने क्षमायाचना कर दी। और मामले को समाप्त कर दिया गया अब वह सन्तुष्ट हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधि मंत्रालय की मांगों पर विचार करेंगे।

श्री रणधीर सिंह : 'खेद है' कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। उन्हें मुअत्तल किया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : उपमंत्री महोदय को राज्य सभा से बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उपमंत्री महोदय को राज्य सभा से बुलवाया है। तब तक आगे की कार्यवाही जारी रखी जाये। यह एक गम्भीर मामला है। यदि यह साबित हो जाये कि यदि कार्यपालिका के प्रमुख ने वरिष्ठ मंत्री के सामने उपमंत्री महोदय का अपमान किया है तो वास्तव में मामला गम्भीर है। हमें तथ्यों का पता लगाना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वह नये तरीकों से सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : यह सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है। विधि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब वह उपमंत्री महोदय के किसी कार्य के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे थे तो सचिव उनके पास आए। सचिव ने भी उपमंत्री के कार्य पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। यह मामला 'खेद है' कह कर टाला नहीं जा सकता है। पता नहीं कि मंत्री महोदय ने कैसे कह दिया कि मामला बन्द कर दिया गया है। सभा को इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विधि मंत्री महोदय को त्याग पत्र देना चाहिये।

श्री रणधीर सिंह : हम इस मामले के गुण-दोषों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह दुर्व्यवहार का मामला है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विधि मंत्रालय में गैर-कानूनी कार्य हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि यह एक गम्भीर मामला है । अब हम आगे की कार्यवाही आरम्भ करें । उप मंत्री महोदय के आ जाने पर इस पर चर्चा की जायेगी ।

श्री रणधीर सिंह : यह गम्भीर मामला है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये ।

The Atal Bihari Vajpayee: It is good that you have sent for him. We like to hear him. But in the meantime we should proceed further.

Shri Randhir Singh: To day it has happened with the Deputy Minister and tomorrow it may happen with any Minister including the Prime Minister. This cannot be tolerated.

उपाध्यक्ष महोदय : हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिये । उपमंत्री के आने तक आगे चर्चा चलनी चाहिये । मैंने उपमंत्री महोदय को बुलाने के लिये दो माननीय सदस्यों को भेजा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: If he does not come, then what will happen ?

श्री नम्बियार : खड़े हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यूनुस सलीम आपकी अनुपस्थिति में एक प्रश्न उठाया गया था और श्री मेनन ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया था । समाचारपत्रों में अनेक किस्म के समाचार प्रकाशित हुए हैं । उनकी सत्यता और असत्यता के बारे में कुछ पता नहीं है । इसलिये समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की सत्यता और असत्यता के बारे में सभा तथ्यात्मक जानकारी चाहती है ।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : 16 अप्रैल को लगभग चार बजे विधि मंत्री महोदय ने मुझे टेलीफोन पर बताया था कि वह कुछ मामलों के बारे में मुझसे विचार-विमर्श करना चाहते हैं और इसके लिये मुझे 5 बजे संसद भवन स्थित अपने कमरे में आने के लिये कहा था । मैं पांच बजे संसद भवन में उनके कक्ष में गया । हमने कुछ मामलों पर विचार-विमर्श किया । उसके बाद हमने एक फाइल के बारे में भी विचार-विमर्श किया । फाइल के बारे में विचार-विमर्श के बाद विधि मंत्री महोदय ने अपने स्टेनोग्राफर को एक आदेश का डिक्टेशन दिया और उसे टाइप करने के लिये कहा उसके बाद हमने कुछ और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया । किन्तु विचार-विमर्श पूरा होने से पहले विधि सचिव कमरे में आये और मेरे बगल में बैठ गये । थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे बहुत कठोर वाणी से सम्बोधित किया ।

श्री रणधीर सिंह : सचिव महोदय का नाम क्या है ?

श्री मु० यूनुस सलीम : उनका नाम श्री गेई है । सचिव महोदय के शब्दों को दोहराना आवश्यक नहीं है । किन्तु मैंने अपने आपको बहुत अपमानित अनुभव किया । उनके कमरे से चले जाने के बाद मैंने विधि मंत्री महोदय से प्रार्थना की कि वह इस मामले में मुझसे विचार-विमर्श करें और विधि सचिव के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करें । मंत्री महोदय को मंत्रिमंडल की उपसमिति

में भाग लेने के लिये जाना था इसलिये वहां बैठक में जाने की जल्दी में थे। उन्होंने दूसरे दिन उस पर विमर्श करने के लिये कहा। दूसरे दिन उनसे मिलने पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूं इसलिये यदि मैं कोई गलती करता हूं तो आप मुझे मेरी गलती बता सकते हैं और मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं, किन्तु सचिव को इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिये क्योंकि मैं इस सभा का निर्वाचित सदस्य हूं। वह मेरे विचार से सहमत थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सचिव को बुला कर क्षमा मांगने के लिये कहूंगा। दूसरे दिन मैं दिल्ली से बाहर दौरे पर चला गया। मैं सोमवार की शाम को वापिस आया। दुर्भाग्यवश समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है। आज प्रातः विधि मंत्री महोदय से मिलने पर उन्होंने मुझे बताया कि सचिव खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं और आज प्रातः ही विधि मंत्री की उपस्थिति में सचिव ने क्षमा मांगी और खेद प्रकट किया। इसलिये यह मामला बन्द कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उप मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन में नौकर-शाही द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वे प्रशासन में अपनी बात ही ऊपर रखना चाहते हैं और मंत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह न केवल मंत्रियों का अनादर है अपितु देश के सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन का अनादर है। मैं उपमंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने तथ्य सामने रखे हैं। इस मामले में ढील ढाल से काम नहीं किया जाना चाहिये। सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। और उन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिये। मंत्रिमंडल के सदस्य के सामने इस प्रकार की बात होना खेद की बात है। यह मामला उचित कार्यवाही के लिये शीघ्र मंत्रिमण्डल में ले जाया जाना चाहिये। इस मामले में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने पर ही कार्यवाही की गई है जो उचित-सा नहीं जान पड़ता है। इसमें उसी समय तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये थी। अब यह मामला संसद के सामने लाया गया है कि हमें नौकर-शाही और मंत्रियों के सम्बन्धों के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): I rise on a point of order and want your ruling. The Hon. Prime Minister, as leader of the House should make a statement and express her feeling on this matter because it has lowered the prestige of the House.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : प्रायः सभी माननीय सदस्य श्री द्विवेदी की बात से सहमत हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा की जाये। इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इस मामले पर चर्चा के लिये कुछ समय चाहिये और इसके लिये अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः अध्यक्ष महोदय से परामर्श करके इसके लिये कोई उपयुक्त समय निर्धारित किया जाये। मैं समझता हूं कि इस मामले में सभा ही अन्तिम रूप से निर्णय कर सकती है। उपमंत्री महोदय को इस मामले को बन्द करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

Shri Randhir Singh: Mr. Deputy Speaker, this is avery serious matter. It is not only dishonourable to the Hon. Deputy Minister but to the whole House and also to the whole

country. The question is this whether the Government is run by the bureaucrats or by the Minister who are the elected representatives of the people. It is really disgraceful that the officer insulted the Deputy Minister and the officer has confessed it. Today he has misbehaved with the Deputy Minister tomorrow he can misbehave with any body including the Prime Minister. I therefore request that the officer should be given condign punishment so that it may serve as a deterrent for the other officers.

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । यदि हम इस सम्बन्ध में चर्चा ही करने लगे तो उसका कोई अन्त नहीं होगा । सभा को इस मामले के बारे में पूरी जानकारी है । अतः माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय तथा कार्य मंत्रणा समिति से अनुरोध करें कि मंत्रियों के सन्दर्भ में कार्यपालिका के आचरण और व्यवहार पर चर्चा के लिये कुछ समय नियत किया जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: As a leader of the House the Hon. Prime Minister should make a statement in the House. This not a question of the Deputy Minister and the Secretary only but it is a question of relations between the secretary and the Members of the Council of Ministers. I never knew, untill the Deputy Minister had placed all the fact before the House, that this matter was so serious because the reports appeared in the press in this regard were repudiated. It is not enough to close the matter after the Secretary has regretted. We will have to see to it in the wider context. This is a question of relations between the Secretaries and the Minister. Either the Deputy Minister or the Prime Minister should make a statement in this regard.

Shri Buta Singh (Rupar): The Hon. Deputy Prime Minister has just stated that such thing does not occur with the senior Minister. But I would like to tell the House that in their absence so many absurd things are said by the I. C. S. Officers..... (**Interruptions**)

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस मामले में जब मंत्री महोदय संतुष्ट हैं तो सभा में प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं माननीय सदस्य श्री द्विवेदी और श्री मुकर्जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं । हमें इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र चर्चा करनी चाहिये । इस मामले में सभी दलों के नेताओं की एक बैठक में मंत्रियों और सचिवों के सम्बन्धों के बारे में तथा उनमें परस्पर बर्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

इस प्रकार की यह पहली घटना नहीं है । एक भूतपूर्व मंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद कहा था कि उन्हें उनके सचिव से सहयोग नहीं मिलता है । ये सब बातें रिकार्ड में हैं । मैंने प्रधान मंत्री से पूछा था कि मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों और सचिवों के बीच क्या सम्बन्ध है । प्रधान मंत्री ने बताया था कि यदि मंत्री अपने सचिव को बदलना चाहे तो उसे मामला मंत्रिमंडल की उपसमिति के सामने लाना होता है । इस समिति के सदस्य प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्री होते हैं । इस मामले में गृह मंत्री स्वयं कठिनाई में थे । मंत्री महोदय अपने सचिव को नहीं बदलवा सके । जब वह अपने मंत्री को नहीं बदलवा सके तो विधि मंत्री महोदय क्या कर सकते हैं ।

अतः आज हमें इस बात के लिये कुछ व्यवस्था करनी होगी कि सचिव मंत्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों को भी यह मालूम रहना चाहिये कि उनके सचिव उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे जब कि सचिव अधिक शक्तिशाली हों और उन्हें प्रधान मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो। हम यह नहीं जानते हैं कि मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों और उनके कम के स्तर के मंत्रियों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। उन्हें इसके लिये विभिन्न दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें जल्दीबाजी में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे सचिवों का किसी प्रकार का अपमान हो। यह ठीक है मंत्री लोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं किन्तु सचिवों का भी अपना एक विशेष स्थान है। हम चाहते हैं सिविल सेवा कारगर ढंग से कार्य करें। उन्हें किसी प्रकार निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। अनुचित बात के बारे में उनमें मंत्री से यह कहने का साहस होना चाहिये कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अन्यथा देश में अव्यवस्था हो जाएगी। कुछ राज्यों में सिविल सेवाएं शक्तिहीन कर दी गई हैं और मैं चाहता हूं कि केन्द्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, किन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि मंत्री भी अपने आपको शक्तिहीन न बनाए। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर चर्चा करने का सभा को अवसर दिया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर उपयुक्त अवसर पर चर्चा की जायेगी। अब सभा में अनुदानों की मांगों पर विचार किया जायेगा।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : This is not the first occasion when this sort of thing has happened. It had happened with the former Home Minister Shri Nanda. This is not only a question of the behaviour of the Secretary of the Law Ministry, it is a question of the behaviour of the bureaucracy towards the elected Members of Parliament and the Cabinet. It is true that Ministers come and go but the Parliament and the Ministries are permanent. Sometimes these pepole become powerful and try to domineer over the Minister. We should not allow the bureaucracy to behave in this manner with the Minister and with the Members of Parliament. I therefore submit that some time should be allotted for the discussion on this matter.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : The bureaucracy has been wiped out from those countries in which revolutions took place. But in India even after the independence the bureaucracy is still powerful. It is a very wrong thing on the part of bureaucracy if it shows disrespect to our leaders and this attitude of bureaucracy cannot be tolerated. The Secretary should be suspended for insulting the Deputy Minister.

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह कार्यवाही विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा मानी जायेगी। अब मैं मंत्री महोदय से वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह न केवल विधि मंत्रालय के आचरण का अपितु संसद के निर्वाचित सदस्यों के प्रति नौकरशाही के व्यवहार का प्रश्न है। सचिव के लिये मंत्री तथा उपमंत्री में कोई अन्तर नहीं है। उन्हें उचित व्यवहार करना चाहिए था। यह विचित्र बात है कि यह सब कुछ विधि मंत्री की उपस्थिति में हुआ और उन्होंने सचिव का समर्थन किया। इससे इस बात का संदेह होता है कि मंत्रिमंडल स्तर के कुछ मंत्री नौकरशाही को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार की बातें भविष्य में नहीं होनी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के निर्वाचित सदस्य आते जाते रहते हैं किन्तु नौकरशाही सदा रहती है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही के लोगों को निकाल दिया जायेगा। उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये हमारे पास एक घंटे का समय है। विधि सचिव के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव भी रखा गया। मैं विधि मंत्री से वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये कहूंगा। माननीय सदस्य यदि चाहें तो वे कटौती प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या चर्चा टालने का यह परोक्ष तरीका है ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिये इस पर विधि मंत्रालय की मांगों के रूप में अथवा कटौती प्रस्ताव के रूप में चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। इस पर पूरी तरह चर्चा के लिये समय नियत किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि प्रोफेसर मेरी बात ठीक से नहीं समझ पाये हैं। मैंने कहा है कि मंत्रियों के प्रति कार्यपालिका के व्यवहार के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। इसके लिये अध्यक्ष महोदय से परामर्श करके और कार्यमंत्रणा समिति की अनुमति से समय नियत किया जायेगा। मैंने यह केवल सुझाव दिया था कि फिलहाल इस मामले को स्थगित किया जाये और विधि मंत्री महोदय अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देंगे, मैं चर्चा को पूरी तरह बन्द नहीं कर रहा हूं। इसका निर्णय अध्यक्ष तथा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उपमंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा को समाप्त नहीं समझा जाना चाहिए। अब तक जो भी चर्चा हुई है उसे उपमंत्री महोदय के आधार पर माना जाना चाहिये। उसका मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए इस पर चर्चा के लिये कोई समय नियत किया जाना चाहिये।

श्री रा० धो० भंडारे (बम्बई मध्य) : यह सारी चर्चा श्री स० मो० बनर्जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर हुई है। तत्पश्चात मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया और उसी पर

यह चर्चा हुई। अब हम विधि मंत्रालय की मांगों पर बोलना चाहते हैं। इन विषयों को मिला देने से हमें मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा जो कि अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दो विषयों को कतई नहीं मिला रहा हूं। अभी हमारे विधि मंत्रालय की मांगों के लिये एक घंटे का समय लगाया है। और हम चाहते हैं कि आज स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की मांगों पर चर्चा आरम्भ की जाये। मैं इस मामले को बन्द नहीं कर रहा हूं। इस पर किसी दूसरे दिन चर्चा की जायेगी।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : बम्बई उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित की गई स्मारिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बम्बई उच्च न्यायालय के अंग्रेज न्यायाधीश राज भवन में चाय का निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वे लोग न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने देना नहीं चाहते थे। किन्तु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज न्यायपालिका के सदस्य कार्यपालिका को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हाल में समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने मुख्य मंत्री को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया था जिस पर बार के सदस्यों से रोष प्रकट किया। न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा कार्यपालिका की खुशामद करने का एक कारण यह है कि मुख्य मंत्री सेवानिवृत होने पर न्यायाधीशों को किसी आयोग का सदस्य, उपकुलपति आदि नियुक्त कर देते हैं। इसलिये वे मुख्य मंत्री के कृपा पात्र बनने का प्रयत्न करते हैं।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करें कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवा निवृत्त होने के बाद किसी आयोग का कार्य न सौंपा जाये।

विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के बारे में यह सिफारिश की है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के एडवोकेट को न्यायाधीश नियुक्त किया जाये तो उसे किसी अन्य न्यायालय में भेजा जाना चाहिये क्योंकि उस न्यायालय में उसके अपने साथियों के साथ सम्बन्ध रहते हैं जो कि न्याय करते समय किसी रूप में बाधक हो सकते हैं। यह कहा भी गया है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिये अपितु उसे प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि विधि आयोग की यह सिफारिश क्रियान्वित की जाये।

एक बात मैं न्यायालयों में मुकदमों पर निर्णय देने के बारे में कहना चाहता हूं। जस्टिस शाह ने कहा था कि यदि इसी गति से मुकदमें न्यायालयों में आते रहे जिस गति से

इस समय आ रहे हैं तो अत्यन्त गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि न्यायालयों में मुकदमें जमा होने तथा उनमें निर्णय किये जाने में विलम्ब का एक कारण यह है कि हम अधिक संख्या में तथा तेजी से नये कानून और नियम बनाते जाते हैं जो अस्पष्ट रहते हैं और जिनके लिये लोगों को न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। मंत्री महोदय को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं विधि मंत्री महोदय से फिर निवेदन करता हूं कि विधि आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें।

वर्ष 1969-70 के लिये विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	73	श्री वेणी शंकर शर्मा	अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
2	72	श्री वेणी शंकर शर्मा	पुराने तथा अप्रचलित नियमों को संशोधित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
8	73	श्री अब्दुल गनी दार	काश्मीर में उप-चुनावों के बारे में निर्वाचन आयुक्त के नवीनतम बयान, जिसमें कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा राजनीति में भाग लिया, के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये।
9	73	श्री जी० विश्वनाथन	विधि उप-मंत्री के प्रति विधि मंत्रालय के सचिव के दुर्व्यवहार का समाचार।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
11	73	श्री रामावतार शास्त्री	कानूनों को हिन्दी में प्रकाशित करने में असफलता ।	100 रुपये
12	73	श्री रामावतार शास्त्री	न्याय को सस्ता और जन-परक बनाने में असफलता ।	100 रुपये
13	73	श्री रामावतार शास्त्री	निर्धन व्यक्तियों को मुकदमों में बहस करने के लिए सरकारी वकील देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	73	श्री रामावतार शास्त्री	चुनाव कानून को सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	73	श्री रामावतार शास्त्री	चुनाव-व्यय की सीमा सम्बन्धी कानून पर सख्ती के साथ अमल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	73	श्री रामावतार शास्त्री	चुनावों के दौरान होने वाली मारपीट, वोटरों को रोकना तथा अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
17	73	श्री रामावतार शास्त्री	चुनावों के समय जातिवाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता उभारने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
18	73	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों तथा दूसरे कमजोर लोगों को मतदान की गारन्टी देने में असफलता ।	100 रुपये
19	73	श्री रामावतार शास्त्री	मुकदमों की सुनवाई में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Mr. Chairman, Ministry of Law is an important Ministry. Our system of law still continues to be the same as the British rulers in the country had evolved. The Indian Penal Code and the Cr. P. C. need be radically changed because these are not in accordance with the democratic set up of the country.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

For instance, section 109 of the Cr. P. C. under which innocent people can be locked up should have no place in the free democratic India.

It is very unfortunate that justice is very costly in India. Poor people cannot get justice. Much time is taken in disposing of cases. I therefore request the Hon. Minister to see that justice is cheaper and quicker. For the poor these should be provided with free legal aid.

The fee for enrolment as advocates is high as a result of which jobless people find it difficult to enrol themselves. Therefore the Government should do something for the jobless people.

Some States have still not separated the judiciary from the executive. This should be done without any further delay. The appointment of the judges should be made by the Law Ministry and not by the Home Ministry because the legal experts in the Ministry of Law can do this job in a better way.

I would like to say that like medical, engineering and other services, there should be an all India Judicial Service also. This will bring about uniformity. The emoluments of the Supreme Court and High Court judges should be increased and they should be given more facilities.

The Acts should be translated into Hindi and judges should deliver their judgements in Hindi instead of in English.

With these words I support the Demand for Grants of the Ministry of Law.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : At the out set I would like to say that the appointments of the judges of High Court and Supreme Court should be made by the Ministry of Law and not by the Ministry of Home Affairs.

I have also to say something about the elections. We all are of the view that elections should be free and fair. But we have seen during the recent mid-term elections that some candidates had adopted new stratagems which deprived many voters their right of franchise. These candidates were so powerful that they almost occupied blocks of 8 or 10 booths and sent there such people as polling agents who could purchase votes or intimidate the voters. It was because of this reason that at booths comprising 1000 voters as many as 998 votes were cast. A few had cast the votes for all. The office did not perform their duty well and succumbed to goondaism. If the ballot papers were printed in Nasik or the voters carried Identity Card with them with their photographs, this malpractice could have been avoided.

The Law Commission was appointed in 1956 and its 39 Reports have been published but still it is goingon on the old pattern. The Commission should be strengthened so that the old laws are reviewed and recast as early as possible according to the present need.

Insead of Hindu Code, there should be a comprehensive Civil Code covering all the citizens of India irrespective of case or community.

The pendency of income tax cases before the Income Tax Tribunal in places like Bombay, Delhi and Calcutta has been increasing. Therefore there should be more such tribunals so that disposal of a case does not take more than six months.

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, the people of Punjab, Haryana and Delhi have been experiencing great trouble and difficulty as a result of the Hindu Sucessession Act. They have been governed by the customary law for thousands of years. This law is coming in their way in observing their customs and performing rituals. The Government of Punjab has already appointed a committee to suggest amendments so that these difficulties may be over come. The Hindu Succession Act should be amended in such a manner that the daughter should inherit property from her father-in-law and husband and not from her father.

Impersonation in voting is on the increase during the elections. It must he rooted out. The election law should be amemded to provide that any candidate found guilty of practising this malpractice would be barred from contesting elections.

We have no uniform law in all the States. In this connection I would like to say the judiciary and executive should be separated in all the states at all levels including the panchayat level in order to bring uniformity in all the States.

About untouchability I would like to say that untouchability should be declared a cognizable offence and the offence should be made nonbailable.

Death sentence should be abolished. Instead there should be transportation for life.

Wrongful restraint should be made cognizable offence under Indian Penal Code, so that gherao and other such undesirable activities may be checked.

The pendency of cases in High Courts is increasing. It is therefore requested to make some arrangements for the early disposal of these cases.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Sir, it is about twenty years back that we attained freedom. There have been many changes in almost all spheres of activity since then but no change has been brought about in our legal system. It remains the same as it was before. This system is very cumbersome and the poor sections of our society cannot afford to get justice, because it is very expensive. We will have to take necessary steps to make it accessible by all. A poor man cannot pay that much court fee.

We have to separate the judiciary from the executive. The U.F. Government has recently taken a decision in this regard. The present difference between advocates and barristers should be removed. It is a symbol of British regime.

It has rightly been complained by many Hon. Members that during the recent mid-term elections in the States the Harijans and persons belonging to minority community were not allowed to cast their votes. This malpractice should be checked. During elections communal propaganda is done, which is very harmful for democracy in our country. It should be stopped and concrete steps should be taken in this direction. Legally a parliamentary candidate cannot spend more than Rs. 25,000 on his election, but in Banaskantha, Gujrat, Shri S. K. Patil has spent lakhs of rupees on his election. This matter should be enquired into and law should be enforced.

When persons submit false returns, it is a corrupt practice. It should be checked. If necessary the concerned law should be suitably amended. Now corruption is creeping in to judiciary also. The judges are accepting bribe....

श्री अ० सिं० सहगल : यह कहना उचित नहीं है ।

Shri Ramavtar Shastri : I am speaking from personal experience during the 1957 elections.**

सभापति महोदय : जो श्री शास्त्री कह रहे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, I want to draw the attention of the Minister of Law to the lacunae in the People's Representation Act.

First of all our election returns are not correct. It is due to practical difficulties. These difficulties should be given thought to and removed. The requirement of submission returns should be dispensed with. I do not want to repeat the suggestions that have been made here. In the recent mid-term poll a number of irregularities have been comitted. The presiding officers have admitted that at some places a single voter has voted hundred times. At some places voters were not allowed to vote while at others bogus votes were put in ballot boxes. The polling officers were threatened and coerced to do illegal things. He allowed such things to be done under pressure. At some places the local strongmen did not allow the polling agents of rival candidates to enter their village.

I think people's true wish has not been expressed in U.P. and Bihar in these elections. I cannot say anything about West Bengal. If necessary changes are not made in the present

** सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

arrangement, there would be major difficulties. I had written in this regard to the Election Commission, the Law Minister and the Home Minister. I received the acknowledgements but none of them promised an enquiry into the matter. The high officials take partial view. It is not a secret thing.

In my district the District Magistrate worked with partisan spirit. I informed the authorities about the improprieties but no action was taken. In 1967 elections also large scale malpractices had been indulged in and now again similar phenomenon has been repeated. It is in the hands of District officer to decleare a candidate elected or defeated.

This is not a healthy practice. Such things have happened in 75 per cent cases this time. I would like the Law Minister to look into this.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमारे वर्तमान विधि मंत्री एक विधि विरुद्ध मंत्री हैं। इन्होंने केरल में त्रिचूर में लोगों से कहा था कि 'राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करो।' कलकत्ता के एक समाचार पत्र में इसके विरुद्ध बड़ी आश्चर्यजनक बातें प्रकाशित हुई हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इनके विरुद्ध भाई भतीजावाद को बढ़ाने का भी आरोप है। सरकार ने विधि आयोग की रिपोर्टों पर विचार नहीं किया और उनपर कार्यवाही नहीं की। गत 20 वर्षों में विधि मंत्रालय ने गृह-मंत्रालय को ऐसी मन्त्रणा दी है जिससे देश में जनता की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाये जाते रहे हैं। मजदूरों की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की जा रही हैं। यह अनुचित है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। न्यायालयों में बड़ी संख्या में बड़े लम्बे अर्से से मामले पड़े हुए हैं। उनपर निर्णयों में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। लगभग सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष हजारों की संख्या में ऐसे मामले हैं। इस बारे में विधि मंत्री क्या कर रहे हैं ? यह हमें बताया जाये। सरकार के वकीलों की नियुक्ति के मामले में पक्षपात तथा भाईभतीजावाद के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे।

हमारा सुझाव है कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव होना चाहिये और उनकी नियुक्तियां सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिये।

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : मैं विधि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। एक तो यह मंत्रालय एकसमान व्यवहार संहिता बनाने में असफल रहा है। देश के संविधान के बनाने के समय यह किये जाने की बात की गई थी। विधि आयोग में भी अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित करने के प्रावधान पर अमल किया जाना चाहिये। विधि मंत्रालय को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार के वकीलों की नियुक्तियों के मामले में स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये हैं। विधि मंत्रालय को इस बारे में देखना चाहिये।

अनुसूचित जातियों के जो लोग बुद्ध धर्म में चले गये थे उन्हें सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। इस बारे में संक्षिप्त कानून बनाया गया था। उसके कारण उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री का अनुच्छेद 35 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कदम उठायें। शिक्षा विभाग का सामाजिक कल्याण कार्य समझा जाना चाहिए। हमारे देश में छूतछात अभी भी चल रहा है।

आज के प्रगतिशील युग में शंकराचार्य के विचार हमारे समक्ष हैं। आज भी भारतीय समाज में मनुष्य के दर्जे के बारे में परिवर्तन नहीं लाया गया। हमें आवश्यक सामाजिक सुधार करने होंगे। शिक्षा में सुधार करना होगा। इस बारे में अनुच्छेद 25 को ध्यान में लाकर कार्यवाही करनी चाहिये।

गत पांच वर्षों से मैं बौद्धों के लिये प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु अभी तक सम्बन्धित अनुच्छेद का ठीक अर्थ नहीं समझा गया। सभी यही कहते हैं कि यह सुविधायें केवल हिन्दू धर्म में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये हैं। इस बारे में अनुच्छेद की व्याख्या 2 बिल्कुल स्पष्ट है। सामाजिक सुधार के मामले में, उन्हें हिन्दुओं में शामिल करना चाहिये।

यह राजनैतिक मांग नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इन बौद्धों को यह सुविधायें दी जायेंगी। प्रधान मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दिया है। विधि मंत्री इस बारे में सरकार का मार्ग दर्शन कर सकते हैं। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I want to congratulate Shri Govind Menon for his steadfastness. Inspite of provocations, he has not lost composure. It is not proper to use abusive language. There can be a difference of opinion, but it should not lead to use of unparliamentary language.

The laws which were enacted during British regime have not been changed. It is a pity. These laws should have been amended immediately after independence. It is said that 'Law is nothing but the will of the people expressed in terms of law.' I want to know whether these laws have been approved by the people? I want that proper interpretation of laws should be there.

We would use the language which is understood by the masses of this country. The Judgements should be delivered in the language of persons involved in the cases. It is a matter of shame that during these 22 years the Supreme Court has not delivered even a single judgement in an Indian language. Gandhiji wanted that verdicts should be given on the spot of incidents. No steps have been taken in this direction. I request that we should not imitate the English system.

A great deal of immoral practices are going on in the name of family planning in our country. It should be checked. We should inculcate a spirit of self control.

Thousands of cases are pending before High Courts in our country. I am sure if Government sincerely wants to clear these arrears, it can do that. Necessary steps must be taken in this direction. The judiciary should be separated from the executive.

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : मैं श्री भंडारे की इस बात का समर्थन करता हूं कि अनुसूचित जातियों के उन लोगों की सहायता की जानी चाहिये जिन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया है। मुझे आशा है कि विधि मंत्री इस बारे में ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अनेक राज्यों में उच्च न्यायालयों में राज्य की भाषा को प्रयोग में लाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। हमें पहले प्रमाणिक अनुवाद की व्यवस्था करनी होगी। हमें हिन्दी लागू करने में धैर्य से कार्य करना होगा। हमें देश की अन्य विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था भी करनी होगी। इस सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम सहायता दी गई है।

इस बारे में हमें बड़ी सावधानी से चलना होगा। यदि राज्यों के न्यायालयों में अलग-अलग भाषाएं होंगी तो उच्चतम न्यायालय में भाषा क्या होगी ? क्या यह अंग्रेजी होगी अथवा हिन्दी ? इस पर विचार किया जाना चाहिये। सरकार को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने जो कानूनी शब्दावली बनायी है, वह ठीक नहीं है। तामिलनाडु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

हमारे देश में अभी भी छूतछात चल रही है। शंकराचार्य ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं धर्म को महत्व नहीं देता। परन्तु हमारे शास्त्र से ऐसा मालूम होता है कि हमारे संविधान के विपरीत है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि यह बात ठीक है तो शास्त्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में कार्यवाही करेगी।

Shri Shri Chandra Jha (Madhubani) : Our law is a reflection of our social and economic system. If we want a change in our social and economic order we must change our law in the first instance.

We should give the right of vote to the persons of 18 years of age. There is political consciousness among our young men. We must give it recognition by reducing age for voting.

We must introduce mobile voting system in our country. It will remove the present defects in our election law.

The Harijans and other weaker sections are not allowed to cast their votes. The mobile polling stations could be sent to Harijan areas. It will be a definite improvement.

The tendency of defections should be checked by introducing a system of recall. If one-sixth of the electorates so desire, the representative should vacate his seat and his election should be declared void.

The press in our country is in the hands of vested interests. The private press should be controlled.

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

The papers, whose circulation is more than 10,000, should be nationalised.

The utterances of Shankracharya on untouchability has brought about a storm in our country. Government should take stern measures to curb this menace. Those who believe in, it should be inflicted 30 lashes in public. A law should be made in this regard. I oppose the demands of Law Ministry.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : यदि कानून लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप न हो तो वह कानून व्यर्थ होता है। कानून असहाय लोगों को संरक्षण उपलब्ध कराता है और सभी के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

यदि हमें देश में समान समाज स्थापित करना है तो हमें सभी कानूनों पर विचार करना होगा। विधि आयोग ने ऐसा नहीं किया है।

केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। कानून के प्रति देश में सम्मान भी होना चाहिए। कानून बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। न्याय करने वालों को नियुक्ति गृह-कार्य मंत्रालय में नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिये। इस समिति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा बड़े-बड़े वकीलों की सभा की सलाह से होनी चाहिये। अन्यथा विधि मंत्रालय को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए।

छुआछूत हमारे सामाजिक पिछड़ेपन का द्योतक है। हमने बहुत से ऐसे कानून पास किये हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है। ये कानून कहां तक सफल हुये हैं? जब तक हमारे देश में जातिवाद है तबतक छुआछूत समाप्त नहीं होगी। इसके लिये सतत् प्रयास करना होगा।

हमारे देश में निर्वाचन सम्बन्धी कानून में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे हाल में काश्मीर जाने का अवसर मिला था। वहां पर एक उपचुनाव था। वहां मेरे ध्यान में बहुत धांधलेबाजियां लायी गई हैं। इस बारे में कुछ नियम बनाये जाने चाहिये। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति मुख्य न्याय आयुक्त द्वारा की जानी चाहिये।

काश्मीर में राज्य के एक मुख्य अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसे इस कार्य की जानकारी नहीं है। चुनाव कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

हमें अपने संविधान में संशोधन करके 18 वर्ष की आयु से मतदान का अधिकार प्रदान करना चाहिये। 1967 के चुनाव में चार करोड़ युवकों को मतदान से वंचित रखा गया क्योंकि

उनकी आयु 21 वर्ष से कम थी । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में विधान लाये और 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिलाये ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि हमें अपने देश के सभी व्यक्तियों के लिए एक ही व्यवहार संहिता बनानी चाहिये । उपमंत्री के सचिव द्वारा अपमान किये जाने के मामले को बहुत उछाला जा रहा है । इस सम्बन्ध में सचिव ने क्षमायाचना कर ली है और मामला समाप्त हो चुका है । अब इसे पुन: उठाना उचित नहीं है । इस विषय पर वैसे अलग से चर्चा होगी ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किये जाने की मांग की गई है । उस पर यथासंभव अमल किया जाना चाहिये । ताकि धांधलेबाजियों को समाप्त किया जा सके ।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : The laws are made to regulate social life.

Shankaracharya has made a very objectionable speech in Patna. He has not only violated the Untouchability Act, but he has also spread ill-feelings among the people of our country. I want Government to take necessary steps in the matter. He has said many objectionable things in an interview with a Marathi paper. I have got a copy of that paper with me. In this he has preached untouchability. Government should take note of this. It is as a result of such things that Harijans are treated in a very bad way. This disturbs the peace of society. It would not be proper if no action is taken against him.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Chief Election Commissioner is the highest authority in the matter of elections. He is supposed to conduct the election in a fair manner. I want to know whether Law Minister's attention has been drawn to Chief Election Commissioner's statement regarding the by-elections in Kashmir ? It is not his duty to guide political parties. I want to know what action has been taken in the matter ? We should not allow the law of jungle to prevail.

श्री गोविन्द मेनन : मुझे प्रसन्नता है कि विधि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई है । अनेक माननीय सदस्यों ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों आदि के मामले उठाये हैं । यह सब गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं । अत: मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता । श्री शंकराचार्य के विचारों पर मैंने पहले ही अपना मत व्यक्त कर दिया है । मैं अब फिर दोहराना नहीं चाहता । वैसे मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार छुआछूत अधिनियम के संशोधन पर विचार कर रही है ।

श्रीमन्, आपने सभा में बोलते हुए अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया था । इस अनुच्छेद में कहा गया है कि धर्मों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें एक परन्तुक है जिसमें समाज कल्याण सुधार के लिये अथवा सार्वजनिक स्वरूप की हिन्दू धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं की सभी जातियों और वर्गों के लिए खोलने के लिये उपबन्ध है । मैं पूर्णत: सहमत हूं कि बौद्ध 'हिन्दुओं' की श्रेणी में आते हैं और संविधान बौद्ध हो जाने वाले हिन्दुओं को राज्य सरकारों द्वारा कोई लाभ दिये जाने में बाधक नहीं है । महाराष्ट्र में बहुत से लोग बौद्ध हो गये हैं । मैंने अपने

मंत्रालय से ऐसे लोगों को उपलब्ध सुविधाओं आदि के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का निदेश दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेरा व्यक्तिगत उल्लेख किया । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं केरल में मार्क्सवादियों के विरुद्ध संगठन के बारे में पहले जैसे भाषण नहीं दूंगा क्योंकि केरल में मार्क्सवादियों के सहयोगियों ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है ।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में बहुत अधिक मामलों का अनिर्णीत पड़ा रहने के बारे में उठाया गया था । यह घोषणा करने में मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने इन अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये इस वर्ष 4 नये न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है । इनके स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है । ये न्यायाधिकरण देश के विभिन्न भागों में रखे जायेंगे जिससे कि मामले जमा न हों ।

निर्वाचन कानून की काफी आलोचना की गई है । मैं इस सभा में अनेक अवसरों पर कह चुका हूं कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ताकि कुछ वर्षों में आम चुनावों और मध्यावधि चुनावों में पाये गये दोषों को दूर किया जा सके । माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा और प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जायेगा । यह कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कोई आपत्तिजनक वक्तव्य दिया है । मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक उच्च स्तर के प्राधिकारी हैं । काश्मीर में निर्वाचन के लिये तिथियां निश्चित हो गई थीं और घोषित कर दी गई थीं । एक राजनैतिक दल ने अनुरोध किया कि तिथियां बदल दी जायें । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बहुत अच्छे कारण होने पर ही नियत तिथियां बदली जा सकती हैं । लेकिन सम्बन्धित दल ने चुनावों सम्बन्धित मौलिक बातें अर्थात् देश की नागरिकता आदि ही स्वीकार नहीं की, इसलिये तिथियां नहीं बदली गईं । अपने वक्तव्य का उन्होंने यही स्पष्टीकरण दिया है ।

सरकारी कौंसलों की नियुक्ति के बारे में भाई-भतीजावाद और पक्षपात आदि के आरोप लगाये गये हैं । सामान्य नियम यह है कि विभिन्न केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार के कौंसल सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं । इसमें भाई-भतीजावाद अथवा पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : May I know whether he has seen his press statement and if so, whether he approves of it ?

Mr. Chairman : He will reply to it. You kindly sit down.

Shri Abdul Ghani Dar : *You have no right * to behave with a member in this manner.**

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्रीमन् मुझे माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग की गई भाषा पर गंभीर आपत्ति है, वे इस बारे में अध्यक्षपीठ को भी चुनौती दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री गोविन्द मेनन : श्री कण्डप्पन ने अधिनियमों और विनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने की आवश्यकता का उल्लेख किया था । मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि इस अनुवाद के लिये विभिन्न राज्य सरकारों की सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है । राजभाषा आयोग केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करता है । प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है और हम सारा व्यय वहन करने के लिये सहमत हो गये हैं । पहले हमने सारे देश के लिये एक ही शब्दावली तैयार करने की बात सोची थी परन्तु हमने देखा कि यह व्यवहार्य नहीं है और मैंने निदेश दिया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली तैयार की जाये ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

विधि आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता और दण्ड संहिता में संशोधन का कार्य कर रहा है । दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी कार्य आगामी कुछ सप्ताहों में समाप्त हो जायेगा और संसद् में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा । मृत्यु दण्ड का प्रश्न भी विधि आयोग के विचाराधीन है । माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न मूल्यवान सुझाव दिये हैं, मैं उनको ध्यान में रखूंगा ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Mr. Speaker, Sir, I seek your protection, I had put a question with the permission of the Chair to know the hon. Minister's opinion regarding a statement of the Chief Election Commissioner, which amounted to indulging in politics and the action taken thereon. The hon. Minister may be asked to answer my question.

श्री गोविन्द मेनन : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । काश्मीर घाटी में किसी राजनीतिक दल ने चुनावों के लिये नियत और अधिसूचित तिथियों को स्थगित करने का अनुरोध किया था । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तिथियां अधिसूचित किये जाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण कारणों के बिना तिथियां बदली नहीं जाती हैं परन्तु इस मामले में आप देशभक्ति की शपथ लेना नहीं चाहते, इसलिये स्थगन का कोई आधार हीं नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए
All the cut motions were put and negatived

विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands of the Ministry of Law were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
73	विधि मंत्रालय	..	72,11,000
74	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	1,68,54,000

वर्ष 1969-70 के लिये वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय, परमाणु शक्ति विभाग, संचार विभाग, संसदीय कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Finance, Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals, Ministry of Shipping and Transport, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Department of Atomic Energy, Department of Communications, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha and Secretariat of the Vice-President, were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
	वित्त मंत्रालय		
14	वित्त मंत्रालय	..	2,58,28,000
15	सीमा शुल्क	..	6,90,84,000
16	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	..	13,48,48,000
17	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	..	13,76,88,000
18	स्टाम्प	..	4,44,39,000
19	लेखा परीक्षा	..	21,21,33,000
20	मुद्रा और सिक्का ढलाई	..	14,60,52,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
21	टकसाल	..	2,75,33,000
22	कोलार की सोने की खानें	..	5,63,26,000
23	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	..	5,88,08,000
24	अफीम	..	1,03,95,000
25	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	32,06,85,000
26	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	..	3,47,69,30,000
27	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	.. ..	32,42,000
28	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	..	1,48,000
105	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	..	55,47,000
106	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	..	12,96,87,000
107	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	..	41,89,000
108	कोलार की सोने की खानों का पूंजी परिव्यय	..	1,04,89,000
109	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	..	5,02,32,000
110	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	..	1,60,00,000
111	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	..	29,15,02,000
112	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	..	3,93,12,11,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय	
38	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय ..	60,26,000
39	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य ..	19,99,72,000
40	लोक निर्माण कार्य ..	33,89,58,000
41	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	11,85,06,000
42	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय ..	2,16,01,000
116	दिल्ली पूंजी परिव्यय ..	5,86,47,000
117	निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	7,52,46,000
118	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय ..	16,58,16,000
	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	
75	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय ..	43,72,000
76	भूगर्भ सर्वेक्षण ..	8,42,82,000
77	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय ..	13,24,46,000
126	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय ..	69,40,99,000
	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	
78	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय ..	1,17,18,000
79	सड़कें ..	16,68,13,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
80	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	..	2,48,04,000
81	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	..	1,20,00,000
82	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	...	2,57,98,000
127	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	...	38,87,35,000
128	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	..	5,02,74,000
129	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	..	5,57,18,000
	पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्रालय		
85	पर्यटन और नागर विमानन प्रसारित मंत्रालय	..	19,65,000
86	ऋतु विज्ञान	..	3,91,66,000
87	उड्डयन	..	13,56,18,000
88	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	..	2,30,05,000
131	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	..	10,67,09,000
132	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	..	4,58,46,000
	परमाणु शक्ति विभाग		
	I. राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय		
89	परमाणु शक्ति विभाग	..	35,04,000
90	परमाणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	..	17,10,61,000
	II. पूंजी खाते से किया जाने वाला व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान		
133	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	..	38,12,50,000

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
91	संचार विभाग	..	15,88,000
92	समुद्रपारीय संचार सेवा	..	2,37,56,000
93	डाक और तार विभाग (कार्य चालन व्यय)	..	1,80,69,20,000
94	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग	..	28,31,23,000
95	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	..	31,32,000
134	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	..	48,08,33,000
135	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय	..	3,74,83,000
	संसदीय-कार्य विभाग		
96	संसदीय-कार्य विभाग	..	7,61,000
	लोक-सभा		
100	लोक-सभा	..	1,53,16,000
	राज्य-सभा		
101	राज्य-सभा	..	64,69,000
	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
102	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	..	2,52,000

विनियोग (संख्या ३) विधेयक
APPROPRIATION (No. 3) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग के अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग के अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग के अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, बचत के बारे में विरोध पक्ष और सरकार की दो राय नहीं हो सकतीं । हमें प्रसन्नता है कि वर्तमान वित्त मंत्री विगत समय में और अब भी बचत के इच्छुक हैं । परन्तु दुर्भाग्य से वे अधिक बचत करने में सफल नहीं रहे हैं । हमने आरम्भ में 10 प्रतिशत, फिर 5 प्रतिशत और अन्त में कम से कम 3 प्रतिशत का सुझाव दिया था । परन्तु इतनी भी बचत नहीं हो सकी है । मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 प्रतिशत बचत का लक्ष्य रखा जाये और मंत्री महोदय को इस प्रयास में सफलता की कामना करता हूं । मेरा सुझाव है कि वे वित्तीय मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव को, जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में उच्च स्तर पर रहा हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में नियुक्त करने और इस वित्तीय मामलों के इस विशिष्ट पहलू अर्थात बचत का कार्य सौंपने के प्रश्न पर विचार करें । उससे राशियों के उपयोग, व्यय, अपव्यय आदि की निरन्तर जांच करते रहने और तीन महीनों में एक बार अपनी सिफारिशों सहित वित्त मंत्री को अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा जाये । साथ ही मंत्रिमण्डल की उच्च शक्ति प्राप्त एक उप-समिति बनाई जाये, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री स्वयं हों और एक पखवाड़े में इसकी 3 अथवा 5 बैठकें हों तथा बचत की समस्या पर विचार किया जाए और इसके लिए उचित कार्यवाही की जाये । इस उप-समिति को विशिष्ट विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की सेवायें प्राप्त होनी चाहिए ।

मैं इस बात का इच्छुक हूं कि पूंजी बजट और राजस्व बजट में 4,000 करोड़ रुपयों में से कम से कम 100 करोड़ रुपयों की बचत की जाये। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था से बच सकें। सभी राज्य सरकारों को धन की आवश्यकता है और वे अधिक धन मांगेंगी। इसलिए हो सकता है मंत्री महोदय को 100 करोड़ रुपये के स्थान पर 200 अथवा 300 करोड़ रुपये की घाटे के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था करनी पड़े। उन्हें घाटे द्वारा वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के उपायों पर विचार करना चाहिए। घाटे को किसी प्रकार भी बढ़ने नहीं देना चाहिए।

हम यह करों में कटौती के जरिये नहीं चाहते। इसको सीमावर्ती सड़कों और सुरक्षा कार्यों आदि के लिए उपयोग किया जाये। आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। फिर राजस्थान में एक भयंकर विपत्ति आई हुई है। वहां 15 लाख से अधिक लोग अकाल सहायता कार्यों पर आश्रित हैं। मंत्री महोदय को अधिक से अधिक बचत करनी चाहिए ताकि मानवीय कार्यों पर व्यय के लिए और राजस्थान नहर के विकास के लिए अधिक धन दिया जा सके तथा राजस्थान के अकाल पीड़ित लोगों का दलिया का राशन बढ़ाया जा सके।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I will not even raise the points discussed during discussion on Demands for Grants.

I would like to raise in brief a few points regarding the decision of Central Board of Excises and Revenues pertaining to the gold recovered from B.O.A.C. My first objection relates to the failure of Customs Department, controlled by the Minister of Finance, to apply to the Central Government for revision against such a decision although they have a right to apply to the Central Government for revision of the decision of the Central Board within a period of six months in accordance with customs laws.

Secondly, it was entirely illegal to return the gold to B.O.A.C. and allow it to be taken out of the country before the expiry of the prescribed period of six months. Suppose the Customs Department decides to go in for revision proceedings within six months, who will bring the gold back in the country ? Is B.O.A.C. prepared to take responsibility for the same or is the Central Board prepared to take the responsibility for the same ?

In August last year, a few days before the decision of Central Board, I had written to the Prime Minister that pressure is being exerted by B.O.A.C. and even there is an element of corruption and ultimately the decision of Central Board will go in favour of B.O.A.C. and the gold will be returned to them. A few days ago, I wrote another letter to the Prime Minister in this connection, which has not been laid on the Table. I had requested her to let me know whether the Central Board had fully considered the report of Director Central Intelligence which was submitted to her ? If so, whether the report, which came before Central Board, will be laid on the Table of the House ? In reply to my letter, the Finance Minister expressed his inability to lay the report on the Table. I, however, want to serve this House and I have procured this secret report and with your permission, I would like to lay it on the Table. Kindly permit me to read it and then lay it on the Table. I am laying it in order to show that

firm named Mahada first claimed ownership of the gold but afterwards the stand was changed and it was said that Kampanian Commercial of Macao is the real owner of the gold. I want to place such things before you.

Mr. Speaker : Why do you want to lay it on the Table after you have read it ?

Shri Madhu Limaye : I am not reading whole of it. I would read only one sentence regarding the views of the director pertaining to the explanation given by the Bank of England :—

> "With all due respect to the Bank of England, it has to be submitted that they expect the authorised dealer to do something impossible by naming the ultimate overseas purchaser before the sale itself takes place. In the overseas market, there is bound to be more than one purchaser and the authorised dealer would be at liberty to effect the same to any one of the sale."

It clearly indicates that the Bank of England has tried to mislead the Government by supplying such information. Such a charge has been levelled in it. I had once said that no company by the name of Companies Commercial exists. The director has himself said that the letters addressed to them bear the remarks of Makao Post Office that there is no company by the name of Kampanian Commercial in Makao. This bogus firm was raised so that they could get back the gold. The Director, Central Revenuex has not submitted only one report. There is another secret report and I have also procured a copy thereof and I will submit the same to Shri Morarji Desai in course of time. I am doing all this because the Central Board is now working in a manner which is derogatory to the respect of the nation and the sanctity of laws. Apart from it, such things are being done under pressure and influence of corruption. I am bringing this to your notice and request Shri Morarji Desai to reply to the same.

I should like to conclude my speech by simply alluding to the rest of the matters. I should also like to know whether the Hon. Minister placed before the conference of the Vice-chancellors deliberating on associating the students with the administration of the Universities a report of the discussion that took place in this House, my Bill on which a motion was adopted for circulation as also the Bill relating to the University Grants Commission. Did he also make it clear at the Vice-Chancellors' Conference that unseemly haste should not be made in taking a decision on a matter like this ? Although the Minister conceded that he agreed in principle to the provisions of my Bill yet I want that this matter should be fully deliberated upon before taking a decision. Now the Minister's observation can be interpreted in two ways —Firstly that this proposal should not be dropped in a hasty manner and secondly that it should not be endorsed with impetuous haste. I want an elucidation from the Hon. Minister on these two interpretations.

Thirdly, the reasons for the eruption of violence and holiganism in big cities particularly the Rabindra Sarovar incident in Calcutta are not far to seek. During the 22 years of Congress regime not a single primary school has been opened in Calcutta, let alone the provision of free and compulsory education. Will the Hon. Minister advise the West Bengal Government to chalk out a programme of acquiring land with a view to opening primary schools and to introduce shift system in the existing secondary schools in Calcutta as an ad hoc measure? At present there are no arrangements worth the name for imparting primary education to 45 per cent of the child populace from whom Rs. 1½-2 crores are being realised as fee. Will the

Hon. Minister prevail upon the Finance Minister to give grants to West Bengal Government for this purpose ?

In the end I make a submission to Shri Shah. The All India Institute of Medical Sciences.....

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : What education has to do with the Rabindra Sarovar ?

Shri Madhu Limaye : If the 45 per cent of our child population are not engaged in education they have no option but to indulge in holiganism.

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : Educated people are also goondas.

Shri Madhu Limaye : They are there, but we should not be a party to it.

I was saying that all India Institute of Medical Sciences is a very big institution in India engaged in research work also. Crores of rupees are drained into it every year. In this connection I had a long correspondence with the former Hon. Minister and he agreed to appoint a committee to look into the matter. But the Committee was constituted only of the mandarins of office and not a single doctor or a surgeon of independent thinking was associated with it. If some one like Shri Shanti Lal Mehta had been placed on this Committee, it was of course understandable but they included in that Committee men like Shri Govinda Narayan, Secretary to the Government of India, Dr. Duraiswami, Director General, Health Services that is to say that only high officials have been given a place on it. I have read their report also very minutely and they have not controverted any of the evidences given by me. They have only done a sort of patch work. They have simply stated that there have been some violations and such are the reasons, therefor. Will the Hon. Minister institute an independent inquiry into it. If he is very thick skinned he will not agree to my suggestion, otherwise there is no reason why he should not hold an independent inquiry. If he is not prepared to accept this suggestion, will you be kind enough to refer the affairs of the All India Institute of Medical Sciences to the new Estimates Committee when it is constituted, so that the entire gamut of irregularities, favouritism, regionalism and the hindrances put in the research work there may be highlighted and the House assured of the arrest of recurrence of such malpractices in future.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मुअत्तिली वापस लेने और उन्हें पुन: नौकरी पर रखने के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने 13 मार्च, 1969 और 28 मार्च, 1969 को आश्वासन दिये थे । हमने सोचा था कि इन्हें क्रियान्वित कर दिया जायेगा परन्तु आज भी 16 मार्च, 1969 के सरकारी आदेशों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है । मैं उनसे वित्त मंत्री ही नहीं अपितु उप-प्रधान मंत्री भी होने के नाते, वे देखें कि ये आश्वासन पूरे किये जाते हैं । यदि इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया, तो लोगों को मंत्रियों के आश्वासनों में कोई निष्ठा नहीं रह जायेगी । यदि इन्हें क्रियान्वित किया जायेगा तो इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, मैं केवल दो विषयों का उल्लेख करूंगा प्रथम है भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों सम्बन्धी मांग संख्या 49. यह एक शर्म की

बात है कि देश में लगभग सर्वसम्मति से मांग किए जाने और कांग्रेस दल द्वारा निजी थैलियों को समाप्त करने का निर्णय किये जाने पर भी सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

दूसरे, श्री मधु लिमये द्वारा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की आलोचना से मुझे दुख हुआ। मैं वहां पर चार महीने तक रोगी के रूप में रहा हूं। वहां पर मेरा आपरेशन हुआ था। अपने निजी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सभा को इस संस्था और इसके प्रबन्धकों की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने 12 वर्षों की अवधि में चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान में समूचे एशिया में एक अनूठा रिकार्ड स्थापित किया है। मैंने उनकी रिपोर्टों की विदेशों में जांच कराई, तो उच्च कोटि के डाक्टरों ने इस संस्था की सराहना की। मेरे विचार में प्राक्कलन समिति आदि किसी भी समिति को इसका कार्यकरण सौंपने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक स्तर पर संसद् सदस्य सम्बद्ध हैं। मंत्री महोदय स्वयं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष हैं। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। यदि संसद् कुछ कर सकती है, तो यह कि इसके काम बिना सरकारी हस्तक्षेप के समाप्त किया जायें और इसे अधिक से अधिक धन और सुविधायें प्रदान की जायें।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्रीमन्, मेडिकल इंस्टीट्यूट एशिया की सर्वोत्तम संस्था है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कहीं भी कोई अनियमितता नहीं हो सकती है। जहां तक हस्तक्षेप का सम्बन्ध है। हम सहमत हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब निदेशक के अतिरिक्त सब नियुक्तियां उनके द्वारा की जायेंगी और इनसे मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। अनुसंधान और अन्य मामलों में भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

मैं श्री रंगा से सहमत हूं कि सरकार में निरन्तर बचत करते रहना आवश्यक है। मैं घाटे की व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जब इससे न बचा जा सके और कोई हानि न हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। केवल सुरक्षित सीमा तक ही घाटे की बजट व्यवस्था की जायेगी। मैं प्रत्येक मंत्रालय से भी पूछ रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। वित्त की अपनी सीमायें होती हैं।

श्री लिमये ने बी० ओ० ए० सी० सम्बन्धी सोने का मामला उठाया। इसे यहां पर पूरी तरह स्पष्ट किया जा चुका है। बोर्ड के निर्णयों की रिपोर्ट की पांच प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं। यदि वे रिपोर्ट को पढ़ते, तो यहां अनधिकृत बातें कहने से अधिक लाभदायक होता। जब गलत तथ्य बार-बार कहे जायें, तो उनकी ओर ध्यान देना संभव नहीं होता। सोने को वापस करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बोर्ड का निर्णय बिल्कुल ठीक था और हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड ने इस मामले पर गहराई से विचार किया था और जांच निदेशक भी जांच के दौरान उपस्थित थे। उनका यह कहना सच

नहीं है कि दो प्रतिवेदन थे। शिक्षा के बारे में सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं कहा है। केवल उन्होंने उसे गलत समझा है, यदि वे यहां पर होते, तो मैं उन्हें सन्तुष्ट कर देता कि उनकी व्याख्या सही नहीं है।

उन्होंने कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न उठाया। यह ठीक है कि कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है और राज्य इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र है। भारत सरकार कोई कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को अनुदान देने की बात कह कर चतुराई दिखाई है। पहले तो मेरे पास धन नहीं है और दूसरे अपना कर्तव्य न निभाने वाली राज्य सरकारों की हम सहायता करने लगें, तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। वास्तव में उन्हें अनेक बातों में संतुष्ट करना मेरे लिये संभव नहीं रहा है। मुझ उनसे निरन्तर पत्र मिलते रहते हैं और मैं उनका विस्तारपूर्वक उत्तर देता रहा हूं। मैं सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि वे जो भी जानकारी चाहें वह यदि मैं दे सकता हूं, तो अवश्य दूंगा।

श्री बनर्जी के बारे में, मैं उन्हें क्या आश्वासन दे सकता हूं जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। यदि कोई मंत्री अपने विषय- क्षेत्र से बाहर जाता है और कोई गलत काम करता है, तो सरकार को उस मंत्री के निर्णय के विरुद्ध निर्णय करने का अधिकार है। मैंने श्री बनर्जी की बात को नोट कर लिया है और मैं इस बारे में जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग के अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1, अनुसूची, अधिनियन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, 1, the schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

चीन के साथ बातचीत **
NEGOTIATIONS WITH CHINA**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, the half-an-hour discussion which I am raising here is based mainly on the statements made by the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi regarding negotiations with China at her recent press conference. Only a few days back Chinese had resorted to Hostile and provocative action at Nathu La. The Chinese Communist Party has shed its old Policy of co-existence and resorted to resort to all sorts of measures to annihilate the reactionaries, whether in Russia or any where else, at their recently concluded session in Peking. In a report submitted to the conference it has been clearly stated that armed revolution in India is gaining ground. China has reacted to the statement of the Minister of External Affairs here in the House on the 8th April on the border dispute between Russia and China in a most objectionable language. In these circumstances, how far the statement of our Prime Minister conveying India's eagerness for a dailogue with China is consistent with the self-respect of the country ?

The language of the statements of the Prime Minister and that of the Minister of External Affairs, Shri Dinesh Singh in this behalf is Poles apart. The Prime Minister did not say even a word about the territorial integrity. In reply to a question by a correspondent, she did not even recognise China our greatest enemy.

Shri Jawaharlal Nehru had said in a statement in Lok Sabha on 25th January, 1963 that till China did not withdraw to the position held by it on 8th September, 1962, the question of holding preliminary talks with China did not arise, later in a message broadcast to the Nation on A.I.R. he said that we could not celebrate Diwali since 14,500 square miles of our territory were occupied by China and that we will celebrate Diwali only after we have regained this territory from China. Then the entire house unanimously passed a resolution on 14th November, 1962 supporting the determination of the people to throw out the aggressor from our territory however long drawn the struggle might be. Is our present Prime Minister going back on the statements of late Shri Nehru and the resolution passed unanimously by Parliament ?

The next Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri said in this very House on 24th December, 1964 that Government of India wanted to settle all issues through mutual negotiations but such talks could be held without in the least jeoparding the dignity and sovereignty of the country.

When our ex-Prime Ministers had taken a stand that unless and until China vacates the territory occupied by her we would not negotiate with them then why did our present Prime Minister Shrimati Indira Gandhi had made a statement in a press conference that we may negotiate with China. Thus she has violated the assurance given by them to the Parliament as also in the U.N.O. One thing to move. When China had launched an attack on India then Shri Krishna Menon was our Defence Minister. He went on saying that China is not likely to attack India. But when they attacked he again began to say

**आधे घण्टे की चर्चा ।

**Half-an-hour Discussion.

that we should negotiate with China. Hence I feel that influenced by that Shrimati Indira Gandhi has made such a statement in the press conference. I would therefore like to know whether our foreign policy is still influenced by Shri Krishna Menon?

When China had launched an attack against India's Shri Rajendra Prasad was alive. He had said at that time that the only Solution for us now is that we should get Tibet as well as our land vacated from China. In appears that she has not paid any heed even to what Shri Rajendra Prasad said.

China is manufacturing atom bomb, hydrogen bomb etc. They are also supplying weapons to Pakistan to be used against us and is also trying to create a monopoly in South-east Asia, then I fail to understand what the Government of India has seen which has convinced the Prime Minister to make such a statement.

Shri Jawaharlal Nehru, had also made a statement on 25. 1. 1963 that no Minister should make a policy statement unless it is approved by the Parliament. I submit then even that statement has been paid no heed.

I would therefore like to know whether our Government is still sticking to the old policy previously adopted by the ex-Prime Ministers or any modifications have been made in that policy and if any modifications have been made whether the Parliament has not been taken into confidence?

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यदि हमारी सरकार किसी के साथ बातचीत करना चाहती है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हमें 14 नवम्बर को पंडित नेहरू के जन्म-दिवस पर बनाई गई नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट-चित होना चाहिये ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करेगी कि तिब्बतियों को तिब्बत लौटाया जायेगा तथा दूसरे हमारी 14,000 वर्ग मील भूमि को, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, खाली करा लिया जायेगा । यदि वह इन दोनों मांगों के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं तब तो ठीक है वरना बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है ।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : May I know from the Hon. Minister of External Affairs as to whether the Prime Minister had kept this thing in mind that because U. S. S. R. has started giving arms aid to Pakistan and has thus created suspicion in our mind that our relations with her will not remain so cordial and then given such a Statement in January 1969?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : First of all I would like to know whether India is still making efforts to make China a member of the U.N.O. Secondly I would like to know whether India wants to establish trade and economic relations with China if not political. Thirdly I would like to know how much area of India is still under the control of China? Fourthly I would like to know whether recent attacks near Nathula will in any way effect the negotiations which had already taken place?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Before saying anything I would like to make it clear to the House that we are not going to do any thing which is contrary to what we have assured the House. Therefore to say that Government is doing anything against the assurance given to the House is not correct. More over some newspapers of the country will interpret it in such a way as to create suspicions in the mind of the people.

Shri Prakashvir Shastri has said just now and perhaps it might have been published in the newspapers also that the Prime Minister has said that we may negotiate with China. An impression has also been created that negotiations will take place by not keeping in view the old things. But I may tell the hon. House that she has not said anything in the Press conference, which might create misunderstanding in the people. She had said that a solution can be found keeping the national interest, national honour and interest integration in mind.

Now again I want to make it clear that we are not going to do anything which effects sovereignty and integrity of our country. Now the question arises as to whether we should negotiate with China according to Colombo proposals or not and whether we should not start negotiations till China vacates every inch of our land. The House must be remembering that when a discussion on Colombo proposals had taken place then a point was that China will go back 20 kilometres from the present position and then negotiations will take place. But even then they remained in Indian territory. Hence we will have to consider over the whole matter very thoroughly.

We are not going to change our views. When a question was asked by the Prime Minister in a Press Conference she had said that we want to solve something but our views are known. Thus the Prime Minister has made clear the stand we have taken. We want that our relations with China should improve but not at the cost of the interest of the country. It is in the interest of both the countries that both should keep cordial relations. But relations can remain cordial provided China recognises integrity and sovereignty of our country. While discussing the budget of my Ministry I had made clear the policy of my Government in regard to China. So I would like to say Shri Prakash Vir Shastri that the policy of Government is one and the same it may be expressed by different Ministers in different words.

The name of Shri Krishna Menon was also referred. I would like to make it clear that the policy is adopted by Government in which one individual can have no say. Hence the question of Shri Menon's influence does not arise at all.

As far as our policy to tackle the international problems is concerned we have already made it clear that we want to solve such problems with peaceful negotiations. Even if China is not taking any initiative to solve the problem but we should ponder over matter and find out a solution.

As far as the question of inclusion of China in U.N.O. is concerned we want that such countries should be included in U.N.O. So that we could discuss the matters with them there.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 अप्रैल, 1969/9 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 29, 1969/Vaisakha 9, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 15-9-69—600